खण्ड-345, अंक-3
गुरूवार, 6 भाद्रपद, शक संवत् 1902
(28 अगस्त, 1980 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 345 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1981

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	.. ..	185–189
प्रश्नोत्तर	.. ..	190–225
गोरखपुर में घुघली स्टेशन के निकट बम विस्फोट की घटना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. .. ..	225–225
बस्ती जिले के डुमरियागंज टाउन एरिया में जलभराव की स्थिति तथा पानी निकासी की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	226
जनपद बाराबंकी के ग्राम गोड़ियन पुरवा में श्री भवानी प्रसाद के यहां पड़ी डकैती में थाना असन्दरा के एक दरोगा तथा एक सिपाही के होने के व पुलिस उत्पीड़न के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	227
आजमगढ़ के अतरौलिया विधान सभाई क्षेत्र में डकैतियां तथा अराजक तत्वों द्वारा उत्पात के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. ..	227
कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी तथा रिहाई आदि के सम्बन्ध में सूचनाएं	..	227–228
मुजफ्फरनगर के सिटी मजिस्ट्रेट श्री शिल्पकार, डी0 एस0 पी0 चतुर्वेदी तथा कोतवाल, मुजफ्फरनगर के विरुद्ध उठाई गई विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	.. .. ..	228
बागपत में घटित घटना के संबंध में चल रहे आन्दोलन के सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में वक्तव्य	.. .. ..	228–239
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	.. .. ..	239–240
1980–81 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा	..	240–278
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	.. .. ..	278
पंडित छोटे लाल, निवासी भीकमपुर, थाना बिलसी, जिला बदायूं की हत्या के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	.. .. ..	278–283
नत्थियां	.. ..	284–293

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पति वार, 6 भाद्र, शक संवत, 1902

(28 अगस्त, 1980 ई0)

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—358

अकबर अहमद, श्री	नैनीताल	कमला देवी, श्रीमती	हरदोई
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद	कमला प्रसाद सिंह, श्री	जौनपुर
अकबाल हुसैन, श्री	गोंडा	कमला साहनी, श्रीमती	बरेली
अजहर ईमाम, श्री	मिर्जापुर	कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
अजीजुर्रहमान, श्री	बिजनौर	कल्लू राम, श्री	मिर्जापुर
अजीत कुमार सिंह, श्री	कानपुर	काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर
अजीत सिंह सेठी, श्री	मेरठ	काशीनाथ मिश्र, श्री	बलिया
अनवार खां, श्री	अलीगढ़	किरनपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
अबुलकलाम, श्री	आजमगढ़	किशोरी शुक्ला, श्रीमती	गोरखपुर
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह)	फतेहपुर	कुंवर बहादुर मिश्र, श्री	हमीरपुर
अमर सिंह, श्री	सहारनपुर	कुंवर सिंह नेगी, श्री	चमोली
अम्बा प्रसाद, श्री	बरेली	कुदसिया बेगम, श्रीमती	हरदोई
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती	कुंवर, श्री	देवरिया
अम्मार रिजवी, श्री	सीतापुर	कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री	रायबरेली
अलमेलू अम्माल, कुमारी	बस्ती	कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)	फतेहपुर
अशफाक अहमद, श्री	बरेली	कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री	इलाहाबाद
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री	इलाहाबाद	कृष्ण मगन सिंह, श्री	बाराबंकी
आजाद कुमार कर्दम, श्री	आगरा	कृष्ण वीर सिंह कौशल, डाक्टर	आगरा
इन्द्रजीत, श्री	फतेहपुर	केदार, श्री	आजमगढ़
इन्द्रप्रताप सिंह, श्री (लल्लू)	बहराइच	केदारनाथ सिंह, श्री	गोरखपुर
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद	केशरी प्रसाद, श्री	जौनपुर
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री	इलाहाबाद	केशोराम, श्री	बदायूं
उदयवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर	कैलाश चन्द्र, श्री	एटा
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (उर्फ सुत्तन भैय्या)	खीरी	कैलाश प्रसाद, श्री	गोरखपुर
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी	एटा	खरपत, श्री	बाराणसी
उदल सिंह, श्री	वाराणसी	खान गुफरान जाहिदी, श्री	फतेहपुर
ए0 सी0 ग्राइस, श्री	निर्देशित आंगल भारतीय	खुदादीन अन्सारी, श्री	देवरिया
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री	आगरा	खुर्शेद अहमद, श्री	बहराइच
ओम प्रकाश रिछरया, श्री	ललितपुर	खुशहाल सिंह रागड़, श्री	टेहरी गढ़वाल
कन्हैया लाल, श्री	मथुरा	खैरुल बशर, श्री	आजमगढ़
कन्हैया लाल महेन्द्रू	लखनऊ	ख्वाजा हलीम, श्री	अलीगढ़
कमला दरियाबादी, श्री	कानपुर		

गंगा सागर शंखवार, श्री	कानपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	इटावा
गजेन्द्र सिंह, श्री	बाराबंकी
गया सिंह, श्री	उन्नाव
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री	नैनीताल
गुलाब सिंह, श्री	देहरादून
गुला सेहरा, श्री	आगरा
गुलाम नबी, श्री	आगरा
गेंदा देवी, श्रीमती	बस्ती
गोपाल राम दास, श्री	अल्मोड़ा
गोपी नाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव
गोरे लाल शाक्य, श्री	इटावा
गोबरधन, श्री	अल्मोड़ा
गौरी देवी, श्रीमती	गोरखपुर
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	इटावा
चन्दन सिंह, श्री	मथुरा
चन्द्रप्रकाश शर्मा, श्री	बांदा
चन्द्र बली ब्रह्मचारी, श्री	आजमगढ़
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री	पौड़ी-गढ़वाल
चन्द्रशेखर त्रिवेदी, श्री	लखनऊ
चरनजीत सिंह, श्री	पीलीभीत
चारु चन्द्र ओझा, श्री	पिथौरागढ़
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली
छत्तर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
छदी लाल, श्री	गोंडा
जंग बहादुर, श्री	जौनपुर
जगदीश सिंह, श्री	मैनपुरी
जगदीश सिंह, श्री	शाहजहांपुर
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर
जमुना प्रसाद, श्री	बाराबंकी
जयदीप सिंह, श्री	बरेली
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री	अल्मोड़ा
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
जियाराम शुक्ल विकल साकेती, श्री	फैजाबाद
जीराज सिंह मौर्य, श्री	मुरादाबाद
जैराज गौतम, श्री	सुल्तानपर
झग्गड़ सिंह, श्री	मेरठ
झिलमिट राम, श्री	गाजीपुर
तेजनारायन त्रिवेदी, श्री	खीरी
तेज बहादुर सिंह, श्री	जौनपुर
तेज बहादुर गंगवार, श्री	पीलीभीत
त्रिवेनी, श्री	आजमगढ़
थम्मन सिंह, श्री	बिजनौर
दयाल कृष्ण, श्री	मथुरा
दलगंजन सिंह, श्री	जालौन

दल सिंगार, श्री	आजमगढ़
दामोदर शर्मा, श्री	मेरठ
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	बस्ती
दीना नाथ, श्री	बस्ती
दीपक कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
दीपनरायन वन महन्थ, श्री	गोंडा
दीपू, श्री (उर्फ दीप नारायण)	आजमगढ़
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दूधनाथ राजभर, श्री	आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री	बहराइच
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	कानपुर
द्वारिकानाथ धवन, श्री	देहरादून
धनी राम वर्मा, श्री	इटावा
धनेश्वरी देवी, श्रीमती	वाराणसी
धर्मपाल, श्री	बहराइच
धर्मसिंह, श्री	बुलन्दशहर
ध्रुप राय, श्री	देवरिया
नकली सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
नत्थू लाल, श्री	हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री	देवरिया
नन्द राम, श्री	बरेली
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री	पौड़ी गढ़वाल
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	पिथौरागढ़
नरेश चन्द्र, श्री	हरदोई
नाजिर अली, श्री	शाहजहांपुर
नियाज हसन खां, श्री	प्रतापगढ़
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)	बलिया
नेत्रपाल सिंह, श्री	एटा
पंचानन, श्री	आजमगढ़
पन्ने लाल, श्री	गोरखपुर
परमाई लाल, श्री	हरदोई
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री	बस्ती
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
परागी लाल चौधरी, श्री	सीतापुर
पहलवान, श्री	जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती	बाराबंकी
पुरुषोत्तम, श्री	मिर्जापुर
पूरन चन्द्र, श्री	अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री	हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री	बाराबंकी
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री	प्रतापगढ़
प्रभु नारायण सिंह, श्री	जौनपुर
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रियदर्शी जेतली, श्री	फैजाबाद
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती	लखनऊ
फखरे आलम, श्री	बदायूं
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री	गोरखपुर

बंशीधर राज, श्री	खीरी
बच्चा पाठक, श्री	बलिया
बदन सिंह, श्री	आगरा
बनवारी राम, श्री	वाराणसी
बब्बन सिंह, श्री	बलिया
बलराम सिंह यादव, श्री	इटावा
बलवीर सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बलवीर सिंह, श्री	रामपुर
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तर काशी
बाबूराम, श्री	पीलीभीत
बाबूलाल, श्री	गोंडा
बाबूलाल, श्री	हमीरपुर
बिहारी लाल, श्री	नैनीताल
बिहारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद
बुद्धपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
डाक्टर बृज किशोर मिश्र, श्री	देवरिया
बेनी बाई, श्रीमती	झांसी
ब्रज वल्लभ बाबू, श्री	बदायूं
ब्रह्मदत्त, श्री	देहरादून
भगवती सिंह विशारद, श्री	उन्नाव
भगवानदीन कुशवाहा, श्री	कानपुर
भागीरथ, श्री	झांसी
भास्कर पाण्डेय, श्री	देवरिया
भीखा लाल, श्री	उन्नाव
भूधर नारायण मिश्रा, श्री	कानपुर
भूपसिंह केन, श्री	गाजियाबाद
भृगुनाथ चतुर्वेदी श्री	गोरखपुर
भोला पाण्डेय, श्री	बलिया
मंगलदेव, श्री	गोंडा
मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
मन्जूर अहमद, श्री	मेरठ
मलिक मुहम्मद कमाल युसुफ, श्री	बस्ती
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज)	गोंडा
महावीर सिंह, श्री	सहारनपुर
महाराज सिंह, श्री	आगरा
महारानी दोहरे, श्रीमती	इटावा
महेश उपाध्याय, श्री	आगरा
महेश चन्द्र, श्री	मेरठ
महेश प्रसाद, श्री	देवरिया
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री	वाराणसी
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
माधव प्रसाद, श्री	फैजाबाद
मानपाल सिंह एडवोकट, श्री	एटा
भान बहादुर, श्री	गोंडा
भारकन्डेय चन्द्र, श्री	गोरखपुर
मित्रसेन, श्री	फैजाबाद
मीर मजहर अली, श्री	बदायूं
मुईद अहमद, श्री	सुल्तानपुर
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
मुन्शी लाल, श्री	मैनपुरी
मुरलीधर मुनीम, श्री	गोंडा
मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोती लाल देहलवी श्री	कानपुर
मोहन लाल, श्री	हमीरपुर
मोहन सिंह, श्री	देवरिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री	बदायूं
मोहम्मद उमर, डाक्टर	गोंडा
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री	लखनऊ
मोहम्मद वसीम, हाजी	रायबरेली
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री	वाराणसी
यशपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
यशपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)	गोरखपुर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद
रईसउद्दीन वारसी, श्री	मुरादाबाद
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री	गोंडा
रघुवीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
रती राम, श्री	बिजनौर
रमा कान्त मिश्रा, श्री	इलाहाबाद
रमेश चन्द्र, श्री	रायबरेली
राज किशोर राव, श्री	बहराइच
राज कुमार राय, श्री	आजमगढ़
राजपति देवी, श्रीमती	सुल्तानपुर
राजपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
राजमंगल पाण्डेय, श्री	देवरिया
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री	झांसी
राजेन्द्रकुमार गुप्त, श्री	सीतापुर
राजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
राधेश्याम पटेल, श्री	इलाहाबाद
राधेश्याम वर्मा, श्री	फर्रुखाबाद
राम अवधप्रसाद, श्री	बस्ती
राम आसरेपासवान, श्री	बस्ती
राम आसरेवर्मा, श्री	हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री	हरदोई
राम करन, श्री	वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री	आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री	सीतापुर
रामकृष्ण उपाध्याय, डाक्टर	जौनपुर
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री	मुरादाबाद
राम गोविन्द सिंह, श्री	बलिया

राम चन्द्र, श्री	वाराणसी
राम चरण, श्री	मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री	बाराणसी
रामजी राम, श्री	फैजाबाद
रामधनी, श्री	गाजीपुर
राम नरायन, श्री	गाजीपुर
राम नरेश शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
रामप्यारे पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री	मुजफ्फरनगर
राम भजन लाल, श्री	खीरी
राम यश सिंह, श्री	सहारनपुर
राम रतन सिंह, श्री	सीतापुर
राम लाल श्री	सीतापुर
राम लाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम शिरोमणि, श्री	जौनपुर
राम समुझावन, श्री	जौनपुर
राम सागर, श्री	बाराबंकी
रामसिंह, श्री	सहारनपुर
रामसिंह, श्री	सुल्तानपुर
रामसिंह खन्ना, श्री	बरेली
रामसेवक, श्री	सुल्तानपुर
रामस्वरूपनिम, श्री	सहारनपुर
रामस्वरूपवर्मा, श्री	कानपुर
राम हर्ष, श्री	गाजीपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री	बहराइच
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री	बरेली
रामेश्वर प्रसाद, श्री	बांदा
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री	बाराबंकी
रियासत हुसन, श्री	मुरादाबाद
रुद्रप्रताप सिंह, श्री	देवरिया
रूप राम, श्री	शाहजहांपुर
रूल्हा सिंह, श्री	सहारनपुर
लल्लू सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
लालसा, श्री	आजमगढ़
लोकपति, श्री	मिर्जापुर
लोकमणि, श्री	मथुरा
वासुदेव सिंह, श्री	प्रतापगढ़
विजय कुमार, श्री	लखनऊ
विजय सिंह, श्री	मिर्जापुर
विजय सिंह राना, श्री	आगरा
विद्या भूषण, श्री	मुजफ्फरनगर
विद्या सागर नौटियाल, श्री	टिहरी-गढ़वाल
विनोद कुमार तिवारी, डाक्टर	पीलीभीत
विमल प्रसाद तिवारी, श्री	फर्रुखाबाद
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विलायती राम कत्याल, श्री	कानपुर
विशन लाल, श्री	बिजनौर
विश्राम दास, श्री	इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री	मैनपुरी
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर	गाजियाबाद
वृद्धि नारायन सिंह, श्री	वाराणसी
शंकर सिंह, श्री	जालौन
शम्भूनाथ, श्री	आजमगढ़
शरीयतुल्ला, श्री	मुरादाबाद
शिवदर्शन, श्री	रायबरेली
शिव नरेश, श्री	बांदा
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर	कानपुर
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री	नैनीताल
शिव प्रताप सिंह, श्री	बांदा
शिवमंगल सिंह, श्री	मैनपुरी
शिवराज सिंह, श्री	अलीगढ़
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर	पौड़ी गढ़वाल
शौनाथ सिंह, श्री	बिजनौर
श्याम नरायन तिवारी, श्री	गोरखपुर
श्याम लाल बाजपेयी, श्री	बाराबंकी
श्याम सिंह, श्री	बिजनौर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रीकृष्ण गोयल, श्री	बदायूं
श्रीनाथ सिंह, श्री	वाराणसी
श्रीपति मिश्र, श्री	सुल्तानपुर
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
सच्चिदानन्द, श्री	उन्नाव
सतीश अजमानी, श्री	खीरी
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री	इलाहाबाद
सत्यपाल सिंह, श्री	शाहजहांपुर
सन्त बक्स रावत, श्री	लखनऊ
सन्तोषकुमारी, श्रीमती	बदायूं
सरजू प्रसाद 'सरोज' श्री	प्रतापगढ़
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
साहब सिंह, श्री	गाजीपुर
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री	गाजियाबाद
सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
सुनीता चौहान, श्रीमती	रायबरेली
सुनील शास्त्री, श्री	गोरखपुर
सुन्दर सिंह, श्री	बहराइच
सुमनलता दीक्षित, कुमारी	कानपुर
सुरेन्द्रकुमार, श्री (उर्फ मुन्नी)	गाजियाबाद
सुरेन्द्रप्रताप नारायण, श्री	बस्ती
सुरेन्द्र सिंह, श्री	गाजीपुर
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़

सुरश दत्त पालीवाल, श्री	जालौन	हरदेव, श्री	बलिया
सुल्तान सिंह, श्री	मुरादाबाद	हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री	बांदा
सूबेदार सिंह, श्री	मैनपुरी	हरिद्वार पाण्डेय, श्री	गोरखपुर
सूर्यनाथ उपाध्याय श्री	जौनपुर	हरि प्रसाद, श्री	उन्नाव
सोमांश प्रकाश, श्री	मुजफ्फरनगर	हरिवंश सहाय, श्री	देवरिया
स्वामी नेमपाल, श्री	बुलन्दशहर	हरी किशन श्रीवास्तव, श्री	कानपुर
स्वामी प्रसाद सिंह श्री	हमीरपुर	हरीशंकर, श्री	हरदोई
हंसराज सिंह वर्मा, श्री	एटा	हेम चन्द निमेष, श्री	मेरठ
हर गोविन्द वर्मा, श्री	सीतापुर		

विधान भवन

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 28 अगस्त, 1980

तारांकित प्रश्न

होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के प्रान्तीयकरण की मांग

*1—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के 15 गैर-सरकारी होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों का प्रान्तीयकरण करने का निर्णय लेते हुये 30 अप्रैल, 1979 के एक अध्यादेश द्वारा इन कालेजों का अधिग्रहण किया गया था तथा 28 अप्रैल, 1980 की एक अधिसूचना द्वारा अधिग्रहण का समय एक वर्ष के लिये और बढ़ाया गया था ? यदि हां, तो इन कालेजों के प्रान्तीयकरण की प्रक्रिया में कितना समय लगेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)—

प्रदेश के 15 गैर सरकारी होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के प्रबन्ध का अधिग्रहण 4, मई 1979 से एक वर्ष के लिये जनहित में शासन द्वारा किया गया था तथा अधिग्रहण का समय एक वर्ष के लिये बढ़ाया गया। कालेजों के प्रान्तीयकरण का विषय शासन के विचाराधीन है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि जिन गैर सरकारी कालेजों के प्रान्तीयकरण करने के लिए अध्यादेश जारी किया गया था, जिसे बाद में बढ़ाया गया, उनके प्रान्तीयकरण की दिशा में जो प्रक्रिया चलनी चाहिये थी, वह कहां तक पहुंची ? क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंग कि प्रान्तीयकरण की प्रक्रिया कहां तक पहुंची ?

श्री लोकपति—

श्रीमन्, अध्यादेश में प्रान्तीयकरण की बात नहीं थी। सिर्फ अधिग्रहण करने की बात थी, उनके ऊपर ऐडमिनिस्ट्रेटर बैठाने की बात थी। होम्योपैथिक कालेजों के प्रान्तीयकरण की बात चल रही है। इसी सदन में वह बिल हम ला रहे हैं, जिसके अन्तर्गत प्रान्तीयकरण हो जायेगा।

सतर्कता अधिष्ठान द्वारा दवा की कम्पनियों में मारा गया छापा

*2—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने कीं कृपा करेंगे कि दिनांक 14 जून, 1980 को लखनऊ में दवा सप्लाई करने वाली कम्पनियों की जांच सतर्कता विभाग द्वारा की गई ? यदि हां, तो किन-किन कम्पनियों के यहां छापे डाले गये ? क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री लोकपति—

गत दिनांक 13–14 जून, 1980 को दवा सप्लाई करने वाली दो कम्पनियों के कारखानों आदि में सतर्कता अधिष्ठान द्वारा छाप डाले गये थे जिसमें कुछ अभिलेख आदि हस्तगत किये गये हैं, जिनकी सनिरीक्षा की जा रही है। इस चरण पर इस जांच के सम्बन्ध में कोई अतिरिक्त विवरण दिया जाना जनहित में न होगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि प्रदेश में केवल यही दो कम्पनियां नहीं हैं, ऐसी बहुत सी कम्पनियां हैं, जिनके बारे में करीब-करीब हर जगह से राज्यपाल महोदय को, मुख्य मंत्री जी को और स्वयं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को शिकायतें मिलती रही हैं, उन सब कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही करने का कोई इरादा है। अब तक कार्यवाही न करने का क्या कारण है यदि भविष्य में कार्यवाही करने का कोई इरादा है, तो वह क्या है ?

श्री लोकपति—

मैंने एक बात अध्यक्ष जी को बता दिया था, जिसमें मैंने निवेदन किया था कि इस विषय में जो भी चर्चा और प्रश्न होने वाले हों, उनके शरदकालीन अधिवेशन में रखा जाये ताकि इसकी कार्यवाही तब तक पूरी हो जाये। इस संबंध में जो आप बात कर रहे हैं, उसी संदर्भ में यह जानकारी देना उचित न होगा क्योंकि इससे लोग चौकन्ना हो जायेंगे और आप अपने उद्देश्य में सफल न होंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने यह जानना चाहा था कि उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का इरादा है, इसका उत्तर तो हां या ना में होना चाहिये था, वह तो दिया नहीं। करीब-करीब 10 करोड़ रुपया का परचेज होता है। बिना परचेज किये ही मार्च में डिस्बर्समेंट हो जाता है। तो अगर माननीय मंत्री जी आश्वासन दें कि जो जिम्मेदार हैं, उन सबके खिलाफ कार्यवाही होगी, तो इसको शरदकाल के लिये स्थगित कर दें तो कोई बात नहीं ?

श्री लोकपति—

मान्यवर, भविष्य के लिये बता देना चाहता हूं कि भविष्य में जो भी दवायें शासन खरीदेगा चाहे कैपसूल हों या टेबलेट्स हों, उनके ऊपर यू0 पी0 हास्पिटल लिखा रहेगा। अतः भविष्य में दवाओं के गोलमाल होने की सम्भावना नहीं है। बाकी चर्चा के लिये अनुरोध है कि उसको शरदकाल में उठायें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरी बात का उत्तर नहीं आया। या तो जवाब हां में दें या नहीं में। भविष्य के लिये जिम्मेदारी लेते हैं, तो उसके लिये तो संतुष्ट हूं। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है, उस पर कितना कन्ट्रोल आपका है और हमारा है, इसको आप जानते हैं। प्रदेश में सभी जगहों से शिकायतें मंत्री जी के पास आयी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उन शिकायतों पर कार्यवाही करेंगे कि नहीं ? इसका जवाब माननीय मंत्री जी कृपया हां या नहीं में दें। मान्यवर, बाकी चर्चा शरदकाल के लिये स्थगित करदें, तो कोई हर्ज नहीं।

श्री लोकपति—

मान्यवर, शिकायतों पर कार्यवाही चल रही है। बाकी चर्चा दिसम्बर या जनवरी में कर लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

ठीक है।

जिला अस्पताल, फैजाबाद में किया गया लाश का पोस्टमार्टम

*3—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सरकार को ज्ञात है कि 15 जून, 1980 व 19 जून, 1980 के बीच जिला अस्पताल, फैजाबाद में एक दर्जन लाशें पोस्टपार्टम के लिए प्राप्त हुई ? यदि हां तो किनकी लाशें थीं तथा अलग-अलग केस में मौत के क्या कारण बताये गये तथा उन पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री लोकपति—

दिनांक 15 जून, 1980 व 19 जून, 1980 के बीच जिला अस्पताल, फैजाबाद में 13 लाशें पोस्टमार्टम हेतु प्राप्त हुई। इस संबंध में विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 284 पर)

श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मेरी निश्चित जानकारी है कि संबंधित लाशों का पोस्टपार्टम बहुत देर से किया गया। क्या इस पर जांच कराने के बाद संबंधित लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री लोकपति —

मान्यवर, लाशों का पोस्टमार्टम कब हुआ, जब लाशें आ जाती हैं, तब इनका विवरण जो सूची संलग्न है, उसमें देख लें। हास्पिटल में जिन-जिन तारीखों को पोस्टमार्टम हुआ है, वह उन तारीखों में हुआ है कि जिन-जिन तारीखों में लाशें आयी हैं वह लाशें कब की हैं, यह भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होगा।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि विवरण सूची में है, लेकिन मान्यवर, उसमें आवश्यक विवरण नहीं है कि कब पोस्टमार्टम हुआ और किस समय हुआ—यह नहीं है। इसलिये में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सारे विवरण को देने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति—

अवश्य दे दूंगा। आप चाहते हैं कि किस दिन, किस समय वह आपरेशन कन्डक्ट हुआ है, यह मान्यवर, आपके माध्यम से दे दूंगा।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या माननीय बताने की कृपा करेंगे कि मृतक भगवती प्रसाद मिश्रा को हेड इन्जरी के अलावा और भी इन्जरी थीं ? यदि हां, तो किस औजार से पहुंचायी गयी और कितनी थीं ?

श्री लोकपति—

मान्यवर, 16-6-80 को शारदा प्रसाद पुत्र अयोध्या प्रसाद साकिन मिश्रौली, थाना रौना ही ने सूचना दी कि भगवती प्रसाद 9-6-80 को बैल खरीदने गया था। बैल खरीदकर वापस आने के बाद गांव वालों को कई दिनों से दिखाई नहीं दिया। लेकिन भगवती प्रसाद की औरत से पूछा गया, तो उसकी औरत ने बताया कि वह बम्बई गये हैं। कई दिनों बाद भगवती के घर से बदबू की सूचना दी गयी।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

मान्यवर, यह तो एफ0 आई0 आर0 पढ़ रहे हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं ?

श्री लोकपति—

इसमें, मान्यवर, लिखा है कि यह हेड इन्जरी से मरे हैं मृत्यु का कारण सिर पर चोट है।

श्री मित्र सेन—

मान्यवर, फैजाबाद जनपद में 15 जून से 19 जून तक 13 लाशें—केवल 4 दिनों में आयीं, इस हास्पिटल में। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन लाशों में से कितनी ऐसी लाशें हैं, जिनकी शिनाख्त नहीं हुयी है और उस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुयी है।

श्री लोकपति---

5 व्यक्तियों की लाशें ऐसी हैं, जिनकी शिनाख्त नहीं हुयी वह अज्ञात पुरुष माने गये।

उतरौला, जिला गोण्डा के प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं महिला चिकित्साधिकारी विहीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

*4---श्री मसरूर जाफरी---

क्या सरकार को यह जानकारी है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उतरौला, जनपद गोण्डा में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं महिला चिकित्साधिकारी के स्थान अनेक वर्षों से रिक्त हैं। यदि हां, तो क्यों? इनकी नियुक्ति सरकार कब तक करने जा रही है?

श्री लोकपति---

जी हां।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उतरौला, जनपद गोन्डा में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का पद दिसम्बर, 1979 से तथा महिला चिकित्साधिकारी का पद जुलाई, 1978 से रिक्त है। शीघ्र तैनाती हेतु प्रयास किया जा रहा है।

श्री मसरूर जाफरी---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इस रिक्त काल में चिकित्सा व्यवस्था किसके हाथ में थी?

श्री लोकपति---

जब तक चिकित्सक न हो तब-तक जो साधारण स्टेज की चिकित्सा हो सकती है, वह फार्मेसिस्ट करते हैं।

श्री मसरूर जाफरी---

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कब-तक वहां चिकित्सा अधिकारी, पुरुष और महिला को भेजेंगे?

श्री लोकपति---

पिछली बार मैंने सदन में बताया था कि 248 चिकित्सालय ऐसे हैं, जहां डाक्टर्स नहीं हैं। वहां व्यवस्था कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि अक्तूबर तक उन चिकित्सालयों में चिकित्सक पहुंचा देंगे।

आगरा को सौन्दर्यीकरण की योजना

*5---श्री ओम प्रकाश जिन्दल---

क्या स्वायत्त शा न मंत्री कृपया बतायेंगे कि पिछली जनता सरकार के पहले की कांग्रेस सरकार ने आगरा के सौन्दर्यीकरण के लिए कुछ योजनायें बनाई थीं, जिसे जनता सरकार ने समाप्त कर दिया था? यदि हां तो उन योजनाओं को पुनः कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में सरकार कोई व्यवस्था करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री रामसिंह खन्ना)---

जी हां, योजनायें बनाई गई थीं। पिछली जनता सरकार के समय इन योजनाओं को समाप्त करने के कोई आदेश नहीं दिये गये।

उक्त योजनाओं के अन्तर्गत प्रारम्भ किये गये कार्यों को पूर्ण करने की कार्यवाही प्रगति पर है, अतः योजनाओं को पुनः कार्यान्वित करने की व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

श्री ओम प्रकाश जिंदल—

मान्यवर, क्या सरकार बतायेगी कि यदि वह योजनायें रद्द नहीं की गयी हैं, तो 4 साल में उन योजनाओं में क्या प्रगति हुयी है और वह कौन-कौन सी योजनायें हैं, जो प्रगति में हैं। जिन योजनाओं पर प्रगति नहीं हुयी है, उनका क्या कारण है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

महात्मा गांधी रोड को चौड़ा करना, पालीवाल पार्क में बोट क्लब की स्थापना करना, ताज के पास ताज काम्पलेक्स, दुकानें बनाना।

श्री पंचानन—

मान्यवर, उत्तर सुनाई नहीं देता है। काउंसिल में सब सदस्यों को साइक्लोस्टाइल्ड उत्तर मिलते हैं। यहां उत्तर पढ़ा जाता है, तो सुनाई नहीं देता है, तो फिर सप्लीमेंटरी कैसे पूछें ? या तो आज व्यवस्था कर दें कि सभी सदस्यों को साइक्लोस्टाइल्ड कापी मिला करें या तो ऐसा इंतजाम करा दें कि तत्काल सुनायी दे।

श्री अध्यक्ष—

माननीय पंचानन राय जी, जो प्रश्नकर्ता हैं, उनको कापी दी जाती है। इसके अलावा लाबी में अतिरिक्त कांपियां रखी रहती हैं। जिस प्रश्न में दिलचस्पी हो उस के लाबी से लेकर देख लेना चाहिये। जहां तक ध्वनि व्यवस्था का सवाल है, तो सुनाई तो पड़ता है।

श्री मोहन सिंह—

स्वायत्त शासन मंत्री की आवाज, मान्यवर, नहीं सुनाई देती है।

श्री त्रिवेनी—

सुनाई देने का यंत्र लगा लें।

श्री पंचानन—

मान्यवर, विधान परिषद् में तो हर उत्तर की कापी उपलब्ध कराई जाती है, तो इस सदन में ऐसा क्यों नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—

दूसरे सदन की बात यहां लागू नहीं होती।

श्री ओम प्रकाश जिन्दल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सौन्दर्यीकरण की योजनाओं को आघात पहुंचाने के लिये नगर महापालिका, आगरा द्वारा तहबाजारी के ठेके दिये जा रहे हैं।

श्री राम सिंह खन्ना—

आघात पहुंचाने के लिये कोई काम किया जा रहा है, ऐसी मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री ओम प्रकाश जिन्दल—

मान्यवर, जो ठेके तहबाजारी के ठेकेदारों को दिये जाते हैं, आगरा में, तो आगरा शहर वैसे ही कंजस्टेड है और ठेके दिये जाने से सौन्दर्यीकरण योजना, तो दूर रही बल्कि जगह-जगह दुकानदार लोग जगह घेर लेते हैं, जिससे निकलने में लोगों को परेशानी होती है। इसलिये क्या मंत्री जी बताएंगे कि यह सौन्दर्यी करण योजना को आघात पहुंचाने वाली चीज नहीं तो और क्या है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

ऐसा यदि मेरे ज्ञान में आयेगा तो उस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, समाचार पत्रों में बार-बार प्रकाशित हो रहा है कि आगरा में औद्योगिक बस्तियों के धुयें से लोगों के जीवन को खतरा होने वाला है, इसलिये वह औद्योगिक बस्तियां किस जगह ले जायेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना--

सौन्दर्यीं करण योजना से आपका प्रश्न संबंधित नहीं है।

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि सौन्दर्यीकरण योजनाओं के तहत महात्मा गांधी रोड और अन्य सड़कें जो चौड़ी की गयीं लेकिन वहां नगर पालिकाओं द्वारा तह बाजारी के ठेके दिये जा रहे हैं, तो इस पर क्या मंत्री जी रोक लगायेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना--

अवश्य।

नगरमहापालिका, लखनऊ के चुगीं विभाग में कथित भ्रष्टाचार

*6--डाक्टर राम कृष्ण उपाध्याय--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि सचिव, स्वायत्त शासन ने नगरमहापालिका, लखनऊ में चुंगी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार व बड़े पैमाने पर हो रही चुंगी चोरी के संबंध में महापालिका प्रशासक को मई, 1980 में पत्र लिखा है ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या-क्या तथ्य प्रकाश में आये और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

डाक्टर राम कृष्ण उपाध्याय--

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि लखनऊ के चूंगी विभाग के भ्रष्टाचार के संबंध में स्वयं यहां के स्वायत्त शासन सचिव, श्री रोशन लाल ने जांच किया था और उसके आधार पर कुछ अधिकारियों का ट्रान्सफर हुआ था और मंत्री जी का उत्तर है कि इस पर प्रश्न नहीं उठता है, तो मेरी बात समझ में नहीं आती है कि क्या बात है। इस लिये मैं चाहूंगा कि मेरी बात को सत्य मानकर मंत्री जी पुनः इस पर विचार करके उत्तर देंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना--

आपके पास क्या इसकी सूचना है ?

डाक्टर राम कृष्ण उपाध्याय--

मेरा कहना है कि आपका उत्तर है कि इस पर प्रश्न नहीं उठता है। मैंने पूरी तरह से सही जानकारी की कि नगरमहापालिका, लखनऊ के चुंगी विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त था गत सरकार ने इस की छान-बीन की और यहां के स्वायत्त शासन सचिव श्री रोशनलाल जी ने जांच की और कतिपय अधिकारियों के ट्रान्सफर के आदेश भी दिये। इतना बड़ा भ्रष्टाचार जिस के बारे में सचिव ने ट्रान्सफर के आदेश दिये,आप का कहना है कि प्रश्न नहीं उठता। मैं चाहूंगा कि पुनः इस भ्रष्टाचार के बारे में कि क्या भ्रष्टाचार था, कितने का गबन किया गया, सदन को बता सकेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना--

आप ने प्रश्न किया था कि मई 1980 में उन्होंने कोई पत्र लिखा। उनका जवाब आया कि कोई पत्र नहीं लिखा, इसलिए प्रश्न नहीं उठता। आप के पास इनफारमेशन हो इसके अलावा, किसी वक्त कोई इनक्वायरी हुई हो, तो उसे देख लेंगे। आप बता दें।

डाक्टर राम कृष्ण उपाध्याय---

दूसरी बात क्या मंत्री जी बतायेंगे कि चुंगी विभाग में रंगत के नाम पर जो पैसा वसूल किया जा रहा है, जिस का बंटवारा कर लेते है , उसके रोक थाम पर विचार करेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना---

इस पर विचार करेंगे ।

आयुर्वेदिक अस्पताल, सिंधोरा, जिला वाराणसी के भवन का निर्माण

*7---श्री ऊदल---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक अस्पताल, सिंधौरा, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी की इमारत अभी अधूरी है और इसको पूरा करने हेतु शासन ने 40 हजार रुपये की स्वीकृति सन् 79 में ही दे दी थी ? यदि हां तो इमारत क्यों पूरी नहीं बनायी गयी ?

श्री लोकपति---

जी हां, इस इमारत के निर्माण हेतु वर्ष 1977 में रु0 50,000 तथा वर्ष 1979 में रु0 25,000 की धनराशि स्वीकृत की गयी थी ।

अब तक स्वीकृत धनराशि कथित अस्पताल की इमारत को पूरा कराने के लिये अपर्याप्त है । इसलिये इमारत अधूरी है ।

श्री ऊदल---

क्या स्वास्थ्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि 1977 में जो पचास हजार रुपये मंजूर हुये थे, उस की इमारत बन गई है । रुपये की वजह से काम अधूरा है, पचास हजार की बन चुकी है । जो 25 हजार रुपये 1979 में मंजूर किये गये वे रुपये कहां हैं, उन्हें खर्च न करने का क्या कारण है ।

श्री लोक पति---

वह 25,000 रुपये सी0 एम0 ओ0 बनारस के पास जमा हैं क्योंकि आंकलन में जो ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने दिया है 90,000 रुपये की मांग की है । बाकी धनराशि इस वर्ष दे दिया जायगा ताकि आप का अस्पताल पूरा हो जाय ।

लखनऊ, विकास प्राधिकरण के तालकटोरा स्थित भवनों के आवंटियों से लिया गया सीवर चार्जेज

*8---श्री राम आसरे पासवान---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा लखनऊ की तालकटोरा स्कीम में निर्माण कराये गये मकानों का ब्याज लेते समय निर्बल, मध्यम वर्ग आवास आबंटियों द्वारा सीवर लाइन हेतु एक बड़ी धनराशि जमा कराकर ही कब्जा दिया जा रहा है जबकि इसके पूर्व केवल 55 रु0 ही चार्ज लिया जाता था ? क्या सरकार इस भिन्नता को दूर कर पहले जैसी धनराशि चार्ज किये जाने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना---

निर्बल तथा माध्यम आय वर्ग आवासों के निर्माण हेतु हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कार्पोरेशन से आवास एवं विकास परिषद् को कम ब्याज की दर पर ऋण इस प्रतिबन्ध के साथ प्राप्त होता है कि दोनों प्रकार के भवनों का विक्रय मूल्य क्रमशः रु0 8,000 तथा रु0 46,200 से अधिक नहीं हो । पूर्व में उक्त सीलिंग में पेय जल तथा मल-निष्कासन की सुविधा सहित भवन दिया जाना सम्भव था । अतः उक्त भवनों के आवंटियों से मात्र रु0 55 भवन का कब्जा देते समय लिया जाता था ।

वर्तमान में निर्माण सामग्री के मूल्य में तथा कार्मिकों की मेजदूरी में बहुत वृद्धि हो गई है। इसके अतिरिक्त चूंकि कालोनी के रख-रखाव हेतु इसका हस्तान्तरण नगर महापालिका को किया जाना था और दिनांक 8-4-80 को आवास परिषद् एवं नगर महापालिका के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में महापालिका ने यह उत्तरदायित्व परिषद् पर ठहराया था कि वह प्रत्येक भवन पर "वाटर मीटर" लगवाये तथा इसकी सिक्योरिटी आबंटी से जमा कराये उक्त परिस्थितियों में भवनों के विक्रय मूल्य को सीमित रखने के उद्देश्य से भवनों के निर्माण कार्य को पेजयल तथा मल-निष्कासन के कार्य से अलग करना पड़ा और उक्त दोनों कार्यों का व्यय 830 रु0 आबंटी से लिया जाने लगा। उक्त 830 रु0 की धनराशि के नहीं लिये जाने तथा पेयजल एवं जल निष्कासन की व्यवस्था में होने वाले व्यय को भवन के निर्माण मूल्य में शामिल करने से भवनों का मूल्य हड़को द्वारा निर्धारित भवन मूल्य से बढ़ जाती जिसके फलस्वरूप ब्याज की दर 6.5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत हो जाती और प्रतिदान का समय 20 वर्ष से घट कर 15 वर्ष हो जाता। उक्त स्थिति में आवंटियों पर मासिक किश्त अत्यधिक बढ़ जाती। उक्त परिस्थितियों में भवन आबंटियों को आधुनिक सुविधा प्रदान करने हेतु उक्त धनराशि लिया जाना आवश्यक है।

श्री राम आसरे पासवान---

लखनऊ में तालकटोरा स्कीम में जो भवन बनायें गये हैं क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गरीबों एवं मध्यम वर्ग के लोगों की किस रेट से मकान आवंटित किए जायेंगे पहले के रेट से या नये रेट से ?

श्री राम सिंह खन्ना---

लो इनकम ग्रुप में 8 हजार से कम कीमत का कोई मकान नहीं है। जो निर्धारित मूल्य है उसी पर उनको मकान दिया जायगा।

कस्बा भिनगा, जिला बहराइच में महिला अस्पताल का भवन

*9---श्री खुर्शेद अहमद---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कस्बा भिनगा, जिला बहराइच में महिला चिकित्सालय का भवन जो 6 माह से पूर्ण रूप से तैयार है, उसमें महिला चिकित्सालय क्यों नहीं भेजा रहा है, महिला चिकित्सालय भवन पूर्ण होते हुए भी उसे पुरुष चिकित्सालय में क्यों चलाया जा रहा है ? इस विलम्ब के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? शासन महिला चिकित्सालय को पुरुष चिकित्सालय से कब तक तब्दील कराएगी ?

श्री लोकपति---

जिला बहराइच के भिनगा स्थित राजकीय महिला चिकित्सालय का भवन बनकर तैयार हो गया है किन्तु अभी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उसे विधिवत् रूप से चिकित्सा विभाग को हस्तान्तरित नहीं किया गया है। इस समय महिला अस्पताल को नवनिर्मित भवन में न चला कर जिला परिषद् बहराइच के पुरुष अस्पताल के भवन में चलाया जा रहा है। नवनिर्मित भवन शासन को विधिवत् मिलने पर महिला अस्पताल उक्त भवन में स्थानान्तरित कर दिया जायगा।

श्री खुर्शेद अहमद---

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इसको एक वर्ष में तैयार होना था लेकिन तीन वर्ष हो गये और अब 6 महीने से तैयार बना हुआ खड़ा है, तो उसमें कब तक स्थानान्तरित किया जायगा ?

श्री लोकपति---

भवन पूर्णरूप से तैयार है। कुछ कमियां हैं उन्हें दूर किया जायगा और फिर उसे स्थानान्तरित कर दिया जायगा।

देहरादून, नगरपालिका के कर्मचारियों की भविष्य निधि

*10—श्री द्वारिका नाथ धवन—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या देहरादून नगरपालिका के कर्मचारियों की भविष्य निधि को अन्य मदों में खर्च किया गया है ? यदि हां, तो क्या इसके लिये शासन की पूर्व अनुमति ली गई ? क्या यह सही है कि कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति के अनेक वर्ष बाद भी उन्हें भविष्य निधि का रुपया नहीं मिल पा रहा है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । सभी सेवा निवृत्त कर्मचारियों को भविष्य निधि का भुगतान किया जा चुका है ।

श्री द्वारिका नाथ धवन—

मेरी जानकारी यह है कि 40 लाख रुपये कर्मचारियों की भविष्य निधि में जमा नहीं किया गया । उसमें से 4,71,650 रु0 50 पैसे जो बेसिक शिक्षक हैं , उनकी भविष्य निधि में जमा नहीं हुआ । 75–76 में 5 लाख रुपये भविष्य निधि से बिथड्रा कर लिये गये । मेरी जानकारी को सही मान कर क्या माननीय मंत्री स्पेशल इंक्वायरी करायेंगे और उचित कार्यवाही करेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जो सूचना माननीय सदस्य ने दी हैं उसको सच मानकर उसके खिलाफ इंक्वायरी की जायगी ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों के बीच व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मेरा निवेदन है कि हम लोग कौंसिल से आये हैं । वहां दूसरी प्रक्रिया रही है । यह सही है कि आपने प्रश्नों का उत्तर रखा होगा लेकिन वह हम लोगों के पास नहीं होता । यह समस्या हमारे सामने रहती है ।

श्री अध्यक्ष—

यहां नियम समिति हैं । आपको जो आपत्ति हो उसे आप नियम समिति में ले आयें । सदन हर समय अपने नियम बदल सकता है ।

श्री गुलाब सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि सन् 1971 से नगरपालिका, देहरादून में अब तक जो भविष्य निधि का लगभग 40 लाख रुपये है, उसको जमा न करने के कारण जो व्यक्ति या अधिकारी दोषी हैं उसकी जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो उत्तर आ गया कि जांच करायेंगे ।

प्रदेश में सील किये गये पेट्रोल डीजल पम्प

*11--श्री भगवती सिंह विशारद, श्री हरिप्रसाद कुरील तथा श्री गया सिंह--

क्या खाद्य मंत्री बतायेंगे कि उन्नाव जनपद में वर्ष 1979 मास सितम्बर से लेकर वर्ष 1980 के मास जून तक कितने और किन-किन पेट्रोल डीजल डीलर्स या पेट्रोल डीजल पम्पों द्वारा चोरबाजारी करने या वितरण में अनियमितताओं के किस-किस अपराध और किस-किस धारा में उनके पेट्रोल डीजल पम्प सील कर दिये गये हैं और उनके लाइसेन्स निलम्बित कर दिये गये हैं ? और अब उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री अजीत सिंह सेठी)--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(प्रश्न संख्या 12 पुकारे जाने पर)

श्री भगवती सिंह विशारद--

मान्यवर, अभी प्रश्न संख्या 11 में सप्लीमेंटरी नहीं हुई है ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायें । उन्होंने कह दिया कि सूचना एकत्रित की जा रही है ।15 दिन के बाद यह प्रश्न फिर आयेगा ।

श्री भगवती सिंह विशारद--

उसी पर तो मेरा प्रश्न पैदा होता है । यह प्रश्न 8-7-80 को किया गया था और डेढ़ महीना हो चुका है और मंत्री जी कह रहे हैं कि सूचना एकत्रित की जा रही है । मैं जानना चाहता हूं कि यह सूचना कब तक एकत्र हो जायेगी ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

मान्यवर, मैं अपने माननीय सदस्य की भावना की कद्र करता हूं और यह कहता हूं कि अब मैं स्वयं इस प्रश्न के उत्तर पर संतुष्ट नहीं हूं इसीलिये कहता हूं कि सूचना एकत्र की जा रही है । जब सूचना सही मिल जायेगी, तो आपको बता दिया जायेगा ।

एक सदस्य--

मंत्री जी काशीनाथ मिश्र की सीट पर बैठे हैं और वे पीछे खिसकते जा रहे हैं ।

लखनऊ के विशेश्वर नगर की हरिजन कालोनी में जल भराव

*12--श्री मित्रसेन--

क्या सरकार को जानकारी है कि आलमबाग लखनऊ क्षेत्र में स्थित अम्बेदकर नगर में विशेश्वर नगर के पास हरिजनों के बने हुये कच्चे मकान पानी के भराव के कारण डूब रहे हैं ? यदि हां, तो उन कच्चे मकानों को पानी में डूबने से बचाने का प्रबन्ध सरकार अविलम्ब करेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना--

उक्त क्षेत्र में लगभग एक-तिहाई मकान जल भराव से प्रभावित हैं । प्रभावित भवन अपेक्षाकृत निचले हिस्से में हैं, जहां पर वर्षा का पानी एकत्र हो जाता है । इस रुके हुए पानी को पम्प द्वारा निकालने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री मित्र सेन--

मैं जानना चाहता हूं कि इस हरिजन बस्ती में जल भराव के कारण जितने उनके कच्चे मकान थे, उनमें आधे से ज्यादा गिर चुके हैं और अभी तक भी वहां पानी भरा हुआ है । मंत्री

जी कह रहे हैं पानी निकालने की व्यवस्था की जा रही है। क्या मंत्री जी के पास कोई सूचना है कि कितने मकान वहां गिरे हैं और कितनी सहायता आपने उनको प्रदान की है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

कितने मकान गिरे हैं, इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता होगी, लेकिन वहां पर जो पानी के भराव से दिक्कत पैदा हो गयी है और वह इसलिये है कि वे मकान नीचे के हिस्से में थे जहां भट्ठे बने थे, वहां पर वह आबादी हो ग[illegible] फिर भी पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। जो व्यवस्था हो सकती है, वह की जा रही है। जहांतक तादात् का सवाल है, वह मेरे पास नहीं है ।

श्री मित्र सेन--

मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि वहां जल भराव हो रहा है, इसका मतलब यह है कि वे स्वीकार भी करते हैं वहां जल भराव के कारण क्षति भी हुई है । इनके पास सूचना नहीं है कि कितने मकान गिर चुके हैं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो मकान गिर गये हैं, उनकी सहायता करने के लिए मंत्री जी आश्वासन देंगे कि उनको कहीं और आवास देंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जो मकान बने हैं, वह बिना नक्शे पास किये बने हैं, अनधिकृत बने हैं। बहुत से ऐसे हैं, जिनकी वह जमीन भी नहीं है। नगर पालिका नैचुरल कैलेमिटीज में जो मदद कर सकती है, उसके आदेश हो गये हैं ।

श्री जसवंत सिंह विष्ट--

यह लखनऊ का मसला है और लखनऊ के ही हरिजनों के मकान डूब गये हैं और मंत्री जी लखनऊ में ही रहते हैं, तो क्या वह उस स्थान में गये हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना--

हां, मैं गया हूं और जाने के बाद अनुभव के आधार पर बता रहा हूं कि वहां की हालत यह है कि अनधिकृत कब्जे हैं और बिना नक्शे पास किये मकान बने हैं । भट्टे की जमीन में मकान बने हैं । उनकी सहायता के लिए दो हजार हार्स पावर का पम्प लगाया है और कच्चे नाले खुदवायें हैं ।

श्री भीखालाल--

जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि हरिजनों ने अनधिकृत रूप से अपने मकान बना लिये थे और महापालिका उनके अनधिकृत कब्जे हटाना चाहती है। चूंकि बरसात ने गिरा दिये इसलिए महापालिका उनकी मदद नहीं कर रही है ।

श्री राम सिंह खन्ना--

इस विपदा का कोई नाजायज फायदा नहीं उठाया जा रहा है ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे चूंकि उन मकानों के नक्शे पास नहीं हैं

(व्यवधान)

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य आप बैठिये, नौटियाल साहब प्रश्न कर रहे हैं आप बिनियम के बीच में खड़े हो रहे हैं ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--
इसलिए इन गिरने वाले मकानों की संख्या नहीं बता पा रही हैं।

श्री राम सिंह खन्ना--
मान्यवर, मकान में रहने वाला तो होगा और वह बतायेगा कि मेरा मकान गिर गया है।

श्री मित्रसेन--
मंत्री जी ने कहा कि अनधिकृत रूप से हरिजन मकान बना कर बस गये, इस पर विचार न कर वह उन हरिजनों को जो बेघर हो गये हैं, उनकी कहीं और बसाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना--
इस कैलेमिटीज के आधार पर कोई फायदा शासन नहीं उठायेगा।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--
मान्यवर, यह मेरे क्षेत्र में है यहां से निर्वाचित होकर आयी हूं इसलिए बिस्तार से जानती हूं। प्रश्न बड़ा गंभीर है। मंत्री जी ने कहा कि जो हरिजन रहते हैं, वह अनधिकृत रहते हैं। मैं यह जानना चाहती हूं कि उस क्षेत्र में कितने ऐसे घर हैं जो अनधिकृत हैं, जिसमें आज भी लोग रहे हैं।

श्री राम सिंह खन्ना--
इसके लिए तो सूचना की आवश्यकता होगी कि कितने छोटे हैं, कितने बड़े हैं।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--
माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है वह पूरी जगह जो है, उसमें इसी तरह से मकान बने हैं, उनको कभी रोका नहीं या उसमें कितने ही मकान कच्चे हैं और कितने ही पक्के हैं, तो क्या उनको भी हटवायेंगे....

श्री अध्यक्ष--
आप तो भाषण कर रही हैं। मैंने श्री अग्निहोत्री को पुकारा है। आप बैठें।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--
इन हरिजनों ने जो यह मकान बनवाए थे, उसके बारे में मुझे जानकारी है कि जिला प्रशासन ने उनको मकान बनाने की अनुमति दे दी थी और कहा था कि पट्टे वगैरह बाद में आपको कर दिये जाएंगे, तो जिन हरिजन बन्धुओं ने अपने हजारों रुपये लगाकर अपने झोपड़ी या मकान बनवा लिए हैं, तो उस धनराशि को क्या इन हरिजनों को सरकार देने के लिए विचार कर रही है ?

श्री राम सिंह खन्ना--
यदि ऐसा कोई आश्वासन दिया गया है, तो हम देखेंगे कि उस आश्वासन की अवश्य पूर्ति की जाए।

नगरपालिका, देवरिया के टैक्सी-स्टैण्ड का ठेका

*13--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--
क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका, देवरिया जिले के अन्तर्गत टैक्सी-स्टैण्ड का ठेका गत वर्ष एक वर्ष के लिए दिया गया था जिसे जिलाधिकारी देवरिया ने हाल में ही निरस्त कर दूसरे व्यक्ति को दे दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी नहीं, टैक्सी स्टैंड का ठेका गत वर्ष एक वर्ष के लिए नहीं दिया गया । नगर पालिका देवरिया द्वारा 4-8-71 को देवरिया रोडवेज बस स्टेशन के समीप सुलेम पुर बरहज रोड के टैक्सी स्टैण्ड हेतु सड़क की पटरी के कुछ भाग को रु0 50 मासिक शुल्क पर उपयोग करने की अनुमति श्री नरेन्द्र मिश्र नामक व्यक्ति को इस शर्त पर दी गई थी कि तीन माह से अधिक का शुल्क अवशेष हो जाने पर लाइसेंस बिना सूचना निरस्त कर दिया जायेगा। 11 माह से अधिक का शुल्क लाइसेंसी की ओर बकाया हो जाने पर दिनांक 13-8-80 को जिलाधिकारी/प्रशासक द्वारा उक्त लाइसेंस निरस्त कर दिया गया और 22-6-80 को रु 075 मासिक शुल्क पर एक अन्य व्यक्ति को दे दिया गया ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ठेके की शर्तें क्यों हैं अर्थात् उसके दस्तावेज में क्या दिया हुआ है ? ठेके को किसने दिया एग्रीमेंट करने का और उसके कैंसिल करने का अधिकार किसको है?

श्री राम सिंह खन्ना--

दस्तावेज तो कोई मेरे पास है नहीं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

तो मैं इसमें मंत्री जी की मदद करना चाहता हूं कान्ट्रेक्ट देने का अधिकार एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को होता है ।

श्री अध्यक्ष--

जब आप जानते हैं तो प्रश्न करते हैं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

वही तो बताना चाहता हूं कि जिला प्रशासन ने जो तमाम नियमों की अवहेलना की है इतवार को कैंसिल किया और उसी दिन एतवार को दे दिया उसके लिये क्या सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेगी? यह गलत है कि किराया अदा नहीं किया तो उसका कैंसिल इस वजह से किया गया मेरे पास प्रमाण है कि उसने समय पर पूरा किराया दिया है तो इस प्रकार की तमाम अनियमित कार्यवाही करने वाले जिला प्रशासन और अन्य अधिकारियों के विरुद्ध क्या सरकार सख्त कार्यवाही करने की कृपा करेगी?

श्री राम सिंह खन्ना--

जो आपके पास सूचना है उसको मैं देखूंगा और अवश्य आवश्यक कार्यवाही करूंगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

म्युनिसिपल ऐक्ट की धारा 311 में स्पष्ट दिया हुआ है कि बिना नोटिस दिये कोई ठेका निरस्त नहीं किया जा सकता है तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस संबंध में उसको कोई नोटिस दी गई थी ?

श्री रामसिंह खन्ना--

जो ठेकेदार था उसने दीवानी में नालिश की है और हाईकोर्ट में भी रिट की है तो इसके निर्णय के बाद फिर इसे देखूंगा ।

श्री रियासत हुसैन--

एक स्पष्ट प्रश्न यह है कि जब एक कांट्रेक्ट नान-पेमेंट में खत्म किया गया तो उसको इसकी पहले क्या कोई नोटिस दी गई या नहीं जिसके आधार पर उसका कैंसिल करके दूसरे को ठेका दे दिया ? नहीं दिया गया तो क्यों नहीं दिया गया ?

श्री राम सिंह खन्ना--

उन सब बातों को लेकर ही वह कोर्ट में गया हुआ है । कोर्ट के निर्णय के बाद ही कुछ हो सकेगा ।

श्री मोहन सिंह--

माननीय मंत्री जी के कथनानुसार यह बात स्पष्ट हो गयी है कि एक ठेके को आपने कैंसिज किया और दूसरे को दे दिया तो मैं जानना चाहता हूं कि इसमें क्या पद्धति अपनायी गयी। क्या इस ठेके की नीलामी को विज्ञापित किया गया विधिवत् बोली बुलवायी गयी या आदमी से दरख्वास्त लेकर उसे ठेका दे दिया गया। जो भी प्रक्रिया अपनायी गयी, उसे बताने की कृपा करें ?

श्री राम सिंह खन्ना--

इसकी सूचना इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, इस बात पर पूरे देवरिया शहर में झगड़ा मचा हुआ है । कृपया इसे स्थगित कर दीजिए, माननीय मंत्री जी किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं पा रहे हैं हम नियम 49 में नोटिस देते हैं, इस पर आप चर्चा करा दीजिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इस संबंध में जो प्रश्नोत्तर हुए हैं उनसे एक बात स्पष्ट है कि बहुत अनियमितायें हुयी हैं और उनसे दुखी होकर ठेकेदार कोर्ट में चला गया जिसकी आड़ में अब सब गल्तियों को छुपाया जा रहा है । तो क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे कि इस मामले में विधि परामर्शी से जांच करायेंगे और अगर अनियमितायें हुयी है तो क्या सरकार उसका लाभ उस ठेकेदार को देगी, जिससे वह कोर्ट से अपना केस वापस ले लें ?

श्री राम सिंह खन्ना--

आपका यह सुझाव उचित प्रतीत होता है, मैं देख लूगा (व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा:--

अनियमितताओं की कोई हद नहीं होती । मैंने अनुरोध किया कि यह ठेका इतवार को हुआ था । नेशनल हाई वे ऐक्ट के पेज 700 में स्पष्ट लिखा है तो मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि वे स्पष्ट आश्वासन दें कि वे इस मामले की जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने कहा है कि अगर अनियमितायें हुयी हैं, तो क्या उसकी विधि परामर्शी से जांच कराकर कार्यवाही कराने का आश्वासन देंगे इस पर मंत्री जी का आश्वासन हो गया कि जिस प्रकार की अनियमितायें हुयी हैं, उनकी जांच होगी ।

महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कालेज में झांसी नेत्र, नासिका एवं कंठ के प्रोफेसरों के रिक्त पद

*14--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कालेज, झांसी में नेत्र, नासिका, कंठ और कर्ण एवं अस्थि रोग विज्ञान के विभागों में स्वीकृत प्रोफेसरों में से कितने प्रोफेसरों की नियुक्तियां नहीं की गयी और क्यों ? तथा वे नियुक्तियां कब तक की जायेगी ?

श्री लोकपति—

इस मेडिकल कालेज में नासिका, कंठ और कर्ण विभाग में प्रोफेसर का कोई पद स्वीकृत नहीं है । नेत्र तथा अस्थि विभाग में प्रोफेसर का एक-एक पद स्वीकृत है । इसमें नेत्र विभाग में प्रोफेसर का पद उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण नही भरा जा सका तथा अस्थि विभाग में प्रोफेसर के पद पर जिस अभ्यर्थी की नियुक्ति की गई थी उसने ज्वाइन नहीं किया । अब इन रिक्त पदों को भरने के लिये विभागीय चयन समिति की बैठक गत माह हो चुकी है और समिति द्वारा अनुमोदित किये गये अभ्यर्थियों से इन पदों को शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

झांसी मेडिकल कालेज में नासिका, कंठ और कर्ण विषय की भी पढ़ायी होती है परन्तु इस विषय की पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई नहीं होती और वहां पर इस विषय के प्रोफेसर का पद भी वहां स्वीकृत नहीं किया गया है तो क्या इस विषय की पढ़ाई बन्द करने का विचार है जो प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं की जा रही है ?

श्री लोकपति—

यहां प्रोफेसर का पद नहीं है लेकिन लेक्चरर और रीडर है ।

श्री रान्जेद्र अग्निहोत्री—

मैंने पोस्ट ग्रेजुएट की बात पूछी है । उसके लिये प्रोफेसर का पद क्यों स्वीकृत नहीं किया जा रहा है ?

श्री लोकपति—

पोस्ट ग्रेजुएशन के आदेश इंडियन मेडिकल कौंसिल देती है । जब वह आदेश देगी तो हम उसकी भी पढाई शुरू कर देंगे ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

जब इस विभाग में प्रोफेसर का पद ही स्वीकृत नहीं है तो आदेश कैसे होंगे । क्या आपका विचार यहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू करने का नहीं है, या है ? यह बन्द करने का विचार है?

श्री लोकपति—

इस विषय की एम0बी0बी0एस0 की शिक्षा दी जाती है, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई का अभी विचार नहीं है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

उत्तर में बताया गया है कि अन्य रिक्त पदों को शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है तो क्या इसका कोई निश्चित समय बतायेंगे कि कब तक यह पद भर जायेंगे ?

श्री लोकपति—

नियुक्ति हो गयी है, आदेश प्रसारित हो गये हैं और वे अपना चार्ज भी लेने जा रहे हैं ।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ की न्यूरो सर्जरी यूनिट की एक्स-रे मशीन

*15—श्री चन्द्रशेखर त्रिवेदी (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल कालेज के न्यूरो सर्जरी यूनिट की एक्सरे मशीन काफी दिनों से खराब है ? यदि हां, तो इसके ठीक न कराये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार शीघ्रातिशीघ्र मशीन ठीक करवायेगी ?

श्री लोकपति---

किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ की न्यूरो सर्जरी यूनिक की एक्सरे मशीन दिनांक 3-7-80 को खराब हुयी थी । मशीन ठीक करा दी गयी है और दिनांक 15-7-80 से सुचारु रूप से कार्य कर रही है ।

टेहरी गढ़वाल जिले के ग्राम जमोला में कथित हैजे का प्रकोप

*16---श्री विद्या सागर नौटियाल---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल जनपद की देव प्रयाग तहसील की रोगी पट्टी के जमोला गांव में जून, 1980 के द्वितीय पक्ष में (ता0 16 से 30) हैजा का प्रकोप होने तथा उससे दस व्यक्तियों के मरने का समाचार सरकार को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो रोग के प्रसार को रोकने के सरकारी स्तर पर क्या प्रयास किये गये हैं ? तथा मृतकों के आश्रितों को क्या राहत दी गई है ?

श्री लोकपति---

जनपद टेहरी गढ़वाल की देव प्रयाग तहसील की ढोंगी पट्टी के जमोला गांव में माह जून, 1980 के द्वितीय पक्ष में (तारीख 16 से 30 तक) हैजा से किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुयी । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

श्री विद्या सागर नौटियाल---

मैं स्वयं उस क्षेत्र के सी0 एम0 ओ0 और डी0एम0ओ0 आदि से मिला हूं और यहां से टीम भी भेजी गयी है, तो मंत्री जी क्या बतायेंगे कि कितनी मौतें हुई हैं और वह किस बीमारी से हुई है?

श्री लोकपति---

कुल मृत्यु 11 हुई, श्रीमन् इसमें 7 मृत्यु बुखार से हुई और 4 मृत्यु हुई कै-दस्त से और साथ-साथ बुखार होने से ।

श्री विद्या सागर नौटियाल---

मान्यवर, मैं उस क्षेत्र में गया हूं । वहां पर कुल 32 मौतें हुई हैं । कुल 32 में से 11 को माननीय मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं, जिसमें से 7 को बताते हैं, बुखार से हुई है और 4 कै-दस्त से । मान्यवर, मेरी पार्टी के लोगों को जब ढोने के लिये कोई व्यक्ति नहीं मिला, तो सी0एम0ओ0 ने दवाई दी और मेरा आदमी वह दवाई ढोकर ले गया । मान्यवर, माननीय मंत्री जी आश्वासन दें कि इसकी जांच करायेंगे और जो अधिकारी गलत सूचना दे रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेंगे?

श्री लोकपति---

श्रीमन्, 28 तारीख को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को खबर मिली कि कोई महामारी फैल रही है । पहली घटना 13 जून को हुयी थी । इस बीच में 8-9 आदमियों की मृत्यु हुई । उस समय चूंकि स्वास्थ्य विभाग के लोग नहीं थे, तो जो गांव वालों ने बताया कि इस कारण से मृत्यु हुई, वह कारण उन्होंने नोट किया । 28 के बाद जो मृत्यु हुयी, उसके लिये व्यवस्था किया । उस क्षेत्र में मृत्यु 7 व्यक्तियों की कै-दस्त से हुई और 900 व्यक्तियों को हैजे के टीके लगा दिये गये हैं ।

श्री विद्या सागर नौटियाल---

मान्यवर, गांव वाले आये और सी0एम0ओ0 से फरियाद किया । वहां जब सुनवाई नहीं हुई, तब मुझको टेलीफोन किया । नरेंद्रनगर में इन तारीखों के बाद भी मौतें हुई हैं और माननीय मंत्री जी उसी अपनी सूचना पर विश्वास कर रहे हैं और हम पर विश्वास नहीं कर रहे हैं । मैं आश्वासन चाहता हूं कि इन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी

कार्यवाही करेंगे और जांच में साबित हो जाता है जैसा कि पूरे क्षेत्र के लोग कहते हैं कि हैजे से मृत्यु हुई है? क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री लोकपति---

कोई ऐसी व्यवस्था अभी शासन में नहीं हुई है कि दूरगामी क्षेत्रों में अगर कोई बीमारी फैलती है, तो तत्काल उसकी सूचना किसी भी विभाग को मिल जाय। अभी कोई टेलीप्रिंटर सूचना की व्यवस्था हमारे देहातों में नहीं प्रारम्भ हुयी है । प्रश्न यह है कि वहां 13 तारीख को महामारी का प्रकोप प्रारम्भ हुआ । 13 से 28 के बीच मृत्यु हुई । यह मैं मान सकता हूं कि वहां पर गांव के चौकीदार रहे होंगे देहात के, तो यह सूचना सी0एम0ओ0 को 28 को मिली, तो 28 को वहां पर उनकी टीम चली गयी । 5 जुलाई के बाद से वहां कोई मृत्यु नहीं हुई है ।

श्री गुलाब सिंह---

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित । माननीय मंत्री जी ने कहा कि हैजे के टीके लगा दिये गये हैं, तो जब वहां हैजे का प्रकोप नहीं था तो वह टीका किस आधार पर लगाये गये ?

श्री लोकपति---

गैस्टो और हैजे का इलाज करीब-करीब एक ही है ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल---

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में इस बात को स्वीकार कर ही लिया है कि बहुत सी मौतें हुई हैं । क्या माननीयमंत्री जी बतायेंगे कि जिन परिवारों में मौतें हुई हैं और उनके पीछे बहुत से ऐसे लोग छूटे हैं, जिनकी देख-भाल नहीं हो रही है, और सरकारी व्यवस्था भी है, तो ऐसे परिवारों को सरकार की ओर से कुछ इमदाद देने की व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो कब करेंगे और अविलम्ब कब करेंगे?

श्री लोकपति---

दवाइयों की व्यवस्था कर दी गयी है ।

इलाहाबाद जिले की आराकला पेयजल योजना

*17---श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इलाहाबाद की आराकला जल समूह योजना शासन द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है, तथा इस पर कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री राम सिंह खन्ना---

जनपद इलाहाबाद की आरा कला की समूह पेयजल योजना का विरचन किया जा रहा है तथा योजना को तकनीकी स्वीकृति सितम्बर 1980 तक हो जाने की आशा है । तत्पश्चात् जिला परिषद् से ऋण एवं अनुदान संबंधी औपचारिकतायें पूर्ण कराकर जल निगम की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करके योजना का कार्यान्वयन सम्भवत: अप्रैल, 1980--में सम्भव हो सकेगा ।

आगरा जिले के ग्राम खोली के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय के डाक्टर एस0 एन0 श्रीवास्तव के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*श्री सूर्यनाथ उपाध्याय---

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि आगरा जनपद के खोली ग्राम में स्थित होम्योपैथिक चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी डा0 एस0 एन0 श्रीवास्तव के विरुद्ध

नोट:---तारांकित प्रश्न संख्या 16 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री रमेश चन्द्र, पाठक, सम्पादक, साप्ताहिक समाचार पत्र, "आशापुष्प" हरदोई का जून, 1980 में कोई प्रार्थना-पत्र शासन व निदेशक को डा0 श्रीवास्तव को अपने नियुक्त स्थान (आगरा) न जाकर जिला हरदोई ही गत 7 वर्षों से प्राइवेट प्रैक्टिस करने के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री लोकपति—

जी हां, प्रश्नगत शिकायती-पत्र पर जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लिया जाने वाला भवन-चित्र शुल्क

*19—श्री रियासत हुसैन—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जो भवन चित्र शुल्क लिया जा रहा है वह कानून द्वारा निर्धारित दरों से कई गुना अधिक है और सरकार ने उक्त विकास प्राधिकरण को आदेश दिया था कि वे कानून द्वारा निधारित भवन चित्र शुल्क ही लें। यदि हां, तो उक्त प्राधिकरण के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रामसिंह खन्ना—

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के उपाध्यक्ष ने प्राधिकरण के हित को देखते हुए शुल्क संबंधी निर्णय दिनांक 21-10-74 की बैठक में लिया था जिसका अनुमोदन शासन ने इस प्रकार किया था कि अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार ही मान चित्रों पर शुल्क लिया जाय। विकास प्राधिकरण ने पुनः नई दरों के अनुमोदन हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा है और इसी आशा में कि नई दरें शासन द्वारा अनुमोदित हो जायेंगी। विकास प्राधिकरण के प्रस्तावानुसार भवन चित्रों का शुल्क लिया जा रहा है।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग

*20—श्री सूबेदार सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि शासन ने सचिवालय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित है ? यदि हां तो क्या स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को भी नियमित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जी हां

अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग (सीधी भरती) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1979 जिसके आधार पर स्वास्थ्य सेवा निदेशालय सहित सभी अन्य अधीनस्थ कार्यालयों के लिपिक कर्मचारियों की सीधी भरती का विनियमन होना है, की धारा 20(2) की वैधता को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी है। उच्च न्यायालय द्वारा नियमावली के कार्यान्वयन पर स्थगन आदेश प्रसारित किये जाने के कारण स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के दैनिक वेतन कर्मचारियों के विनियमितीकरण को सम्प्रति स्थगित रखा गया है।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

देवरिया जिले के कस्बा सलेमपुर में श्रम हेतु खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत मार्ग का निर्माण

**1—श्री हरिवंश सहाय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिले के सलेमपुर ब्लाक के अन्तर्गत सलेमपुर कस्बा में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत किसी पुलिया का निर्माण कराया जा रहा है

और उस पर काम करने वाले मजदूरों को खाद्यान्न न देकर मात्र 3 रुपया प्रति दिन मजदूरी दी जा रही है जिससे मजदूरों में असंतोष है तथा काम बन्द है ? यदि हां, तो मजदूरो को वाजिब मजदूरी दिलाने तथा संबंधित कर्मचारियों एवं अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

जी नहीं । जनपद देवरिया में गांव सभा सलेमपुर में श्रम हेतु खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत पुलिया का नहीं बल्कि दो टीलों को जोड़ने हेतु एप्रोच मार्ग का निर्माण कराया गया है तथा इस एप्रोच मार्ग पर पुलिया का निर्माण कार्य प्रस्तावित है । उक्त मार्ग पर कार्य करने वाले मजदूरों को उनके द्वारा किये गये काय की नयी नापो के अनुसार रुपया 3.70 पैसे के मूल्य की मजदूरी खाद्यान्न के रूप में भुगतान की गई है । लगातार वर्षा तथा स्थल पर जल का जमाव हो जाने के कारण फिलहाल कार्य रोक दिया गया है । अतः यह कहना कि उक्त मार्ग पर कार्य कर रहे मजदूरों को मात्र रुपया 3 प्रतिदिन की मजदूरी दिये जाने तथा कार्य बन्द हो जाने के कारण मजदूरों में असंतोष है, सत्य नहीं है । चूंकि मजदूरों द्वारा किये गये कार्य की नापी के आधार पर उचित मजदूरी का भुगतान किया गया है अतः वर्तमान परिस्थितियों में किसी कर्मचारी तथा अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हरिवंश सहाय—

माननीय मंत्री जी ने जो अभी अपने उत्तर से संबंधित बात कही कि लगातार वर्षा तथा स्थल पर जल का जमाव हो जाने के कारण फिलहाल कार्य रोक दिया गया है । यह प्रश्न 19-7-80 को दिया गया था, परन्तु काम जुलाई के प्रथम सप्ताह से बन्द है । मेरी सूचना को सही मानकर कि वहां के श्रमिकों को 3 रुपया प्रति दिन के हिसाब से मजदूरी दी जा रही है और उन मजदूरों को मजदूरी के रूप में खाद्यान्न सामग्री न देकर (तीन रु0) प्रति दिन दिये गये, तो क्या माननीय मंत्री जी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर आवश्यक कार्यवाही करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

जो वास्तविक तथ्य था वह मान्यवर, आपके माध्यम द्वारा सम्मानित सदस्य को बता दिया जो काम वहां पर हुआ । करीब 66 मजदूरों ने आठ दिन काम किये और 24 ने 2 दिन । इस तरह से 760-8 क्युबिक मीटर खुदाई का काम हुआ । इस हिसाब से 1520 रु0 मजदूरी होती है, जिसमें से इन्हें 2113 रु0 मजदूरी दी गयी । यह अधिक मजदूरी उन लोगों को इसलिये दी गयी कि जहां खुदाई का काम हो रहा था वह स्थल शहर से दूर था और इन मजदूरों द्वारा किये गये कार्य से अधिक मजदूरी दी गयी है और खाद्यान्न सामग्री के रूप में दी गयी है और न ही इसमें कोई तथ्य छिपाये गये हैं, जो बात थी उसको आपके सामने रख दिया गया है ।

श्री हरिवंश सहाय—

जिन मजदूरों ने काम किया है, तो क्या मान्यवर, उनसे पूछ-ताछ की कार्यवाही की जायेगी अर्थात् जांच करवाई जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जो सम्मानित सदस्य ने बात कही कि वहां के संबंधित मजदूरों से जानकारी करें, जानकारी करा ली जायेगी ताकि आपको किसी प्रकार की शंका न रहे।

श्री सूबेदार सिंह—

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वास्तविकता यह है कि जो मजदूरी कागज पर दिखायी गयी है, वह पेमेंट वास्तव में हुए नहीं हैं । क्या

सरकार इस दृष्टि से भी जांच करायेगी, अगर बात सही निकली तो क्या कभी दोषी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

पहले तो भुगतान का जहां तक प्रश्न है, उस संबंध में पहले मैंने निवेदन किया कि यह खाद्यान्न के रूप में दिया गया इसमें 17–75 कुंतल खाद्यान्न दिया गया, लेकिन जैसा अभी मैंने कहा था, सम्मानित सदस्य के उत्तर में अगर वह समझते हैं कि किसी श्रमिक या मजदूर से जानकारी कराई जाय, तो करा ली जायेगी और सम्मानित सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है वह साफ हो जायेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित । जैसा मंत्री जी ने उदारता का परिचय किया कि गेहूं इतना होता था और ज्यादा दिया गया । क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि निर्धारित दूरी से दूर की रेट अधिक होते हैं, तो पहला मैं यह जानना चाहता हूं कि जो खाद्यान्न दिया गया वह बढ़े हुए रेटों से दिया गया । दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य की जो शिकायत पहुंची थी कि काम बन्द है, इसकी जांच जिससे कराई गई क्या जांच करते समय जो शिकायतकर्त्ता थे, श्रमिक मजदूर उनके भी बयान लिये गये थे ? यदि हां, तो उनके बयान क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर मैं दे चुका हूं कि मजदूरी बढ़े हुए रेट से दी गई है। दूसरा प्रश्न है जांच के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा जांच कराई गई है और सारे तथ्य जिलाधिकारी ने वहां के लोगों से बातचीत करके सामने भेजे हैं । अगर सम्मानित सदस्य चाहते हैं कि श्रमिक से पूंछताछ कर जांच कराई जाय तो करा ली जायेगी ।

जौनपुर जिले के लिये सीमेन्ट का आवंटन

**2—श्री जंग बहादुर—

क्या खाद्यान्न मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद का सीमेंट एलाटमेंट 7000 क्विंटल से 3000 क्विंटल कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों? क्या जनपद की आवश्यकताओं को देखते हुए इसे बढ़ाने और जनता को दिये जाने वाली सीमेंट की अलग से व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो शासन को इसमें क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री अजीत सिंह सेठी—

जी नहीं । जौनपुर जनपद को त्रैमासिक 32,000 कुंटल (3,200 मी0टन) सीमेंट का आवंटन होता है।

भारत सरकार से प्रदेश की वास्तविक मांग से कम सीमेंट प्राप्त होने के कारण जिलों की आवश्यकता के अनुरूप सीमेंट देना सम्भव नहीं है । जनता को जन वितरण श्रेणी के अन्तर्गत सीमेंट देने की अलग व्यवस्था है।

श्री जंग बहादुर —

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित । क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि जौनपुर जनपद में भयंकर बाढ़ आई हुई है, काफी मकान गिर गय हैं उनके मरम्मत की आवश्यकता ह और मुख्य मंत्री जी तथा सिंचाई मंत्री जी जाकर आश्वासन दिये हैं इसको ध्यान में रखते हुए क्या जौनपुर जनपद के लिये सीमेंट का कोटा अलग से देने का विचार करेंगे ?

श्री अजीत सिंह सेठी—

मान्यवर, जौनपुर जनपद को 4 हजार मीट्रिक टन सीमेंट मिलता था, उसको हमने 3,200 मीट्रिक टन किया है। जबकि सेन्टर से हमको 10 हजार मैट्रिक टन के स्थान पर केवल 4,560 मीट्रिक टन मिला है। जौनपुर जनपद को मैं 80 प्रतिशत दे रहा हूं। इस अवस्था में हम जो सीमेंट दे रहे हैं वह उचित मात्रा में है।

श्री जंग बहादुर —

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि 77–78 में जौनपुर जनपद को 7 हजार मीट्रिक टन सीमेंट दिया जाता था जो इस समय घटाकर 3200 कर दिया गया जो कि 50 प्रतिशत से कम कर दिया गया। क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है ?

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी ने उत्तर तो दे दिया कि 3,200 सौ दे रहे हैं।

श्री जंग बहादुर—

क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो बाढ़ से मकान गिर गये हैं, उनके लिये अतिरिक्त कोटा सीमेंट की व्यवस्था करेंगे। दूसरे जो सीमेंट जा रहा है मैंने स्पष्ट प्रश्न किया था कि सरकारी कार्य के लिए सीमेंट का अधिक इस्तेमाल कर लिया जाता है और जनता को सीमेंट नहीं मिलता तो क्या कुछ प्रतिशत अलग से जनता के लिये सीमेंट की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

क्या मंत्री जी जनहित में अलग से व्यवस्था करेंगे ?

श्री अजीत सिंह सेठी—

श्रीमन्, केन्द्र से जो आवंटित होता है उसी से वितरित करते हैं। हम कहीं से उत्पादन नहीं करते हैं लेकिन इस जनपद को सबसे ज्यादा कोटा दिया जाता है।

डाक्टर राम कृष्ण उपाध्याय—

उत्तर प्रदेश जौनपुर बाढ़ की विभीषिका से सबसे ज्यादा नष्ट भ्रष्ट हो रहा है। आज भी आप वहां जायें तो देख सकते हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से खाद्य मंत्री जी से चाहूंगा कि जौनपुर में तमाम मकान गिर रहे हैं, धराशाही हो रहें हैं। केन्द्र के मंत्री, हमारे मुख्य मंत्री भी गये। ऐसी स्थिति में वहां पर विशेष रूप से आर्थिक कोटा देंगे, क्या मंत्री जी इसका आश्वासन देंगे ?

श्री अजीत सिंह सेठी—

मैंने स्पष्ट रूप से बताया कि यह सीमेन्ट जो है यह प्रदेश का सवाल नहीं, केन्द्र से प्राप्त होती है। जो कोटा दिया है यदि उसके वितरण में कोई कमी हो तो हम सोच विचार लेंगे और यदि कोई चीज हो तो हम नहीं कह सकते कि हम सीमेंट का कोटा बढ़ा देंगे।

अतारांकित प्रश्न

विकास खण्ड हरिगटनगंज, जिला फैजाबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण

1—श्री मित्र सैन—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास खंड हरिगटन गंज अन्तर्गत जनपद फैजाबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उसकी अन्य इकाइयों का भवन निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका है ? इस कार्य में विलम्ब का क्या कारण है ?

नोट :—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री लोकपति—

जी हां। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के आवासिक तथा अनावासिक भवनों के निर्माण की स्वीकृति शासन द्वारा दिसम्बर, 1979 में प्रदान की गयी थी। निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व कार्य का विस्तृत आगणन बनवाया जाता है तथा उस पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर टेंडर आमन्त्रित किये जाते हैं। इन औपचारिकताओं की पूर्ति में विलम्ब हो जाता है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कटघर, जिला गढ़वाल के कम्पाउण्डर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

2—श्री शंकर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सच है कि ग्राम ढ़ासी, पोस्ट ढासी, जिला गढ़वाल के निवासियों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कटघर ने पिछले तीन साल में अधिक समय से कार्यरत कम्पाउन्डर के विरुद्ध मरीजों की ठीक से देखभाल न करने, सरकारी अस्पताल के पलंगों और कमरों को मरीजों को न देने तथा उन्हें अपन निजी प्रयोग में लाने, दवाइयों की खुले बाजार में बिक्री करने युक्त भ्रष्टाचारों की शिकायती मेजरनामा जनवरी, 1980 में स्वास्थ्य मंत्री के पास भेजकर जनहित में उसका तुरन्त स्थानान्तरण करने की मांग की थी? यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही हुई है? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण हो जाने की संभावना है?

श्री लोकपति—

जी हां।

शिकायती पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के माध्यम से करायी गयी थी। जांच के फलस्वरूप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कटघर जिला पौड़ी गढ़वाल के फार्मिसिस्ट के विरुद्ध लगाये गये समस्त आरोप निराधार पाये गये हैं। अतः उसके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गेहूं की खरीद

3—श्री राम सागर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1978–79 और वर्ष 1979–80 में सरकार ने कृषकों से कितने गेहूं की खरीद की है?

श्री राम सिंह खन्ना—

सरकार ने कृषकों से वर्ष 1978–79 में 11,63,979 मी0 टन तथा वर्ष 1979–80 में 18,83,178 मी0 टन गेहूं की खरीद की है।

4—श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री जियाराम शुक्ल विकल साकेती—

[4 थे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

5—श्री जियाराम शुक्ल विकल साकेती, श्री प्रिय दर्शी जेतली तथा श्री शेरबहादुर सिंह—

[4थे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

6—श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी, डाक्टर शिवानन्द नौटियाल तथा श्री कुंवर सिंह नेगी—

[3रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

स्थानीय निकायों के टोल टैक्स के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान और टोल टैक्स की माफी से स्थानीय निकायों को आर्थिक क्षति

7—श्री वृद्धि नारायण सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लोकल बाडीज में टोल टैक्स में लगे हुए कर्मचारियो को किस मद से वेतन दे रही है अब वे क्या कर रहे हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना--

स्थानीय निकायों में टोल टैक्स की वसूली में लगे कर्मचारियों का वेतन स्थानीय निकाय के अधिष्ठान के मद से दिया जाता है। इस कार्य में लगे स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों को अन्य कार्यों में लगाया गया है ।

8--श्री वृद्धि नारायण सिंह--

क्या यह सही है कि टैक्स माफ होने के बाद लोकल बाडीज की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि जनता की अन्य सुविधाओं के अलावा कर्मचारियों का समय से वेतन भी नहीं मिल पा रहा है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

इस कर की समाप्ति के उपरान्त स्थानीय निकायों की शत प्रतिशत क्षतिपूर्ति नहीं हो पाई है जिसके कारण स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति पर कुप्रभाव पड़ा है। कतिपय स्थानीय निकायों से कर्मचारियों के वेतन आदि के भुगतान में कठिनाई उत्पन्न होने की भी सूचना प्राप्त हुई है ।

9--श्री वृद्धि नारायण सिंह--

क्या टोल टैक्स माफ कर देने से लोकल बाडीज की जो आर्थिक क्षति हुई है उसे सरकार पूरा करने वाली है या नहीं ?

श्री राम सिंह खन्ना--

टोल टैक्स माफ कर देने से नगर क्षेत्र समितियों एवं अधिसूचित क्षेत्र समितियों को हुई क्षति का लगभग 80 प्रतिशत तथा नगरपालिकाओं को 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में प्रतिमाह दिया जाता है। इस अनुदान की धनराशि में वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

देवरिया जिले के तहसील सलेमपुर में सस्ते गल्ले की दुकान का आवंटन

10--श्री कुबेर तथा श्री हरिवंश सहाय--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला देवरिया तहसील सलेमपुर में 1 जनवरी, 1980 से 20 जून, 1980 के बीच कितने सस्ते गल्ले की दूकानें आवंटित की गई ? क्या सरकार आवंटित दुकानों की लिस्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

देवरिया जनपद में 1 जनवरी, 1980 से 20 जून, 1980 की अवधि में कुल 23 सस्ते गल्ले की दुकानें आवंटित की गई, जिनकी सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 288 पर)

डाक्टर ए0 एन0 सिंह, अधीक्षक, जिला अस्पताल, हरदोई के विरुद्ध शिकायती-पत्र

11--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि श्री ए0एन सिंह, अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, हरदोई के विरुद्ध वर्ष 1979 व 1980 दवाओं में की गयी अनियमितताओं व भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें शासन व निदेशक आदि को प्राप्त हुई हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति--

डा0 ए0 एन0 सिंह, अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, हरदोई के विरुद्ध वर्ष 1979 व 1980 में दवाओं में की गई अनियमितताओं व भ्रष्टाचार की कोई शिकायत शासन अथवा स्वास्थ्य निदेशक को प्राप्त हुई, प्रतीत नहीं होती। अतः कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जिला वाराणसी के धौकलगंज का डाक्टर विहीन अस्पताल

12—श्री ऊदल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एलोपैथिक अस्पताल, दादूपुर (धौकलगंज) ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी में कोई डाक्टर शुरू से नहीं भेजा गया है ? यदि हां, तो डाक्टर कब तक भेज दिया जायेगा ?

श्री लोकपति—

डाक्टर की तैनाती दो बार की गई । इस समय पद रिक्त है जिसे शीघ्र भरने का प्रयास किया जा रहा है ।

महिला अस्पताल, लखनऊ के कर्मचारियों का अवशेष वेतन

13—श्री गुलाब सेहरा—

तृतीय सत्र 1978 के प्रथम गुरुवार के नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या 19 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि संबंधित स्वास्थ्य निरीक्षिका के वेतन निर्धारण अवशेष जो रु0 1099.70 पैसे है, का भुगतान अभी (2 जुलाई, 1980) नहीं किया गया है ? यदि हां, तो भुगतान के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और कब तक भुगतान कर दिया जायगा ?

श्री लोकपति—

जी हां । सम्बन्धित स्वास्थ्य निरीक्षिका के वेतन निर्धारण अवशेष से सम्बन्धित रु0 1099.70 पैसे का बिल पूर्व सम्प्रेक्षण हेतु महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को भेजा गया था परन्तु महालेखाकार द्वारा कतिपय आपत्तियों के साथ उसे वापस कर दिया गया था । महालेखाकार की आपत्तियों का निराकरण करने के उपरान्त पुनरीक्षित बिल जो रु0 1099.70 के स्थान पर अब रु0 885.87 पैसे रह गया है पूर्व सम्प्रेक्षण हेतु महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को पुनः भेज दिया गया है । पूर्व सम्प्रेक्षण के उपरान्त उक्त बिल महालेखाकार से प्राप्त होने पर सम्बन्धित स्वास्थ्य निरीक्षिका को भुगतान कर दिया जायेगा ।

देवरिया जिले के सस्ते गल्ले की दुकानों के विरुद्ध कायम किया गया मुकदमा

14—श्री हरिवंश सहाय तथा श्री कुबेर—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिलान्तर्गत कितने सस्ते गल्ले के दुकानदारों के खिलाफ 1 जनवरी, 1980 से 30 मई, 1980 के बीच आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत तथा सामानों की चोर बाजारी में बेचने के जुर्म में मुकदमा कायम हुआ तथा कितनी दुकानें निलंबित हुई ? क्या कुछ दुकानों के खिलाफ शिकायतें वापस की गई? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अजीत सिंह सेठी—

जनपद देवरिया में 18 सस्ते गल्ले के दुकानों के खिलाफ 1 जनवरी, 1980 से 30 मई; 1980 के बीच आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत तथा सामानों को चोर-बाजारी में बेचने के जुर्म मे मुकदमा कायम हुआ तथा 52 दुकानें निलम्बित हुई । किसी भी दुकान के खिलाफ शिकायत वापस नहीं ली गई ।

विकास खण्ड डुमरियागंज व भवनापुर, जिला बस्ती में अस्पताल खोलने की मांग

15—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विकास खण्ड डुमरियागंज तथा भनवापुर में सरकारी अस्पताल खोलने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति—

जनपदों में सरकारी अस्पताल खोलने के कई सुझाव आये हैं। इस वित्तीय वर्ष में कुछ नये अस्पताल खोले जायेंगे। नये अस्पतालों के स्थान निश्चित करते समय विकास खण्ड, डुमरियागंज तथा भनवापुर पर भी विचार कर लिया जावेगा।

तहसील डुमरियागंज, जिला बस्ती में मिट्टी के तेल की दुकानें

16—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि डुमरियागंज तहसील, जनपद बस्ती में कुल कितनी मिट्टी के तेल की दुकानें हैं? तथा वह किस गांव में किस नाम से है? क्या इसकी सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री राम सिंह खन्ना—

तहसील डुमरियागंज जनपद बस्ती में कुल 348 मिट्टी के तेल की दुकानें हैं जिनमें 3 थोक लाइसेंसी तथा 345 फुटकर लाइसेन्सी हैं। प्रत्येक दुकानदार का नाम तथा उनके ग्राम के नाम का विवरण †संलग्न सूची में दिया गया है।

बरेली मण्डल में खाद्य पदार्थ के लिये गये नमूने

17—श्री शिव प्रताप सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि बरेली मण्डल में खाद्य अपमिश्रण योजना के अन्तर्गत लिए गए नये नमूने जो वर्ष 1976-77, 1977-78 के अन्तर्गत मिलावटी पाए गए उन्हें कतिपय खाद्य निरीक्षकों ने न्यायालय में दोषी व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन नहीं प्रस्तुत किया है? यदि हां, तो अन्य कितनी अपमिश्रित रिपोर्ट थी जिनमें मुकदमें नहीं चलाए गये और इस असंगति के लिए कौन व्यक्ति उत्तरदायी है?

श्री लोकपति—

प्राप्त सूचना के अनुसार बरेली मण्डल के मुरादाबाद जिले में वर्ष 1976-77 में 6 तथा वर्ष 1977-78 में 5 और बरेली जिले में वर्ष 1976-77 में 34 तथा वर्ष 1977-78 में 7 ऐसे मामले पाये गये जिनमें अपमिश्रित पाये गये नमूनों के प्रति सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही नहीं की गई। इस असंगति के लिए मुरादाबाद के दो तथा बरेली के 19 खाद्य निरीक्षक उत्तरदायी पाये गये।

आजमगढ़ जिले के विकास खण्ड, अजमतगढ़ व हरैया में सस्ते गल्ले की दुकानें

18—श्री पंचानन—

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के अजमतगढ़ तथा हरैया ब्लाक में सरकारी सस्ते गल्ले की अलग-अलग कितनी दुकानें हैं तथा वे किन-किन न्याय पंचायतों में हैं और वहां मिट्टी के तेल के कौन-कौन लाइसेन्सदार हैं और उन्हें किन-किन न्याय पंचायत में तेल वितरित करना है? क्या इन ब्लाकों में केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार की भी कोई दुकान है?

श्री अजीत सिंह सेठी—

ब्लाक अजमतगढ़ में 51 तथा हरैया में 78 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें हैं। न्याय-पंचायतवार दुकानों का विवरण संलग्न† है।

मिट्टी के तेल के फुटकर लाइसेन्सदारों के नाम की सूची ब्लाकवार एवं न्याय पंचायत वार संलग्न है। जो दुकानदार जिस न्याय पंचायत में कार्यरत दिखाये गये हैं वे उसी न्याय पंचायत में मिट्टी तेल वितरित करते हैं।

जी नहीं।

---

†छापा नहीं गया।

19—श्री रियासत हुसैन—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

प्रदेश एवं लखनऊ में गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस से हुयी मृत्यु

20—श्री मोहन सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि मई, 1980 से जून, 1980 के बीच लखनऊ जिले में गेस्ट्रो नामक महामारी से कितने व्यक्ति मरे ? यह बीमारी प्रदेश के किन-किन भागों में फैली और इसकी रोक-थाम के लिए शासन ने क्या-क्या उपाय किए ?

श्री लोकपति—

लखनऊ जनपद में साप्ताहान्त 3 मई, 1980 से साप्ताहान्त 28 जून, 1980 के बीच 10 व्यक्तियों की मृत्यु गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस से हुई ।

उक्त अवधि में संलग्नक में दर्शाये गये अन्य 28 जनपद भी गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस से प्रभावित हुए हैं जिनमें 29 जिलों में कुल 199 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है । शेष 9 जिलों में कोई मृत्यु नहीं हुई बीमारी की रोकथाम एवं उपचार के लिये निम्नलिखित कार्यवाहियां की गई :—

1—हैजा निरोधी टीके लगाये गये ।

2—पेयजल के विसंक्रमण को सुनिश्चित किया गया ।

3—रोगियों की आवश्यक उपचार व्यवस्था की गई ।

4—सफाई अभियान चलाया गया ।

5—बीमारी से बचाव के लिये नागरिकों को समाचार पत्रों, रेडियो तथा हैन्डबिल्स के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा दी गई ।

6—केसेज की खोज के लिये सर्वेक्षण कार्य में तीव्रता लाई गई ।

7—सभी सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बीमारी की रोकथाम एवं उपचार सम्बन्धी कार्यवाहियों को शीघ्र सुनिश्चित करने तथा उनमें शिथिलता न बरतने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया ।

8—सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा रोकथाम सम्बन्धी किये गये कार्यों का समय-समय पर सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया और उन्हें आवश्यक निर्देश दिये गये ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 289 पर)

गढ़वाल जल संस्थान को देहरादून शहर से आय एवं व्यय

21—श्री द्वारिका नाथ धवन—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्ष में देहरादून शहर से गढ़वाल जल संस्थान को कितनी आय हुई तथा संस्थान का शहर पर कितना व्यय हुआ है पिछले तीन वर्षों की पूरे गढ़वाल मण्डल की संस्थान का आय-व्यय क्या है तथा इसी अवधि में देहरादून जिले की संस्थान का आय-व्यय क्या है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

पिछले तीन वर्षों में देहरादून शहर में गढ़वाल जल संस्थान को निम्न आय और व्यय हुआ :—

वर्ष	आय	व्यय
	रु0	रु0
1977–78	41,42,608	42,36,169
1978–79	45,54,582	41,83,496
1979–80	52,88,950	49,30,709

पिछले तीन वर्षों में पूरे गढ़वाल जल संस्थान का आय-व्यय निम्न प्रकार है:—

वर्ष	आय	व्यय
	रु0	रु0
1977–78	88,31,973	1,42,87,588
1978–79	1,30,19,656	1,65,56,195
1979–80	1,50,18,156	1,90,53,029

पिछले तीन वर्षों में देहरादून जिले की संस्थान के आय-व्यय इस भांति रहा—

वर्ष	आय	व्यय
	रु0	रु0
1977–78	61,14,725	81,35,342
1978–79	70,13,262	82,59,578
1979–80	81,33,858	1,07,31,111

चमोली जिले के डाक्टर विहीन अस्पताल एवं डिस्पेंसरी

22—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला चमोली के किन-किन अस्पतालों एवं डिस्पेंसरीज में 30 जून, 1980 को डाक्टरों के कितने स्थान रिक्त थे और उनको भरे जाने के लिये शासन की ओर से क्या कार्यवाही की गयी है तथा कब तक सभी स्थान भरे जाने के लिए आदेश दे दिए जाने की सम्भावना है ?

श्री लोकपति—

जिला चमोली में 30–6–80 को निम्नलिखित अस्पतालों एवं डिस्पेंसरीज में उनके नाम के सम्मुख अंकित डाक्टरों के स्थान रिक्त थे:—

नाम अस्पताल	रिक्त स्थानों की संख्या
1—प्रा0 स्वा0 केन्द्र, पोखरी	1
2—प्रा0 स्वा0 केन्द्र, थराली	1
3—राज0 चिकि0, गौरी कुंड	1
4—राज0 चिकि0, गुप्त काशी	1
5—राज0 चिकि0, धिमतौली	1
6—राज0 चिकि0, सतेराखाल	1
7—राज0 चिकि0, पठालोधार	1
8—राज0 चिकि0, सैलेश्वर	1
9—राज0 चिकि0, भटौली	1
10—राज0 चिकि0, चोपता (रैंस)	1
11—राज0 चिकि0, जैन विष्ट	1
12—राज0 चिकि0, बोरा गाड़	1
13—राज0 चिकि0, मेहल चौरी	1
14—राज0 चिकि0, मोख	1

नाम अस्पताल	रिक्त स्थानों की संख्या
15—राज0 चिकि0, कांडई दशौली	1
16—राज0 चिकि0, बद्रीनाथ	1
17—राज0 चिकि0, बाम्पा	1
18—राज0 चिकि0, धांधरिया	1
19—राज0 चिकि0, चमोली	1
20—जिला अस्पताल, गोपेश्वर	6
21—प्रसवोत्तर केन्द्र, जिला अस्पताल	1
22—जिला क्षयरोग अधिकारी	1

उपरोक्त पद नव नियुक्त चिकित्साधिकारियों के कार्यभार ग्रहण न करने के कारण रिक्त रहे हैं। सभी पद भरने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है।

टेहरी जिले के डाक्टर विहीन अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं डिस्पेंसरी

23—श्री विद्यासागर नौटियाल—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी-गढ़वाल जिले के कितने अस्पतालों, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों तथा डिस्पेंसरियों में इस समय डाक्टर नियुक्त नहीं हैं और कितने डाक्टरों ने नियुक्त होने के उपरांत ज्वाइन नहीं किया है तथा क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इन रिक्त स्थानों को कब तक भरा जायेगा ?

श्री लोकपति—

जिला टेहरी गढ़वाल के अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा डिस्पेंसरियों में चिकित्साधिकारी के 23 पद रिक्त हैं। इसके अतिरिक्त जिला अस्पताल के अधीक्षक का भी एक पद रिक्त है। 9 चिकित्साधिकारियों ने नियुक्ति होने के उपरांत कार्यभार ग्रहण नहीं किया। रिक्त पदों को भरने के बारे में कार्यवाही की जा रही है और उन पर शीघ्र नियुक्ति कर दी जायेगी।

महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कालेज, झांसी में कथित नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल

24—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कालेज, झांसी में नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल स्वीकृत है ? यदि हां, तो उसमें विधिवत प्रशिक्षण क्यों नहीं हो रहा है ? क्या स्वास्थ्य मन्त्री शीघ्र ही इस प्रशिक्षण को प्रारम्भ करायेंगे ?

श्री लोकपति—

महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज झांसी में नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल स्वीकृत नहीं है। अतः उसमें विधिवत् प्रशिक्षण प्रारम्भ कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के पुनर्गठन की मांग

25—डाक्टर रामकृष्ण उपाध्याय—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतायेंगे कि ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के पुनर्गठन पर सरकार पुनर्विचार कर रही है ? क्या सरकार को ऐसी भी रिपोर्ट गत वर्षों में मिली है कि इस योजना का लाभ ग्रामीण को नहीं मिल रहा है ?

श्री लोकपति—

यह केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना है, अतः इसके पुनर्गहन पर भारत सरकार द्वारा ही विचार किया जा सकता है। यह ठीक है कि मूल्यांकन के आधार पर ग्रामीणों को इस योजना से लाभ नहीं मिल पा रहा है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भनवापुर में सी० सी० एच० बी० का प्रशिक्षण

26--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र, भनवापुर, जनपद बस्ती के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भनवापुर में पिछले 6 महीनों में स्वास्थ्य केन्द्र का चार्ज किन-किन लोगों के पास रहा ? क्या यह भी सत्य है कि द्वितीय मेडिकल आफीसर श्री श्रीवास्तव के पास भी उस स्वास्थ्य केन्द्र का चार्ज रहा और उन्होंने अपने समय में 150 सी० सी० एच० बी० की नियुक्ति प्रशिक्षण हेतु किया है ? यदि हां, तो उनमें कितनों को माहवारी भत्ता दिया गया और उन्हें ट्रेनिंग करते हुए कितने दिन हो रहे हैं ?

श्री लोकपति--

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भनवापुर का चार्ज पिछले छः महीनों में डा० एस० सी० राय तथा डा० एस० एन० श्रीवास्तव के पास रहा है ।

जी, हां।

इसके बारे में जानकारी की जा रही है ।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय में औषधियों के निर्माण हेतु लम्बित प्रार्थना-पत्र

श्री राम आसरे वर्मा---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा निदेशालय में आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियों के निर्माण हेतु लाइसेन्स सम्बन्धी कितने प्रार्थना-पत्र इस समय लम्बित है ? लम्बित प्रार्थना पत्रों पर अब तक निर्णय न लिये जाने के कारण क्या सरकार को राजस्व हानि उठानी पड़ी है ? यदि हां, तो इसके लिए उत्तरदायी कौन है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी तथा लम्बित प्रार्थना-पत्र कब तक निपटा दिए जायेंगे ।

श्री लोकपति---

जुलाई, 1980 तक कुल 1446 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे । उनमें से कुल 1057 प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण हो चुका है। निदेशालय स्तर पर 40 प्रार्थना-पत्र लम्बित हैं। शेष 349 प्रार्थना-पत्र सम्बन्धित फार्मेसियों द्वारा विभिन्न औपचारिकताएं एवं अपेक्षित अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति न किये जाने के कारण लम्बित पड़े हैं ।

2--- ड्रग ऐक्ट के प्राविधानों के अधीन औपचारिकताओं की पूर्ति हो जाने के बाद ही औषधि निर्माण लाइसेंस प्रदान किया जा सकता है । अतः संबंधित प्रार्थना पत्रों-पर निर्णय न लिये जाने के कारण सरकार की राजस्व की हानि होने का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है। लाइसेन्सिंग अधिकारी अपेक्षित औपचारिकताओं की पूर्ति हो जाने के बाद भी लाइसेन्स प्रदान करने के लिये सक्षम है। अतः किसी को उसके लिए उत्तरदायी ठहराना अथवा उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

3--निदेशालय स्तर पर लम्बित प्रार्थना-पत्रों पर एक माह के अन्दर निर्णय ले लिया जायेगा । जो मामले प्रार्थी फार्मेसियों के स्तर पर आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु लम्बित पड़े हुए हैं उनके सम्बन्ध में ड्रग ऐक्ट के प्राविधानों के अधीन सम्बन्धित फार्मेसियों को निश्चित समय दे दिया जायेगा और उसके बाद नियमानुसार निर्णय ले लिया जायेगा।

जल निगम, गोरखपुर के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध शिकायती-पत्र

28--श्री नन्द किशोर सिंह तथा श्री कुबेर--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व विधान सभा के लगभग 18 विधायकों ने जो आरोप-पत्र पूर्व मुख्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश को अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी निर्माण शाखा, उत्तर प्रदेश जल निगम, गोरखपुर के विरुद्ध विभिन्न भ्रष्टाचारों के आरोपों की जांच के सम्बन्ध में दिया था तथा जिसे मुख्य मन्त्री के कार्यालय के पत्र सं0 2774, दिनांक 6 जून, 1979 द्वारा उचित कार्यवाही हेतु स्वायत्त शासन मन्त्री, उत्तर प्रदेश को भेजा गया था, में जांचोपरांत किन-किन आरोपों को सही पाया गया और सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि 30मई, 1979 से लेकर 30 जून, 1980 के बीच, कुल कितने शिकायती-पत्र उस अधिकारी के विरुद्ध स्वायत्त शासन सचिव, उत्तर प्रदेश को जांच एवं कार्यवाही हेतु प्राप्त हुए हैं तथा उन पत्रों में उल्लिखित मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं, उस पर क्या कार्यवाही की गई ? और नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

अधिशासी अभियन्ता अस्थाई निर्माण शाखा, उ0 प्र0 जल निगम, गोरखपुर के विरुद्ध आरोपों से सम्बन्धित मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र सं0 2774, दिनांक 6-6-79 एवं उससे संलग्न 18 विधायकों का संयुक्त हस्ताक्षरित आरोप पत्र तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्री जी के कार्यालय से प्राप्त नहीं हुआ। कथित आरोप-पत्र की प्रतिलिपि श्री बी0 के0 नायक, मंत्री, पूर्वांचल विकास परिषद्, गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिकायती पत्र के साथ प्राप्त हुई है।

दिनांक 30 मई, 1979 से लेकर 30 जून, 1980 तक उक्त अधिकारी के विरुद्ध दो शिकायती पत्र प्राप्त हुए। इन शिकायती पत्रों में उल्लिखित मुख्य-मुख्य शिकायतों की तालिका संलग्न है। तालिका में उल्लिखित शिकायतों एवं श्री नायक के शिकायती पत्र के साथ प्राप्त 18 विधायकों के संयुक्त हस्ताक्षरित आरोप पत्र के सम्बन्ध में जांच कराई जा रही है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 290 पर)

जौनपुर जिले के डिप्टी सी0 एम0 ओ0, डाक्टर डी0 एन0 श्रीवास्तव का कार्यकाल

29--श्री जर्नादन प्रसाद ओझा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला जौनपुर में डिप्टी सी0एम0ओ0 (डा0 डी0एन0 श्रीवास्तव) जनपद में 8 वर्ष से नियुक्त हैं और उनके विरुद्ध अनेक शिकायतें होने के बाद भी अभी तक स्थानान्तरण नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

जी हां, डा0 डी0 एन0 श्रीवास्तव, डिप्टी सी0 एम0 ओ0 जौनपुर के पद पर माह फरवरी, 1974 से कार्यरत थे इनका स्थानान्तरण उप मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती के रिक्त पद पर शासनादेश दिनांक 14 अगस्त, 1980 द्वारा कर दिया गया है। इनके विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच की जा रही है।

मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहांपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र

30--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, चिकित्सा विभाग को मई, 80 के प्रथम पखवारे में श्री हरीश, पत्रकार, शाहजहांपुर की ओर से सी0एम0ओ0, शाहजहांपुर

के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमिततायें किए जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र मिला? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लोकपति—

श्री हरीश का शिकायती पत्र दिनांक 12-5-1980 शासन को प्राप्त हुआ। उक्त शिकायती पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है। शिकायतों की जांच अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक (चिकित्सा शिक्षा) ने की है। औषधियों के क्रय में कथित अनियमितताओं के बारे में स्वास्थ्य सेवा निदेशालय का सम्प्रेक्षा दल विशेष सम्प्रेक्षण कर चुका है। इसकी आख्या अपेक्षित है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय के सम्पूर्ण लेखों का सम्प्रेक्षण महालेखाकार के सम्प्रेक्षा दल द्वारा किया गया तथा इसकी रिपोर्ट भी अपेक्षित है। इस रिपोर्ट के प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही किया जाना संभव होगा।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 292 पर)

तहसील पूरनपुर, जिला पीलीभीत में दिये गये डीजल के परमिट

31—डाक्टर विनोद कुमार तिवारी—

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद पीलीभीत की पूरनपुर तहसील में सन् 1979-80 में डीजल के कितने विशेष परमिट जारी किए गए? तथा इन परमिटों पर कुल कितना डीजल प्रदान किया गया ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जनपद पीलीभीत की पूरनपुर तहसील में माह अप्रैल, 1979 से जून, 1980 तक कुल 841 विशेष परमिट जारी की गयी और इन परमिटों पर कुल 140649 लिटर हाई स्पीड डीजल प्रदान किया गया है।

तहसील रानीखेत में चिकित्सक विहीन चिकित्सालय

32—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि रानीखेत तहसील में कितने राजकीय चिकित्सालय हैं जिनमें चिकित्सक नहीं हैं और केवल कम्पाउण्डर हैं? क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि उक्त अस्पतालों में कब तक डाक्टरों की व्यवस्था हो जायेगी ?

श्री लोकपति—

रानीखेत तहसील में निम्नलिखित चिकित्सालयों में चिकित्सक नहीं हैं और केवल कम्पाउन्डर कार्यरत हैं:—

1—राजकीय चिकित्सालय	.. .. ..	नौधर
2—राजकीय चिकित्सालय	.. .. ..	पिलखोली
3—राजकीय चिकित्सालय	.. .. ..	मछोह
4—राजकीय चिकित्सालय	.. .. ..	नैल
5—राजकीय चिकित्सालय	.. .. ..	खरईखेत
6—राजकीय चिकित्सालय	.. .. ..	छीना पाखुड़ा
7—राजकीय चिकित्सालय	.. .. ..	बरकिन्डा
8—राजकीय चिकित्सालय	.. .. ..	जौरासी
9—राजकीय चिकित्सालय	.. .. ..	चिनौली
10—महिला चिकित्सालय	.. .. ..	सल्ट

इन्टीग्रेटेड चिकित्सालय:—

11—सिनोडा
12—विनायक
13—स्याल्दे

[illegible] इनमें से कुछ चिकित्सालयों में चिकित्सकों की तैनाती के आदेश जारी किये जा चुके हैं। शेष रिक्तियों को भी भरने का प्रयास किया जा रहा है और यथाशीघ्र इन पर भी तैनाती के आदेश निर्गत होंगे।

33—श्री जसवन्त सिंह [illegible]—
[6ठें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

फैजाबाद जिले के ग्राम बेवाना, धोरुआ, लौरपुर के लिये पेयजल योजना की मांग

34—श्री जियाराम शुक्ल विकल साकेती तथा श्री प्रिय दर्शी जेतली—
क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बातने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर, जिला फैजाबाद के ग्राम बेवाना, धोरुआ, लोरपुर, सिकन्दरपुर में पानी की टंकी लगाकर पेयजल समस्या के हल के लिए कोई योजना बनी थी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री राम सिंह खन्ना—
अकबरपुर, जिला फैजाबाद के ग्राम बेवाना, धोरुवा, लौरपुर एवं सिकन्दरपुर में पानी की टंकी लगाकर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना विभाग द्वारा प्रस्तावित नहीं है।

जिला अस्पताल, हरदोई के औषधि वितरण भण्डार के फार्मेसिस्ट

35—श्री राम आसरे वर्मा—
क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला चिकित्सालय, हरदोई के औषधि वितरण स्टोर में सीनियर फार्मेसिस्ट की नियुक्ति न करके उससे जूनियर फार्मेसिस्टों को किस आधार पर नियुक्त किया गया है? क्या सरकार को जानकारी है कि दवाओं के वितरण में भारी घपला किया जाता है? यदि हां, तो इसकी आकस्मिक जांच कराई जायगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति—
औषधि वितरण भण्डार में केवल वरिष्ठता के आधार पर ही फार्मेसिस्टों को नियुक्त करने के सम्बन्ध में कोई नियम अथवा आदेश नहीं है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से सम्बन्धित चिकित्सालयों के अधिकारियों को चिकित्सालय के फार्मेसिस्टों को विभिन्न विभागों में तैनात करने पर पूर्ण अधिकार है।

जिला चिकित्सालय, हरदोई में दवाओं के वितरण में घपले की कोई शिकायत न मिलने के कारण आकस्मिक जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद में प्रतिनियुक्त जूनियर अभियन्ता

36—श्री हरगोविन्द वर्मा—
क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में इस समय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत जूनियर अभियन्ताओं की संख्या क्या है?

श्री राम सिंह खन्ना—
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में इस समय 14 जूनियर अभियन्ता प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मछली शहर के मेडिकल आफिसर, डा० एस० सी० पालीवाल का कार्य काल

37—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला जौनपुर में मछली शहर पी० एच० सी० के द्वितीय मेडिकल आफिसर (डाक्टर एस० सी० पालीवाला) कितने वर्ष से वहां पर कार्यरत हैं और अभी तक स्थानान्तरण क्यों नहीं किया गया है ?

श्री लोकपति—

जिला जौनपुर में मछलीशहर पी० एच० सी० के द्वितीय मेडिकल आफिसर डा० एस० सी० पालीवाल उक्त पद पर दिनांक 17-9-1974 से कार्यरत है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से अभी इनका स्थानान्तरण आवश्यक नहीं समझा गया है अतः इन्हें स्थानान्तरित नहीं किया गया है।

वाराणसी नगर में बन्द की गयी पेयजल आपूर्ति

38—श्री ऊदल—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 5 जुलाई, से 9 जुलाई, 80 तक वाराणसी नगर में पेयजल की आपूर्ति एक दम बन्द हो गयी थी? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी और उन कारणों का पता मिला कि क्यों ऐसा हुआ क्या कुछ लोग इसके लिये दोषी भी पाये गये ? उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रामसिंह खन्ना—

जी नहीं। 5 जुलाई, से 9 जुलाई, 80 तक वाराणसी नगर में पेयजल की आपूर्ति एक-दम नहीं बन्द हुई बल्कि कुछ समय के लिए विद्युत आपूर्ति में अवरोध होने कारण जल आपूर्ति में भी व्यवधान पैदा होता रहा ।

इस वर्ष प्रदेश में सूखे की विषम स्थिति के फलस्वरूप विद्युत आपूर्ति की दशा संतोष-जनक नहीं रही और इसका प्रतिकूल प्रभाव पेयजल व्यवस्था पर भी पड़ा। जनता को पेय-जल की आपूर्ति बनाये रखने हेतु शासन द्वारा जल संस्थानों को अधिक से अधिक समय तक बिजली उपलब्ध कराने हेतु प्रयास किया गया फिर भी परिस्थितियोंवश विद्युत् आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न होता रहा ऐसी दशा में उसके लिए किसी कर्मचारी के दोषी पाये जाने तथा उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

बड़ागांव बाजार, वाराणसी की पेयजल योजना

39—श्री ऊदल—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बड़ा गांव बाजार, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी में एक पेयजल योजना बहुत दिनों से विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस योजना को कब से कार्यान्वित किया जायेगा ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां, बड़ागांव ब्लाक, जिला वाराणसी में एक पेयजल योजना "बड़ाग्राम ग्राम समूह पेयजल योजना" के नाम से विचाराधीन है। इसका कार्यान्वयन जनवरी, 1978 से प्रारम्भ कर दिया गया है। योजना के अन्तर्गत बड़ागांव, भगवानपुर, वसनी तथा रामपुर ग्रामों को मई, 79 से पेयजल की व्यवस्था कर दी गई है।

परगनाधिकारी, कालपी नगरपालिका की जीप के पेट्रोल पर व्यय की गयी धनराशि

40—श्री शंकर सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि जालौन जनपद की कालपी नगरपालिका से कितना रुपया इस वर्ष परगना अधिकारी की जीप की मरम्मत तथा पेट्रोल के लिए खर्च किया गया ?

श्री राम सिंह खन्ना--

चालू वित्तीय वर्ष 1980-81 में परगनाधिकारी-कालपी, जो कि नगरपालिका-कालपी के प्रभारी अधिकारी भी हैं, को जीप की मरम्मत तथा पेट्रोल पर अभी तक नगर-पालिका कोष से क्रमशः रु0 5272 एवं रु0 90-40, कुल रु05362-40 व्यय किया गया है।

रामपुर नेशनल हाई वे के किनारे आवास एवं विकास परिषद् की कालोनी का कथित निर्माण

41--श्री जीराज सिंह मौर्य--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर नेशनल हाइवे रोड के किनारे आवास विकास निगम द्वारा जो कालोनी बनाई गयी है, उसमें कितने लोगों की कितनी-कितनी भूमि आवास विकास निगम द्वारा अधिग्रहीत की गयी और कितनी-कितनी धनराशि मुआवजे के रूप में दी गयी है? जिन लोगों का मुआवजा शेष है उसका मुआवजा क्या है? यह धनराशि शासन को कब तक अदा करनी है?

श्री राम सिंह खन्ना--

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा रामपुर नेशनल हाइ-वे रोड के किनारे कोई आवासीय योजना प्रस्तावित नहीं की गई है। अतः उक्त भू-स्थल पर भूमि का अधिग्रहण एवं मुआवजे के वितरण का कोई प्रश्न ही नहीं है।

स्वास्थ्य निरीक्षकों की नियुक्ति के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र

42--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें जुलाई, 1980 से कितने विधायकों के पत्र इस आशय के प्राप्त हुए कि स्वास्थ्य निरीक्षक के पद पर नियुक्ति में पक्षपात एवं भेदभाव-पूर्ण रवैया अख्तियार किया जा रहा है और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की?

श्री लोकपति--

माह जुलाई, 1980 में शासन तथा संयुक्त निदेशक (मलेरिया) को किसी विधायक का इस विषय पर कोई शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ। शेष प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिका, गौरा बरहज, जिला देवरिया के मार्ग का निर्माण

43--श्री मोहन सिंह--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को पता है कि वित्तीय वर्ष 1977-78 में उत्तर प्रदेश शासन ने नगरपालिका गौरा-बरहा (देवरिया) को दो लाख रुपए का सड़क अनुदान दिया था, जो बरहा से गौरा मार्ग पर खर्च होना था? यदि हां, तो नगरपालिका गौरा बरहज (देवरिया) ने इसमें से कितनी धनराशि खर्च कर कितनी लम्बी सड़क का निर्माण किया है? शेष मार्ग कितने दिनों में पूरा हो जाएगा।

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां। नगरपालिका-गौरा बरहज को वर्ष 1977-78 में 2 लाख रुपये का सड़क अनुदान स्वीकृत किया गया था उक्त धनराशि में से पालिका द्वारा अब तक 1,49,528-57 व्यय करके एक कि0 मीटर सड़क का निर्माण कराया जा चुका है तथा आधा किलोमीटर सड़क का कार्य अर्धनिर्मित स्थिति में है। अवशेष सम्पूर्ण कार्य 31 मार्च, 1981 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

अकबरपुर, फैजाबाद में डाक्टर गणेश कृष्ण जेतली स्मारक राजकीय महिला एवं पुरुष अस्पताल का निर्माण

44—श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री जियाराम शुक्ल बिकल साकेती—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर, जिला फैजाबाद में बन रहे डा0 गणेश कृष्ण जेतली स्मारक राजकीय महिला एवं पुरुष चिकित्सालय के लिए भवन निर्माण तथा अस्पताल सम्बन्धित अन्य सामानों के लिए कब-कब कितना धन विभाग द्वारा दिया गया है और अब तक कितना कार्य पूरा हो सका है ?

श्री लोकपति—

इस चिकित्सालय के भवन निर्माण के लिये वर्ष 1977 में 9.57 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई थी जिसका व्यय विवरण निम्न प्रकार है :

(1)	वर्ष 1977–78 में	21,405
(2)	वर्ष 1978–79 में	3,01,545
(3)	वर्ष 1979–80 में	3,03,200
	योग ..	6,26,150

उक्त भवन के निर्माण-कार्य की प्रगति अब तक 75 प्रतिशत है।

अस्पताल से सम्बन्धित अन्य सामानों के लिये सम्प्रति कोई अतिरिक्त धन नहीं दिया गया है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुरोध किया जा रहा है कि निर्माणाधीन अस्पताल भवन को शीघ्र पूरा करके चिकित्सा विभाग को हस्तांतरित कर दें।

तालकटोरा, लखनऊ के आवास विकास परिषद् की कालोनी के भवन को क्षति

45—श्री चन्द्रशेखर त्रिवेदी—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को जानकारी है कि लखनऊ की तालकटोरा हाउसिंग बोर्ड की कालोनी में निर्मित दुर्बल वर्ग के 11 मकान इसी बरसात में गिर गये ? यदि हां, तो इसके निर्माण में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

आवास एवं विकास परिषद् की तालकटोरा (राजाजीपुरम्) हाउसिंग योजना, लखनऊ में दुर्बल आय वर्ग का कोई भवन इस बरसात में नहीं गिरा है। अतः दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

लखनऊ के राम सागर मिश्रा कालोनी के भवनों की छत

46—श्री चन्द्रशेखर त्रिवेदी—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को जानकारी है कि लखनऊ की राम सागर मिश्र (इन्दिरा नगर) कालोनी के 'सी' ब्लाक के 6 मकानों की छतें पिछले वर्ष गिर गयी थीं यदि हां, तो इसकी जांच कराई गयी और उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री राम सिंह खन्ना—

आवास एवं विकास परिषद् की राम सागर मिश्र नगर (इन्दिरानगर) कालोनी के "सी" ब्लाक में पिछले वर्ष किन्हीं भवनों की छतें गिरने की सूचना नहीं है। अतः मकानों की छतों के गिरन के सम्बन्ध में जांच कराने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उपमुख्य चिकित्साधिकारी, जौनपुर के विरुद्ध अर्द्ध शासकीय पत्र

47—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 9 मई, 1979 को सी0एम0 ओ0, जौनपुर ने कोई अर्द्धशासकीय पत्र डिप्टी सी0एम0 ओ0 (डा0 डी0एन0 श्रीवास्तव) के विरुद्ध स्वास्थ्य निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ को भेजा था ? उस सम्बन्ध में अभी तक कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति—

जी हां।

डाक्टर श्रीवास्तव के उप मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती के पद पर स्थानान्तरण के आदेश दिनांक 14-8-80 को जारी कर दिये गये हैं।

48—श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

टाऊन एरिया, भाटपार रानी, जिला देवरिया की तहबाजारी का ठेका

49—श्री हरिवंश सहाय—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि टाउन एरिया, भाटपार रानी, जिला देवरिया में सप्ताह में कितने दिन तथा किस स्थान पर बाजार लगती है तथा उसका ठेका वर्ष 1980-81 में कितने रुपए में किस ठेकेदार को दिया गया है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

टाउन एरिया भाटपाररानी, जिला देवरिया में सप्ताह में दो दिन मंगलवार एवं शुक्रवार को गुदरी बाजार के नाम से बाजार लगती है। टाउन एरिया की सीमा के अन्दर सड़कों की पटरी पर किनारे बैठकर भी दूकानदार सामान बेचते हैं जिसकी तहबाजारी वसूली के लिए नियमानुसार ठेका वर्ष 1980-81 में 49,000 रुपये में श्री कृष्ण देव यादव को दिया गया है।

50—श्री गोपाल राम दास—

[छठें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

गोरखपुर में धुधली स्टेशन के निकट बम विस्फोट की घटना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 301 के अन्तर्गत कुल 15 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 5 स्वीकृत हुई और शेष अस्वीकृत हुई हैं।

*श्री जर्नादन प्रसाद ओझा—

25-8-80 की रात में धुधली गोरखपुर स्टेशन के पास भयानक बम विस्फोट एवं 26-8-80 को प्रातः रेल पटरी के नीचे प्राप्त किये गये दो बम से क्षेत्र में व्यापक असंतोष एवं चिन्ता के संबंध में, मान्यवर, गत 25 अगस्त, 1980 की रात करीब 9.30 बजे जब ट्रेन मात्र बाहरी सिगनल के करीब लग चुकी थी धुधली रेलवे स्टेशन (गोरखपुर) के मुख्य फाटक पर भयानक बम विस्फोट हुआ, जिससे पूरे उपनगर में अंधेरा छा गया एवं जिसकी आवाज करीब 5 किलोमीटर की परिधि में सुनाई दी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा]

दूसरे दिन प्रात: करीब 7 बजे बम विस्फोट स्थल से करीब 50 मीटर स्टेशन की ओर दो बम पुन: देखे गये– एक ट्रेन पटरी के बीच एवं दूसरी पटरी के नीचे इस तरह रखा हुआ था कि ट्रेन के दबाव से बिस्फोट हो सके। सम्भवत: अधिक बरसात के कारण ही विस्फोट नहीं हो सकता।

यह घटना तोड़-फोड़ एवं रेलवे की पटरी को उड़ाकर ट्रेन को क्षति पहुंचाने के अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता। आश्चर्य है कि दोनों घटना स्थल स्टेशन एवं सिविल पुलिस स्टेशन से 100 मीटर के अन्दर ही है। जी0 आर0 पी0 एवं सिविल पुलिस सूचित है। जी0 आर0 पी0 ने बम बरामद किया है।

इस घटना से क्षेत्र में व्यापक असंतोष, असुरक्षा एवं भय का वातावरण उत्पन्न हो गया है। मैं इस अबिलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर घटना की तुरन्त जांच की मांग करता हूं।

मान्यवर, मैं एक शब्द और बढ़ाना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष—

अब आप पढ़ चुके। अब और बढ़ाने की प्रक्रिया न डालें।

बस्ती जिले के डुमरियागंज टाउन एरिया में जल भराव की स्थिति तथा पानी निकासी की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसूफ—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस आदरणीय सदन तथा सरकार का ध्यान डुमरियागंज टाउन जनपद बस्ती की ओर आकृष्ट करते हुए निवेदन करना चाहता हूं, सिचाई विभाग के बन्धे के बंध जाने से सारे टाउन का पानी टाउन के अन्दर ही भरा हुआ है। सैकड़ों मकानों के गिरने की आशंका पैदा हो गई है। थाना डुमरियागंज के पास एक मकान गिर भी गया। समूचा रोडवेज की बाउण्ड्री में तीन फुट पानी भरा हुआ है? सारी बसें सड़कों पर जाकर खड़ी होती है। पानी की निकासी न होने से पूरे टाउन में बदबू और सड़न की स्थिति पैदा हो गयी है। बाढ़ के मुख्य अभियन्ता और अधीक्षण अभियंता गोरखपुर श्री शेर सिह को मैंने मौके पर भी दिखाया इन्होंने तीन दिन के अन्दर पानी की निकासी ठीक कराने का आश्वासन भी यहां की क्षेत्रीय जनता को दिया। दो सप्ताह पूर्व अति वृष्टि से पानी स्थिति को मैंने अतिरिक्त जिला अधिकारी, बस्ती श्री रमाशंकर सिह जी को ले जाकर दिखाया, उन्होंने बाढ़ के अधिकारियों को लिखा था।

मान्यवर, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता श्री शेर सिह के कहने के बाद भी वहां के अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता बाढ़ के प्रति बिलकुल ही निष्क्रिय हैं। लगता है कि उच्च अधिकारियों की कोई पकड़ इन अभियन्ताओं पर नहीं है।

अत: मान्यवर, आप वहां की पीड़ित जनता की दशा को देखते हुए सख्त आदेश माननीय सिचाई मंत्री को दें कि वहां के पानी की निकासी की व्यवस्था तत्काल कराई जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद बाराबंकी के ग्राम गोड़ियन पुरवा में श्री भवानी प्रसाद के यहां पड़ी डकैती में थाना असन्दरा के एक दरोगा तथा एक सिपाही के होने व पुलिस उत्पीड़न के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

जनपद बाराबंकी के ग्राम गोड़ियन पुरवा में श्री भवानी प्रसाद के यहां पड़ी डकैती में थान. असन्दरा के एक दरोगा तथा एक सिपाही के होने व पुलिस उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम सागर—

मान्यवर, जनपद बाराबंकी के थाना असन्दरा के अन्तर्गत ग्राम गोड़ियन पुरवा मजरे सूर्यपुर के भवानी प्रसाद के यहां एक भीषण डाका पड़ा जिसमें भवानी प्रसाद डाकुओं की गोली के शिकार हो कर उसी समय घटनास्थल पर मर गये। मृतक की विधवा पत्नी व उनका नाबालिग पुत्र एवं गांव के लोगों ने पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को दिनांक 18 अगस्त को यह शिकायत की कि सम्बन्धित थाने के दरोगा व एक सिपाही इस डकैती में शामिल थे जिसे हम लोगों ने सम्बन्धित मामले का मजिस्ट्रेट के सामने कलम बन्द बयान भी दिया है किन्तु अब तक पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस के लोग मृतक भवानी प्रसाद की विधवा पत्नी, उसके नाबालिग पुत्र एवं गांव के लोगों को बयान बदलने का प्रयास एवं उत्पीड़न कर रहे हैं।

मान्यवर, आपके माध्यम से इस माननीय सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर दिलाते हुए मृतक भवानी प्रसाद जिसके घर हजारों की डकैती हुई और भवानी प्रसाद को मार दिया गया, उसकी उच्चस्तरीय जांच एवं सम्बन्धित लोगों के विरुद्ध तुरन्त गिरफ्तार करने की कार्यवाही किये जाने तथा भवानी प्रसाद के असहाय परिवार को ज्यादा से ज्यादा सहायता व सुरक्षा दिये जाने की मांग करता हूं।

आजमगढ़ के अतरौलिया विधान सभाई क्षेत्र में डकैतियां तथा अराजक तत्वों द्वारा उत्पात के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शम्भूनाथ—

आजमगढ़ जनपद में मेरे क्षेत्र अतरौलिया विधान सभा में दिनांक 2 अगस्त, 1980 से 27 अगस्त, 1980 तक चोरी एवं डकैतियों की भरमार हो गयी है। अराजकतत्व, क्रिमिनल गुंडे अशान्ति पर उतारू हो गये हैं। इतने दिनांक के अन्दर 10–15 चोरियां चार पांच डकैतियों में बमों का प्रयोग किया गया। पुलिस पूर्णतः उदासीन है और अपने कर्त्तव्य एवं दायित्वों का पालन नहीं कर रही है। अतरौलिया पुलिस ने यदि किसी की गिरफ्तारी भी की तो उन्हें छोड़ दिया। मधुआने ग्राम में पड़ी डकैती के मुलजिम को डकैती में न चालान करके असलहा में चालान कर दिया गया और जो मुलजिम के घर जेवर बरामद हुआ उसे मुद्दई को बिना पहचान कराये ही जेवर मुलजिम को वापस कर दिया। अतरौलिया थाने के पुलिस के निष्क्रियता के कारण डाकुओं का मनोबल इतना ऊंचा हो गया है कि आये दिन डकैती तथा चोरी की भरमार हो गयी है और गांव में चिट्ठी देकर डाकू डकैती करने की धमकी दे रहे हैं जिससे क्षेत्र की सारी जनता भयभीत एवं आतंकित है।

मैं सरकार से सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र की जनता को सुरक्षा का कड़ा प्रबन्ध किया जाय जिसके घर डकैती पड़ी है उसे सुरक्षा हेतु अविलम्ब बन्दूक लाइसेंस दे दिया जाय।

कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी तथा रिहाई आदि के सम्बन्ध में सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

अब अगली मद निम्नलिखित माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी, कारावास तथा रिहाई की सूचना सम्बन्धित अधिकारियों से प्राप्त हुई है—

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

माननीय सदस्य श्री हर गोविन्द वर्मा, सीतापुर, श्री राधेश्याम वर्मा, फर्रूखाबाद, श्री अनवार मोहम्मद खां, फर्रूखाबाद, श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, गोरखपुर ।

उपरोक्त माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी दोषसिद्धि, कारावासित किये जाने वाले तथा रिहाई की सूचनाएं इस सचिवालय द्वारा जारी किये गये बुलेटिन संख्या–9 द्वारा प्रसारित की जा चुकी हैं ।

मुजफ्फरनगर के सिटी मजिस्ट्रेट, श्री शिल्पकार, श्री डी० एस० पी० चतुर्वेदी तथा कोतवाल, मुजफ्फरनगर के विरुद्ध उठाई गई विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार की सूचना प्राप्त हुई थी । उस पर मैं अपना निर्णय आपके समक्ष रख रहा हूं । श्री मेहदी असगर, सदस्य विधान सभा ने श्री शिल्पकार, सिटी मजिस्ट्रेट, श्री चतुर्वेदी, डी० एस० पी० तथा कोतवाल, मुजफ्फरनगर के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी है । माननीय सदस्य का कहना है कि उक्त तीनों अधिकारियों ने उनके प्रति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें मारा । उन्होंने कहा कि "तुमने बागपत काण्ड को लेकर विधान सभा में काफी हंगामा किया है और यहां पर भी हंगामा कर रहे हो । मैं तुमको इतनी धाराओं में बन्द कर दूंगा कि तुम विधान सभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले पाओगे । माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि इसी कारण वह बैठक में भाग नहीं ले पाये तथा जेल में बन्द रहे । फौजदारी अपराध के आरोप में गिरफ्तारी के संबंध में कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं होता है । माननीय सदस्य की गिरफ्तारी की सूचना सदन में यथा समय दी गयी थी । श्री मेहदीं असगर, 9 अगस्त, 1980 की सूचना भेज सकते थे । विलम्ब से उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की अनुमति नहीं दी जा सकती । 7 सितम्बर, 1964 को श्री नेकराम शर्मा द्वारा उठाये गये एक विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की अनुमति न देते हुए श्री अध्यक्ष ने कहा "यह तो 3 तारीख का वक्तव्य था । माननीय नेक राम शर्मा तथा अन्य सदस्य जिन्होंने विशेषाधिकार का प्रश्न उस वक्तव्य के सम्बन्ध में उठाया, वह 4 तारीख को उठाना चाहिये था ।" अतः उक्त कारणों से मैं इस प्रश्न को सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री फखरे आलम—

मेरा भी विशेषाधिकार का था जो मैंने 24 जुलाई को दिया था ।

श्री अध्यक्ष—

आपका है । 3 तारीख को आपको सुनूंगा, सुनने के पश्चात् निर्णय किया जायेगा ।

बागपत में घटित घटना के संबंध में चल रहे आन्दोलन के सत्याग्रहियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के सम्बन्ध में वक्तव्य

*पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 5–8–1980 को बागपत में दिन में लगभग 12 बजे सर्वश्री स्वामी इंद्रवेश, एम० पी० तथा नरेन्द्र सिंह, विधायक सहित लगभग 500–600 लोकदल कार्यकर्ता एक जुलूस बनाकर लाठी तथा डंडों से लैस होकर सरकार विरोधी नारे लगाते हुए मेरठ रोड पर स्थित लोकदल कार्यालय की ओर से बागपत चौराहे की ओर उत्तेजित होकर आ रहे थे । तहसील कार्यालय, मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की अदालत व रजिस्ट्रार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कार्यालय के आसपास निषेधाज्ञा लागू होने के कारण चौराहे पर पहले से तैनात मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों द्वारा जुलूस को आगे बढ़ने से मना करने पर जुलूस के लोगों द्वारा उन पर ईंट पत्थर फेंके गये। उधर से गुजरते हुये एक मेटाडोर यू0आर0एस0 1215 का ड्राइवर भी इस पत्थर बाजी में घायल हो गया जिसके सम्बन्ध में अपराध संख्या 213 धारा 147/148/323 आई0पी0सी0 के-अन्तर्गत ड्राइवर की रिपोर्ट पर कायम किया गया। इसके अतिरिक्त जुलूस में से तमंचे से एक फायर भी किया गया, जिसकी गोली श्री सुलताल सिंह, थानाध्यक्ष, पिलाना के कान के पास से होकर निकल गयी। इस पर जुलूस को विधि-विरुद्ध घोषित करके जुलूस को तितर-बितर होने का आदेश दिया गया व ऐसा न करने पर बल प्रयोग करने की चेतावनी दी गयी। तितर-बितर होने के बजाए जुलूस के लोग पुलिस पर पथराव करते रहे। अश्रु गैस का प्रयोग किया गया। प्रदर्शनकारियों की ओर से पथराव जारी रहा व फायर भी किए गये। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक और पी0ए0सी0 के कम्पनी कमाण्डर के अतिरिक्त 14 अन्य पुलिस कर्मचारियों को चोटें आयी। इस पर स्थिति को नियंत्रित करने हेतु पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। कुल 6 प्रदर्शनकारियों को साधारण चोटें आयीं।

दिनांक 6-8-1980 को लभग 2.40 बजे अपरान्ह संसद सदस्य श्री बी0 सत्यनारायण रेड्डी व उनके पीछे-पीछे लगभग 150 आन्दोलनकारी लाठी डंडे से लैस होकर आये। बागपत चौराहे के पास आन्दोलन बलपूर्वक कार्डन तोड़कर नारे लगाते हुए आगे बढ़ गये। अतः माननीय संसद सदस्य और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर शेष आन्दोलनकारी कुद्ध हो उठे और गिरफतार लोगों को पुलिस हिरासत से बलपूर्वक छुड़ाने हेतु पुलिस पर लाठी और डन्डे से प्रहार किया। 4 पी0ए0सी0 के जवानों को चोटें आयी। पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग करके करके उग्र आन्दोलनकारियों को तितर-बितर किया किया गया और माननीय संसद सदस्य तथा 7 अन्य आन्दोलनकारियों को गिरफ्तार किया।

*श्री राजेन्द्र सिंह ---

मान्यवर, इस बयान में यह कहा गया है कि मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट की अदालत के पास निषेधाज्ञा थी। मैं जानना चाहूंगा कि बागपत चौराहे से जहां प्रदर्शनकारियों को रोका गया, यहां से निषेधाज्ञा का स्थान, जहां मुन्सिफ और तहसील का कार्यालय है, वह कितनी दूर है ?

श्री अम्मार रिजवी---

श्रीमन्, जहां आन्दोलनकारी जा रहे थे, और जहां पर छावनी की ड्यूटी लगी हुयी थी जिस एरिया के लिये थोड़ा आगे जाना पड़ता था, उसमें थोड़ी ही दूर का फासला था।

श्री राजेन्द्र सिंह---

मान्यवर, ये मिसलीड कर रहे हैं। दो बातें कही गयी हैं। यह कहा गया कि मुन्सिफ के कार्यालय और मैजिस्ट्रेट की अदालत के पास निषेधाज्ञा थी। उनको रोका गया चौराहे पर। मान्यवर, यह डेढ़ फर्लांग का फैसला है। चौराहा और जहां निषेधाज्ञा लागू थी, उसमें मान्यवर, डेढ़ फर्लांग का फासला है। बयान में यह चीज नहीं है। इस तरह से, मान्यवर, इसको नहीं लिखा जाना चाहिये था।

दूसरी बात-कहा गया कि प्रदर्शनकारियों के फायर जो सुल्तानसिंह के कान के पास से निकल गया। मैं जानना चाहता हूं कि किसी को चोट आई उस फायर से ?

श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर, जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि डेढ़ फर्लांग का फासला था। मान्यवर, अक्सर ला ऐण्ड आर्डर को कायम करने के लिये थोड़ा पहले से दायरा बनाना पड़ता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अम्मार रिजवी–]
उदाहरण के लिये, 18 अगस्त, 1977 को कांग्रेस के लोग जब यहां मार्च कर रहे थे, यह कौंसिल हाउस के सामने फोर्स लगी थी और लालबाग के पास रोका गया था। क्योंकि यहां आने पर 144 दफा नहीं लागू हो सकती थी। तो ऐडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स पहले से लगायी जाती है ताकि लाजिमी फासला रहे।

दूसरी बात जो उन्होंने कही कि जब फायर किया गया तो चोट क्यों नहीं आयी ? तो उस संबंध में कहना है कि वहां पर कट्टे का इस्तेमाल किया गया जिसके जरिये से एल0 जी0 कारतूस भी किसी सूरत से 8/10 मीटर से ज्यादा नहीं जा सकती। मामूली कारतूस तो सिर्फ 3 मीटर तक ही जा सकती थी।

श्री राजेन्द्र सिंह––
उसमें कौन सी कारतूस थी ?

(व्यवधान)

(वक्तव्य की कापियां फाड़ कर फेंकी गयीं)

(व्यवधान)

एक सदस्य––
इनके हाथ खून से रंगे हैं।

श्री अध्यक्ष––
कृपया आप लोग बैठ जायं। उंगली न उठावें।

(व्यवधान)

मैं माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूं,मैं उन माननीय नेताओं से भी जानना चाहता हूं कि किस तरह से इस सदन की व्यवस्था चलायी जाय। कृपया सुन लें। आप किसी प्रश्न पर, किसी सूचना पर वक्तव्य चाहते हैं, किसी सूचना पर चर्चा चाहते हैं.....

एक सदस्य––
हम इनका इस्तीफा चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष––
कृपया शांत रहें। जिस सूचना पर वक्तव्य चाहते हैं, उस पर वक्तव्य दिलाया जाता है। जिस पर चर्चा चाहते हैं, उस पर चर्चा दिलायी जाती है। जिस पर आपको वक्तव्य दिलाया जाता है इस पीठ से मैं केवल यह कह सकता हूं कि मंत्रिगण वक्तव्य दे दें। मैं अध्यक्ष पीठ से यह नहीं कह सकता कि मंत्रिगण इस तरह का वक्तव्य दे दें। जो वक्तव्य मंत्रिगण देते हैं उस वक्तव्य के बाद आप स्पष्टीकरण के लिये प्रश्न करते हैं। माननीय नेता विरोधी दल ने प्रश्न प्रारम्भ किया। प्रश्न का उत्तर चल रहा था। उसके बाद माननीय नेता विरोधी दल, आपके दल के सदस्यों ने इस वक्तव्य को फाड़ना शुरू किया।

(शोर)

एक सदस्य––
यह वक्तव्य झूठा है।

श्री कुबेर भंडारी––
मुख्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिये।

श्री छत्तर सिंह––
यह वक्तव्य झूठा है। यह सदन को गुमराह करते हैं। इनको इस्तीफा दे देना चाहिये।

श्री राजेन्द्र, सिंह--

मैं चाहूंगा कि आप कार्यवाही मंगा लें जब मैंने स्पेसिफिक कह दिया कि डेढ़ फर्लांग की दूरी है तो बयान बदल दिया गया। मैं चाहूंगा कि आप आज की कार्यवाही मंगा लें। पहले दूसरा बयान दिया गया फिर मिसाल लखनऊ की दी गयी कि कुछ दूर रोका जाता है। तो फिर इसके माने हुये कि पहला बयान झूठा है।

श्री अम्मार रिजवी--

जो सम्मानित नेता विरोधी दल ने पूछा था, वह फासला पूछना चाहते थे। मैंने पास शब्द का प्रयोग किया था। यह बात बड़ी मुश्किल है कि जिस प्रकार का स्टेटमेंट विरोधी दल के लोग चाहते हैं उसी प्रकार का स्टेटमेंट हम दें। हम जो बयान देते हैं वह तथ्यों पर आधारित होता है।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठें।

एक सदस्य --

यह लोग विरोधी दल में आ जायं।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी, आप अपनी बात कहें।

श्री अम्मार रिजवी--

जो नोटिस दिया गया था उसके अन्दर कहा गया है।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य कृपया बैठें। कृपया आप बैठें, अगर आप चाहते हैं कि कार्यवाही नियमित रूप से चले तो आप बैठें।

*श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, आपके सामने मैं स्पष्टीकरण के लिये 2-3 चीजें रखना चाहता हूं। इसमें कहा गया कि ड्राइवर पत्थर बाजी से घायल हो गया जिसके संबंध में धारा 147/148/323 के अन्तर्गत रिपोर्ट लिखी गयी। आप भी समझते हैं, अगर पत्थर बाजी में घायल हो गया तो 324 में रिपोर्ट होती है, 323 में नहीं होती। दूसरी बात यह कि जब नेता विरोधी दल ने पूछा कि जब फायर किया गया तो कोई चोट आयी ? अगर फायर हुआ था तो कान के पास होकर गोली निकल गयी थी तो 307 का जुर्म हो गया। मैं जानना चाहता हूं कि 307 की कोई रिपोर्ट लिखी गयी ? उत्तर में कहा गया कि कट्टे से फायर किया गया, रेंज कम होती है। जब इस प्रकार का वक्तव्य मंत्री लोग देते हैं तो व्यवधान पैदा होता है। कहते हैं कि गोली नहीं पहुंची और यह भी कहते हैं कि कान के पास से गोली निकल गयी।

श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमन्, जहांतक पहली बात है तो उसमें मैं बताना चाहता हूं कि कान के करीब से गोली निकल गयी। तो छर्रे पास से निकलना दूसरी बात है लेकिन कोई उससे जख्मी नहीं हुआ। कौन व्यक्ति गोली चला रहा था, यह भीड़ में निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसलिये उसके खिलाफ 307 की रिपोर्ट लिखी जाती इसका प्रश्न नहीं पैदा होता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मंत्री जी ने जो शासन की तरफ से वक्तव्य दिया है उसमें मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों का शांतिपूर्ण सत्याग्रही आन्दोलन है। लेकिन वक्तव्य में शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों, आन्दोलनकारियों को आरोपित किया गया है। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो लाठियों और डंडों से लैस होकर आन्दोलनकारी श्री सत्यनारायण रेड्डी के नेतृत्व में गिरफ्तारी दिया और जिसमें रवि राय भूतपूर्व हमारे मंत्री थे और भूतपूर्व एक सांसद थे तो उनके नामों की तो एक तरफ आपने कोई जिक्र क्यों नहीं किया है लेकिन हम जानना चाहते हैं कि यह भीड़ हिंसक थी तो इनको किन दफाओं में गिरफतार किया गया है ?

श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमन्, एफ0 आई0 आर0 में यह दफायें हैं। धारा 117/148/149/151/153 357/332/307 हैं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, पहले प्रश्न का उत्तर दे दें तो किसी सदस्य को उत्तेजना नहीं होगी लेकिन शर्त यह है कि हम नियम 51 में शिकायत करते हैं जिनके खिलाफ वही जो उत्तर भेजते हैं उनको यहां मंत्री जी पढ़ देते हैं। मंत्री जी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें तो हम लोगों को एतराज नहीं होगा कि जिनके खिलाफ शिकायत करते हैं उनकी जो रिपोर्ट आ गयी तो उसको यह वहां पढ़ देते हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कहा है कि जूलूस को पहले रोका गया, तो मैं उनकी बात को माने लेता हूं कि सही है। लेकिन मान्यवर, आप मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो सीमेन्टेड सड़क है, उस पर ईंट, पत्थर कहां पड़े होंगे। मंत्री जी स्वीकार करते हैं कि 500-600 लोग उत्तेजित हाथों में लाठी और डंडे लिये थे और चौराहे पर उनको रोके जाने पर वह ईंट और पत्थर फेंकने लगे। तो मेरा कहना है कि सड़क पर तो ईंट और पत्थर थे नहीं तो क्या वह लोग अपनी अपनी जेबों में ईंट और पत्थर लेकर आये थे ? यदि हां, तो वह बात भी वक्तव्य में लिखी जानी चाहिये थी कि ईंट और पत्थर कहां थे। उसके बाद वह लोग गिरफतार किये गये तो उनके पास से कुछ समान बरामद हुआ होगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि उन लोगों के पास से कितनी लाठियां, डंडे, घड़ियां और कट्टे बरामद हुये हैं जिसकी सूची हमको दे दें। ईंट और पत्थर की जानकारी दे दें। एफ0 आई0 आर0 का समय मंत्री जी बता दें। मान्यवर, मैं आप पर छोड़े देता हूं कि यदि आप स्वयं सहमत हो जायं इनके उत्तर से, तो हम अपनी गलती मान लेंगे।

श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमन्, यह जो चित्रण सम्मानित सदस्य ने खींचा है बड़ा ही इफैक्टिव है। लेकिन जो उस वक्त वस्तु स्थिति थी वह यह थी कि जब प्रदर्शनकारी आगे बढ़े और उस एरिया से लोग जाने वाले थे तो पुलिस ने लोगों को रोका। वहीं से बात बढ़ी। पुलिस ने कहा कि आपको आगे नहीं जाना चाहिए, उन्होंने कहा, आगे जायेंगे और वहीं से बात शुरू होती है। जहां तक सवाल ईंट पत्थर का है, ईंट पत्थरों की सड़क के किनारे कमी कभी नहीं रहती। (व्यवधान) श्रीमन्, बेरीकेडिंग दो तरह का होता है--एक सामने किया जाता है और एक यूं किया जाता है। किसी प्रोसेशन को जब रोकना होता है सामने से बेरिकेडिंग की जाती है जब कोई बी0 आई0 पी0 आता है तो किनारे से की जाती है। प्रोसेशन को निश्चित स्थान से आगे बढ़ने के लिए रोकना था। वहां पर बेरिकेडिंग की गई। दूसरी बात ईंट पत्थर कोई जेब में नहीं रखता, इस तरह का सवाल पैदा नहीं होता, ... (व्यवधान) ऐसा है जो नोटिस आया उसके अन्दर लिखा है मैं पढ़ दूं। बर्बर लाठी चार्ज जिसके परिणाम-स्वरूप पचास से अधिक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हुये। घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। उनमें से कुछ की हालत चिन्ताजनक है। सत्याग्रही शांति पूर्ण थे। यह बात आप ने कही। उस के बाद मेडिकल रिपोर्ट। जब चिकित्सालय में कोई भर्ती हो तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट होना जरुरी है। जो मेडिकल रिपोर्ट है.....

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र सिंह—
नोटिस किस तारीख का है ?

श्री अम्मार रिजवी——
मेडिकल रिपोर्ट आप को बता रहा हूं ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव——
मेडिकल किस तारीख का है ?

श्री अम्मार रिजवी——
यहां पर पुलिस के 14 लोग हैं ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव——
डेट बता दें ।

श्री अम्मार रिजवी——
यह 5–8–80 को मेडिकल हुआ है ।

श्री मोहन सिंह——
और घटना 6 की है ।

श्री अम्मार रिजवी——
दो घटनायें हैं । यह पहली है । सब से पहले जो ड्राइवर वैन का था उसका मेडिकल हुआ और उस की रिपोर्ट तथा सरकार का स्टेटमेंट पढ़ा गया सम्मानित सदस्यों के आगे । एक पब्लिक के आदमी ने, जो उस ने रिपोर्ट लिखाई है, अगर आप आज्ञा दें तो पढ़ दूं . . . .

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—
मैंने पूछा था ।

श्री मोहन सिंह——
लाठी, डंडे और कट्टा की सूची ।

श्री अम्मार रिजवी——
रफीक की यह जो एफ0 आई0 आर0 . . . . . .

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त——
इसकी कोई जरुरत नहीं है । (व्यवधान) सूची तो पढ़िये . . . .

श्री मुख्तार अनीस——
रिपोर्ट पढ़ने जा रहे हैं । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त——
मैं अपनी बात फिर दोहराता हूं (व्यवधान) उस का उत्तर नहीं मिलेगा तो मैं नहीं बैठूंगा . . . . . .

श्री अध्यक्ष——
बैठ जाइये । कृपया आप बैठ जायं । आप बैठ जायं । हर प्रश्न पर खड़ा होना और इस तरह से अव्यवस्था पैदा करना उचित नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त——
मैं बड़ी नम्रता के साथ ।

श्री अध्यक्ष--
आप बैठ जायं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--
मेरी बात सुन लीजिए ...

श्री अध्यक्ष--
वह सुन ली है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--
मैंने जो पूछा है उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--
मैंने आपका प्रश्न सुन लिया है, जो भूमिका आपने सुनाई उसे भी सुन लिया है, उसके बाद ही वह उत्तर दे रहे हैं । (कुछ रुक कर) माननीय मंत्री जी जो स्पष्टीकरण उन्होंने मांगा है उससे सम्बन्धित उत्तर वह दें ।

श्री अम्मार रिजवी--
माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि जो लोग गिरफ्तार किये गये उनके पास से चीजें क्यों नहीं बरामद हुई ? जब कोई गिरफ्तार किया जाता है तो कोई चीज उसके हाथ में होती है उसे वह खुद पुलिस स्टेशन नहीं लेकर चला जाता । लाठी भी होती है तो छोड़ देता है (व्यवधान तथा शोरगुल)

श्री छत्तर सिंह--
यह झूठ बोल रहे हैं (व्यवधान तथा शोरगुल)

श्री अध्यक्ष--
यह कोई तरीका नहीं है कार्यवाही में इस तरह से व्यवधान डालने का । जिस तरह का उत्तर आता है उसे आने दें । (व्यवधान) इस तरह से सदन की मर्यादा का हनन करना बहुत ही निन्दनीय है । (व्यवधान) यह कोई तरीका नहीं है इस तरह से कहने का ।

श्री अम्मार रिजवी--
रफीक जी पब्लिक का आदमी था उसने जो बात कही उसे सुनाये देता हूं (व्यवधान तथा शोरगुल)

श्री पन्ने लाल--
बिलकुल सुनाया जायगा ।

(श्री राजेन्द्र सिंह के खड़े होने तथा कुछ कहने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--
आप लोग शान्त रहें ।

श्री छत्तर सिंह--
जो हथियार बरामद हुए उनका कोई जिक्र नहीं किया गया ।

श्री रियासत हुसैन--
प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध जो रिपोर्ट लिखी गयी उसमें सारी आई० पी० सी० खत्म हो गयी । दफा 148, 149, 307, 352, 353 का जिक्र है जिनमें जो एग्जिबिट हैं लाठी, डंडा, कट्टा आदि क्या वे वहां बरामद हुए ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी बरामद हुए हथियारों की सूची बतला दें।

श्री अम्मार रिजवी--

इस समय सूची नहीं है। (व्यवधान तथा शोरगुल)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

लोगों को प्रताड़ित करने के लिए यह सब किया गया है। शासन की इस नीति के विरुद्ध मैं बहिर्गमन करता हूं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री भीखा लाल--

सवाल यह है कि मेरठ के इलाके की पुलिस अकर्मणीय हो गई है। हथियार चलाने वालों से हथियार बरामद नहीं किये जाते हैं और झूठी रिपोर्ट सरकार के पास आ जाती है। इसलिये क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमन्, जो तथ्य सामने रखे गये हैं और वहां से जो सूचना मिली है वही मैंने रखा है। जिस सूची का आपने जिक्र किया, वह इस समय मेरे पास नहीं है। जब कोई फायर करके चला जाता है तो उस हथियार को बरामद करना मुश्किल हो जाता है। यह अक्सर सम्भव नहीं हुआ करता है। ..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अब इस पर काफी प्रश्न हो चुके हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, जितने भी प्रश्न इस पर किये गये हैं, उनके उत्तर नहीं दिये गये हैं। सुबह भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। राजेन्द्र कुमार जी के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष--

क्या आप चाहते हैं कि इस पर और प्रश्न हों ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

जी हां।

*श्री कन्हैया लाल--

श्रीमन्, न तो लाठी तमंचों की लिस्ट है और न कोई ठीक से उत्तर मिल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि तमंचों से फायर हुआ। क्या खाली कारटेजेज पुलिस ने दर्ज कराये ? कितने कार्टेजेज मिले और कितनी पुलिस वहां पर थी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जो श्रीमन् सेमो आटोमेटिक वैपन्स होते हैं उनकी फायरिंग के लिये आटोमैटिक अरेन्जमेंट होता है कारतूस उनसे अपने आप निकलते हैं और कुछ ऐसे कारतूस होते हैं जिनको हाथ से मैनुअली निकाला जाता है। कोई हाथ से उसको निकाल कर फेंकेगा नहीं, जेब में रख लेगा।

*श्री मोती लाल देहलवी--

जैसा कि मंत्री जी ने कहा बैरिकेटिंग कर दी गई थी। मैं जानना चाहता हूं कि जब बैरिकेटिंग कर दी गई थी तो वहां पर एक मैटाडोर कहां से आ गई, जिसका उल्लेख उन्होंने किया है। उसकी अन्य सवारियां कहां से आ गई। मेरा कहना है कि यह वक्तव्य बिलकुल निराधार है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—
यह कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री मोती लाल देहलवी—
इस वक्तव्य को बिलकुल झूठा पुलिंदा मानकर ···

श्री अध्यक्ष—
आप कृपया बैठें ···

श्री मोतीलाल देहलवी—
मान्यवर, आप तो विचलित हो जाते हैं, मैं प्रश्न कर रहा हूं । इस तरह से नहीं चलेगा ···

श्री अध्यक्ष—
इसी तरह से चलेगा । बिलकुल नियम के अन्तर्गत चलेगा ···

श्री मोती लाल देहलवी—
मंत्री जी के पास प्रश्नों का कोई समुचित उत्तर नहीं होता है ।

श्री अध्यक्ष—
आप सीधे प्रश्न करें.....

श्री मोतीलाल देहलवी—
मान्यवर, आप पूरा प्रश्न सुन लें । प्रश्न ही कर रहा हूं ।

एक सदस्य—
इन्होंने झूठ शब्द का इस्तेमाल किया है, इनसे उसे वापस करवाइये ···

(व्यवधान)

श्री मोती लाल देहलवी—
क्या मंत्री जी इस सदन की एक कमेटी बनाकर इस मामले की जांच कराने के लिये तैयार हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—
श्रीमन्, जहां तक माननीय देहलवी जी का ताल्लुक है मैंने बहुत कोशिश की उनको समझाने की , लेकिन मुझे उनकी बात सुनकर गालिब का शेर याद आ रहा है—

यां रब न वह समझे हैं न समझेंगे मेरी बात,
दे और दिल उनको जो न दे मुझ को जुबां और ।

(व्यवधान)

श्री मोती लाल देहलवी—
तमीजे नदारत कडे हवा,
मंगाई चिलम ले आये तवा ।

श्री अम्मार रिजवी—
मान्यवर, आप मुझ को इजाजत दें तो मैं उस ड्राइवर की रिपोर्ट पढ़ दूं ताकि तथ्य जो हैं वह मोती लाल जी समझ लें, उसका बयान है– "मेरा नाम रफीक बल्द सहीद कौम पठान है । मैं गांव हरचन्दपुर, थाना बागपत का रहने वाला हूं तथा मेटाडोर यू० आर० एस० 1215 पर ड्राइवर हूं और वालैनी डेरी से दिल्ली दूध डालकर बागपत चौपले पर आया और

अपनी गाड़ी बालैनी की तरफ को मोड़ कर सड़क के किनारे खड़ी करके खाना खाने के लिये होटल पर आ गया ।"

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह—

मूल प्रश्न यह है कि सदन की कमेटी बनाने को तैयार हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

जितनी रिपोर्ट आई हैं वह पेश की जायेंगी । माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि उनका कहना है बैरिकेट कर दिया तो गाड़ी कैसे गयी तो उससे गाड़ी के आने पर कोई प्रभाव नहीं होता है । दूसरी बात यह पूछी कि सवारी बैठी होंगी तो वह क्यों जखमी नहीं हुए । तो श्रीमन्, वह दूध की गाड़ी थी इसलिए सवारियों का प्रश्न नहीं होता ।

(व्यवधान)

श्री राम औतार दीक्षित—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, जो भी स्टेटमेंट दिया जाता है क्या उस स्टेटमेंट के अतिरिक्त भी कोई क्वैश्चन किया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय राम औतार दीक्षित जी ने एक प्रश्न व्यवस्था का उठाया है कि क्या जो वक्तव्य दिया जाता है उस वक्तव्य के विषय से भिन्न दूसरी बातें पूछी जा सकती हैं। तो जो वक्तव्य दिये जाते हैं उसी से सम्बन्धित स्पष्टीकरण मांगना और उसी से सम्बन्धित उत्तर देना यही सदन की परम्परा रही है । लेकिन इसके अलावा भी किसी विशेष परिस्थिति में या विशेष कारणों से ऐसा करना नियम के अन्तर्गत है कि कोई विशेष प्रश्न पूछने की आज्ञा दी जा सकती है । (व्यवधान) (कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर) आप सब लोग बैठ जायं ।

श्री विजय सिंह राना—

मैं केवल दो प्रश्न पूछना चाहता हूं । पहला यह है कि क्या शासन ने इस बारे में कोई विचार किया है कि पुलिस में आई दो रिपोर्ट, दो अलग अलग दिनों की हैं और दोनों एक तरह की लिखी गयो है तो इसमें क्या कोई सच्चाई है? दूसरी बात यह है कि कहा गया कि लोकदल का जुलूस अपने कार्यालय से ही लाठी डंडे लेकर चला, तो उसका लेकर चलना अनियमित है वह चाहे जहां से चला हो, तो यदि लोकदल कार्यालय से जुलूस लाठी–डंडे लेकर चला तो उनको वहीं से गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ?

श्री अम्मार रिजवी—

यह बड़ी विचित्र स्थिति है, यदि उनको लोकदल कार्यालय के बाहर ही रोक लिया जाता तो यहां कहा जाता कि वह शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करने जा रहे थे और शान्त सत्याग्रहियों को रोक लिया गया । जब उनको जहां से आगे, नहीं जाना चाहिए था, उसके आगे जाने से रोक लिया गया तो कहा जाता है कि वहां तक क्यों जाने दिया गया । 5 तारीख को जो घटना हुई है, उसमें 14 पुलिस अफसर, जिसमें बड़े भी हैं जख्मी हुए हैं, 6 पब्लिक के आदमी जख्मी हुए हैं । पुलिस के आदमियों ने कोई अपने आप तो अपने चोटें मार नहीं लीं । इसलिए यह कहना कि सत्याग्रह शान्तिपूर्ण था और उन्होंने कुछ नहीं किया, यह बिल्कुल गलत है ।

*श्री छत्तर सिंह--

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 5 तारीख को जो वहां स्वामी इन्द्रवेश, एम0पी0 और नरेन्द्र सिंह, विधायक गिरफ्तार हुए, क्या वे भी वहां ईंट फेंक रहे थे और 6 तारीख को जो लाठी चार्ज हुआ, उसमें लोकदल के मंत्री श्री रविराय और सत्य नारायन जी को भी लिखाया गया था, तो क्या वह भी उस दिन ईंट फेंक रहे थे। वहां शरद यादव जी मौजूद थे, उनको चोटें आई हैं, जिनका जिक्र तक इसमें नहीं है, ऐसा क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जो यह डाक्टरी रिपोर्ट है, वहां पर रविराय जी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। जो माननीय सत्यनारायन और शरद यादव के बारे में पूछा, उनका भी यहां जिक्र नहीं है। जो अस्पताल गये थे और जिन्होंने डाक्टरी कराई, उनकी रिपोर्ट यहां पर है।

*श्री मुख्तार अनीस--

जो 5 तारीख को वहां जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे स्वामी इन्द्रवेश एम0पी0 और नरेन्द्र सिंह विधायक, तो क्या उन्होंने ईंट-पत्थर पुलिस पर चलाए ? दूसरी बात, मंत्री जी ने कहा है कि श्री रविराय जी की कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, जबकि वास्तविकता यह है कि उनको पुलिस ने बुरी तरह से मारा और वह सेन्ट्रल हाल में बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे, जिसको लेकर लोक सभा में हंगामा हुआ, तो वह मेडिकल रिपोर्ट उनके पास है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्या उसे मंगाकर इस सदन में पेश करने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

जहां तक प्रश्न के पहले हिस्से का सवाल है कि क्या उन्होंने कोई ईंट-पत्थर चलाये, तो इसमें ईंट-पत्थर चलाना ही काफी नहीं होता है, उसकी हुक्मअदूली करना ही काफी होता है। जहां तक मेडिकल रिपोर्ट का सवाल है, जो सूचना है, वह उसमें नहीं है। लेकिन यदि उनकी मेडिकल जांच हुई है और मेडिकल रिपोर्ट है तो माननीय सदस्य उसे भेजवा देंगे तो उसकी भी मैं जांच करवा लूंगा।

श्री मुख्तार अनीस--

जो वहां पर हमारे भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री पीटे गये, तो क्या कलेक्टर ने उसकी कोई मेडिकल जांच कराई और कोई मेडिकल रिपोर्ट दी ?

श्री अध्यक्ष--

जितने माननीय सदस्यों ने इस संबंध में सूचनायें दी थीं सभी ने 1-1, 2-2 प्रश्न पूछ लिए हैं और जिन्होंने नहीं भी दी थी उन्होंने भी प्रश्न पूछ लिये हैं। अब मैं और प्रश्न करने की इजाजत नहीं देता हूं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि मकड़ी जो जाल बनाती है, उसमें स्वयं फंस जाती है।

श्री अध्यक्ष--

यह तो एक साहित्यिक बात है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

श्रीमन्, एक झूठ छुपाने के लिये कई झूठ बोलना पड़ता है। यह इतना गम्भीर मामला है लेकिन इतने हल्केपन से जवाब दे दिया।

श्री अध्यक्ष--

यह सारी आलोचनायें हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पनवीक्षण नहीं किया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

जब ड्राइवर मेटाडोर लेकर खाना खाने चला गया तो 323 कैसे बन गया । कोई फिजिकल इन्टरवेन्शन भी नहीं हुआ ?

श्री अम्मार रिजवी---

माननीय ओझा जी ने जो तख्शीश दी हैं वे अपने जाती तजुर्बे से कहीं हैं । जहां पर यह है कि ड्राइवर खाना खाने जा रहा, उसके आगे का हिस्सा मैं पढ़े देता हूं । मैंने यह नहीं कहा । मैंने कहा था कि जब वह जा रहा था तो उस वक्त प्रोसेशन वहां पर पहुंचा और पत्थर बाजी होने लगी । तो यह घटना वहां की थी ।

श्री विद्या सागर नौटियाल---

मान्यवर, मेरा भी एक छोटा सा प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया बैठ जाइये, छोटा हो या बड़ा हो ।

श्री विद्या सागर नौटियाल---

यह तो नियम 161 और 164 के बयान की बात है ।

श्री अध्यक्ष---

कृपया आप बैठिए ।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष ---

नियम 56 के अन्तर्गत आज 4 सूचनायें प्राप्त हुयी थीं और ये सब अस्वीकृत हुयी हैं। जो सूचनायें प्राप्त हुयी हैं, उनके नाम और विषय मैं पढ़े देता हूं । एक श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त व श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की है जो उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में शराब की खुली बिक्री चालू करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । दूसरी श्री प्रदीप कुमार यादव की चन्द्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय कानपुर में अनिश्चितकालीन धरना दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । तीसरी सर्व श्री हरिवंश सहाय, नन्द किशोर सिह एवं कुबेर की देवरिया जनपद में बाढ़ से उत्पन्न क्षति के संबंध में है । बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 52 में इसकी चर्चा हो चुकी है । चौथी श्री मोहम्मद आजम खां की बढ़ते हुए दंगों और तनावों को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कानून में संशोधन करने और कुछ क्षेत्रों को उपद्रवग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का अधिकार ग्रहण करने से संबंधित है। यह विषय राज्य सरकार से नहीं बल्कि केन्द्रीय सरकार से संबंधित है । इसलिये यह सूचना भी अस्वीकृत हुयी है।

श्री मुख्तार अनीस---

मान्यवर, केंद्र सरकार कुछ क्षेत्रों को उपद्रवग्रस्त घोषित करके अपने अधिकार में लेने जा रही है । यह अलोकतांत्रिक कार्य है और राज्य की स्वतंत्रता पर हमला होगा । इसलिये यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे ले लिया जाय ।

श्री हरिवंश सहाय---

मान्यवर, जब पहले बाढ़ आयी थी तब देवरिया की स्थिति दूसरी थी और आज दूसरी हो गयी है। पूरा देवरिया जनपद बाढ़ से त्रस्त है । अतः आप उस पर वक्तव्य दिला दीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अब 1980-81 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा आरम्भ होगी, आप लोग कृपया बैठें ।

(व्यवधान)

1980-81 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)†

*श्री प्रदीप कुमार यादव--

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है और जो अपनी बजट स्पीच दी है उसमें यह साबित करने की कोशिश की है कि जैसे कभी कांग्रस का शासन रहा ही न हो, सारी गलतियां और खामियां जो हैं वह जनता सरकार और लोकदल की सरकार के समय की ही हैं। मैं इस सिलसिले में इस आदरणीय सदन को, माननीय सदस्यों को और हर अवाम को यह बता देना चाहता हूं कि जब सन् 47 में देश स्वतंत्र हुआ और कांग्रेस के हाथ में सत्ता आयी तब से 31 साल तक बराबर, केवल 18 महीने को छोड़कर जब स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री का शासन रहा वे प्रधान मंत्री रहे, बाप बेटी का शासन रहा, इस प्रदेश में भी, केन्द्र में भी तथा अन्य प्रदेशों में भी । कांग्रेस सरकार से ही विरासत में जनता पार्टी और लोकदल की सरकार को सारी खामियां मिली थीं और अपने ढाई साल के शासन काल में जनता पार्टी और लोकदल की सरकार ने काफी काम किये । प्रदेश की 2/3 जनता गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली है और यह चीज हमें कांग्रेस से ही विरासत में मिली थी । करोड़ों लोगों की, बेकारों की फौज, बाजार से आवश्यक वस्तुओं का अभाव, ला ऐंड आर्डर की खराब हालत, यह सब कांग्रेस सरकार की ही देन थीं और हमने इन सभी में अपने ढाई साल के शासन में सुधार किया।

हम लोगों के शासन काल में सूखा भी आया, सन् 78 में बाढ़ भी आयी, मगर हमने कभी विदेशों के सामने झोली नहीं फैलायी, जो अनाज विदेशों से आने वाला था वह भी वापस कर दिया । बाढ़ के समय में राहत का जो कार्य हमारी जनता पार्टी की सरकार ने किया वैसा आज तक आप नहीं कर पाये । आजकल जो बाढ़ आयी है उसमें आप कुछ नहीं कर पाये हैं । आपके बाढ़ नियंत्रक मुख्य अधिकारी का ही एक बयान अखबारों में छपा था कि बाढ़ पीड़ितों के लिये जो सामान तथा सुविधायें दी जा रही हैं वे बाढ़ पीड़ितों तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहता हूं कि सरकार का ध्यान इस ओर अविलम्ब जाना चाहिये ।

मैं कुछ आंकड़े आपके सामने प्रति व्यक्ति आय के प्रस्तुत करना चाहता हूं । सन् 1975 में यू0पी0 में प्रति व्यक्ति आय थी 481 रुपये, जब कि इंडिया की प्रति व्यक्ति आय 607 रुपये थी । 1976 में यू0पी0 की यह आय 479 थी और इंडिया की 658 थी । यह उस समय की हालत थी जब कि इमरजेंसी लगी थी और इमरजेंसी को आप लोग बहुत अच्छा कहते थे ।

(इस समय 1 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री भीखालाल पीठासीन हुए)

इससे बढ़िया और कोई जमाना हो ही नहीं सकता है । तो मैं उस जमाने की बात कह रहा हूं कि औसत आमदनी प्रति व्यक्ति इस प्रकार की थी । जब जनता शासन आया 77-78 में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति 501 आमदनी थी, इंडिया की आमदनी 679 थी । 78-79 में प्रति व्यक्ति यू0 पी0 की 509 और इंडिया की 712 थी । इसी में सूखे का और बाढ़ का पीरियड जुड़ा हुआ है । इसके साथ ही साथ आप इमरजेंसी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

†27 अगस्त, 1980 की कार्यवाही से।

का भी देख लें, तब भी यू0 पी0 की आमदनी 485 रु0 प्रति व्यक्ति है, जबकि अनुशासन युग कहा जाता था । 75–76 और 77 में जब कि इमरजेंसी का पीरियड था, उससे बेहतर आमदनी प्रति व्यक्ति यह हमारी जनता सरकार के शासन में थी । तो यह आपकी बात बिल्कुल गलत हो जाती है कि हमारी लोकदल और जनता की सरकारों में प्रति व्यक्ति आमदनी घटी है, यह बिल्कुल गलत और निरर्थक है । जनता सरकार के जमाने में अच्छी तादाद में सड़क, अस्पताल तथा स्कूल बने । बी0 टी0 सी0 के 74 के जो लोग थे, उनको नौकरी मिली । साथ ही साथ यह सड़कों का जाल पूरे प्रदेश में बिछ गया । सूखे का मौसम था, उसके बावजूद सरकार ने कोई सूखे से मरने न पाये, उसके लिए पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया ।

यह जो मौजूदा बजट प्रस्तुत किया है, उसके अनुसार प्रदेश की प्रगति जो है एक प्रकार से यह कोरा स्वप्न है, कुछ होने वाला नहीं है । यह गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की हालत सुधारने की बहुत जरूरत है । आज सरकार को इसके लिये कोई चिन्ता नहीं है । अपने बजट में यह सरकार ने उनकी हालत सुधारने के लिये कोई उल्लेख नहीं किया है । दूसरी चीज बढ़ी हुयी महंगाई है । महंगाई बिल्कुल सुरसा की भांति दिन प्रति दिन बढ़ती चली जा रही है। मुख्य मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया कि यह 15 फीसदी से लेकर 30 फीसदी तक बढ़ी है । यह सरकार जो है लोगों की तनख्वाह बढ़ाकर, भत्ते वगैरह बढ़ा कर महंगाई को दूर करना चाहती है । मान्यवर, इसके लिये कोई नीति निर्धारित होनी चाहिये । हमारे स्वर्गीय डा0 लोहिया का कहना था कि जब दो फसलों के बीच किसी अनाज के दाम को ठीक करने का सवाल हो, तो उस पर फिर एक आना फी रुपया के हिसाब से बढ़ाना चाहिये । इस प्रकार रोजमर्रा की इस्तेमाल करने वाली जो चीजें हैं उनके दाम लागत से डेबढ़े से ज्यादा किसी प्रकार नहीं बढ़नी चाहिये । तो इसके लिये कोई नीति निर्धारित की जाय तभी यह गिरानी दूर हो सकती है । आप देखें चीनी का मामला आज, शुगर ढूंढ़े नहीं मिल रही है । जनता सरकार में शुगर की क्या पोजीशन थी यह किसी से छिपी नहीं है । यह सरकार हाथ पर हाथ रखे हुए है और मुस्करा रही है । मान्यवर, इस सिलसिले में मैं कुछ और आंकड़े देना चाहता हूं । अगस्त, 79 और अगस्त, 80 के दरमियान में जो चीजों के दाम बढ़े हैं उसके आंकड़े देना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता––

माननीय प्रदीप कुमार जी, आप इस चेयर को सम्बोधित करें । साथियों कहकर सम्बोधित न करें ।

श्री प्रदीप कुमार यादव––

माफ कीजियेगा मान्यवर, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ आंकड़ों का तुलनात्मक विवरण मैं दे रहा हूं । अब मान्यवर, मैं अगस्त, 1979 से अगस्त, 1980 तक आवश्यक वस्तुओं में बढ़ी महंगाई का तुलनात्मक विवरण दे रहा हूं। खाना बनाने वाली गैस का मूल्य अगस्त, 79 में 33 रु0 था और अब आपके राज्य में 42.80 रु0 की है । कोयला जो सड़क के माध्यम से आता है, उसकी कीमत 36 रु0 प्रति क्विंटल थी । अब अगस्त, 80 में 43 रु0 हो गयी। सड़क मार्ग से आने वाली सीमेंट की बोरी का दाम 25.83 पैसा था और अब 31.25 पै0 हो गया है । उसी प्रकार से रेल भाड़े से आने वाली सीमेंट 23.29 पै0 में थी और अब अगस्त, 80 तक 28.44 पै0 हो गयी । गेहूं प्रति किलो 1.13 पै0 था और अब 1.50 से लेकर 1.80 तक पहुंच गया है । राजमा 6 रु0 प्रति कि0ग्राम था और अब 8 रु0 हो गया है। डालडा जो 4 किलो का 49.64 पै0 का था और अब अगस्त, 80 तक 54.95 पै0 का हो गया । सरसों का तेल जो 79 में 10.50 प्रति कि0 ग्रा0 था और अब अगस्त, 80 में 13 रु0 किलो हो गया है । मान्यवर,

[श्री प्रदीप कमार यादव]

यह आंकड़े आपके समक्ष रखकर मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि यह सरकार सारी आवश्यक चीजों की कीमतों में कमी लाने में पूर्णतया असमर्थ है । इसलिये मेरा यह कहना है कि आप इन बुनियादी चीजों पर विशेष तौर से ध्यान दें।

मान्यवर, जहां तक शांति और व्यवस्था का ताल्लुक है, उससे पूरा प्रदेश आज त्राहि-त्राहि कर रहा है । कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज अब इस प्रदेश में रह नहीं गयी है । कफल्टा कांड ले लीजिये, बागपत कांड ले लीजिये, वीरपुर और नागपुर तथा मुरादाबाद वगैरह-वगैरह दर्जनों जिलों में मूसस्मल यह दंगे हो रहे हैं, यह सारा का सारा कांग्रेस सरकार की देन है । मैं मान्यवर, साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि अब देश और प्रदेश में कोई सरकार नाम की चीज नहीं रह गयी है। रह गयी है तो केवल पार्टी बाजी, पुलिस का आतंक और मिलेटरी । जिनके सहारे आज आप राज्य करना चाहते हैं । और इसी तहत आपने निवारक नजरबन्दी कानून नादिश कर दिया है । आपकी सरकार आज किसी भी चीज को पूरा नहीं कर पा रही है और न ही किसी चीज पर काबू पा रही है और केवल आप विरोध पक्ष की आवाज को खत्म करने के लिए और उनके अधिकारों का हनन करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं । अगर सही मायनों में आप देश की और प्रदेश की स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो कानून और व्यवस्था और चीजों की कीमतों पर ध्यान दें।

मान्यवर, अब मैं सिचाई के सिलसिले में भी बताऊंगा । वसे आपने जो छोटी- मोटी 10--12 योजनायें बतायीं और जो नलकूप आदि लगाने के कार्य आप कर रहे हैं, वह आप कोई निर्धारित नीति के अनुसार नहीं कर रहे हैं । इन सारी नीतियों को इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आप सिचाई की व्यवस्था बिल्कुल नहीं कर सकते हैं लगभग साढ़े 29 स लतक श्रीमती इंदिरा गांधी और नेहरू राज्य में जो सिचाई की व्यवस्था वास्तविक रूप में होनी चाहिये थी । वह मैं समझता हूं कि इसके लिये आपको एक बार तो क्या कई-बार भी जन्म लेंगे तो भी इन व्यवस्थाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं ।

एक सदस्य--

आपने ढाई-तीन साल में क्या किया ?

श्री प्रदीप कुमार यादव--

हम लोगों ने जो ढाई साल में किया आज आप उसी के बल पर मौज कर रहे हैं । मान्यवर, सन् 78 में बाढ़ आयी उस समय लोक दल की सरकार थी । उस वक्त हम लोगों ने बाढ़ पीड़ित लोगों में काफी कार्य किया, जो सहायता कर सकते थे गांव-गांव जाकर की। लेकिन आज जो स्थिति हम देख रहे हैं वह यह है कि यहां सदन में बैठकर तो यह कह दिया जाता है कि हम बहुत सहायता कार्य कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में कार्य कुछ नहीं हो रहा है, केवल अखबारी चर्चा हो रही है, इसके अलावा कहीं कोई कार्य नहीं हो रहा है । जब बाढ़ पर बहस हो रही थी तो मैंने उस वक्त पूरी तौर पर विस्तार के साथ सारी चीजों का उल्लेख किया था । मान्यवर, बाढ़ को रोकने के सिलसिलें में सरकार को काफी काम करना चाहिये । मान्यवर; यह जहां तक खाद का सवाल है यह देश और प्रदेश किसानों का देश है । 100 में 80 प्रतिशत खेती पर निर्भर करते हैं लेकिन बाढ़ और सूखे को देखकर आपका फर्ज था, आपका कर्त्तव्य था खाद के दाम कम किये जाते । लोकदल की सरकार में जनता पार्टी की सरकार में किसानों की बहबूदी के लिये खाद के दाम कम किये गये लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है जो सरकार अपने को जनता की गरीब किसानों की सरकार कहते हैं खाद के दाम निरन्तर बढ़ाये गये । जिससे साफ जाहिर है कि यह गरीबों की सरकार नहीं है यह बड़े-बड़े पूंजीपतियों की सरकार है । खाद के दाम किस लिये बढ़ाये गये, खाद के दाम इसलिये बढ़ाये गये कि चुनाव के मौके पर कांग्रेस के बड़े-बड़े पूंजीपतियों से चन्दा लिया था ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह जो बड़े-बड़े इंडस्ट्रिलिस्ट हैं बड़े-बड़े पूंजीपति हैं उनका एक संघ है। लोक सभा के चुनाव के पहले उस फेडरेशन ने यह तय किया कि वह श्रीमती इन्दिरा गांधी की मदद करेगा, कांग्रेस की मदद करेगा । उन्होंने करोड़ों रुपया चन्दा के रूप में कांग्रेस को दिया इसी वजह से कांग्रेस सरकार की हिम्मत नहीं पड़ रही है जरूरी चीजों के दाम कम करें खाद के दाम कम करें। अच्छी सरकार तो उसे कहा जायेगा जिसके शासन में कानून व्यवस्था बढ़िया हो, चीजों के दाम सस्ते हों और खाद तथा अन्य सामान सुलभ हो, साथ ही साथ बढ़िया पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था हो । इन सारी चीजों के बारे में इनकी बढ़ोत्तरी के बारे में कहीं कोई बात इस बजट में नहीं कही गई है ।

मान्यवर, जो अधिकारी हैं बड़े-बड़े अफसर हैं केंद्र में मंत्री हैं यहां भी मंत्री हैं उनको इस गरीबी की कोई चिन्ता नहीं है । उनको सारी चीजों को आसानी से उपलब्ध कराया जाता है कहने के लिये तो उनकी तनख्वाहें कम हैं लेकिन उनका सारा खर्च सरकारी खर्चे पर होता है। उनके ऐशोआराम पर कितना खर्च सरकार का होता है इस को मान्यवर, देखना होगा। इन चीजों को ध्यान में रख कर इनके खर्चों को रोका जाय तभी मुल्क की तरक्की होगी, नहीं तो मुल्क की तरक्की नहीं होगी । बड़े-बड़े अधिकारियों और अफसरों के खर्चे में कटौती की जाय और यह कटौती जब की जायेगी तो वे महसूस करेंगे कि जो खाद्यान्न के दाम बढ़े हैं उसी के कारण उनकी सहूलियतें टूटी हैं ।

मान्यवर, मैंने बजट पढ़ा । बजट में शिक्षा के लिये बड़ी तारीफ की गई। शिक्षा के प्रसार के संबंध में केवल एक बात कहना चाहता हूं कि आपकी जो स्कूल की व्यवस्था है उसके अनुसार हर जिले के लिये 5 प्राइमरी स्कूल तथा ढ़ाई स्कूल मिडिल स्कूल और आप चाहते हैं कि शिक्षा बढ़िया हो जाय तो मान्यवर, यह कैसे स्वाभाविक है । हर जिले में 5 प्राइमरी स्कूल ढाई मिडिल स्कूल से शिक्षा कैसे ठीक होगी । मान्यवर, शुरू से लेकर आज तक शिक्षा व्यवस्था चौपट रही है । बड़े-बड़े लोग सत्ता में बैठे थे उन्होंने कभी गरीबों के बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया । आप चुनाव के मौके पर गये होंगे तो देखे होंगे की 100 में से 80 ऐसे स्कूल है जहां कोई इमारत नहीं है और अगर इमारत है तो इमारत टपक रही होगी । अगर इमारत है तो बच्चों के बैठने के लिये टाटपट्टी नहीं है । यहां तक कि मैं कहना चाहता हूं कि यह जो स्कूल के अध्यापक हैं उनके बैठने के लिये भी कोई स्थान नहीं है । इसलिये अपने देश प्रदेश में जिस प्रकार से व्यवस्था करना चाहते हैं तो इन चीजों को नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता । अगर इसी प्रकार की शिक्षा प्रदेश में चलती रही तो देश तबाही और बरबादी के रास्ते पर जायेगा । इसमें सुधार होना चाहिये।

अपने देश में दो तरह के स्कूल हैं । बड़े लोगों के लिए, मुख्य मंत्री के लिए, प्रधान मंत्री के लिए, बड़े-बड़े अफसरों के लिए, उनके बच्चों के लिए देहरादून, ऊंटी में स्कूल हैं । एक-एक बच्चे पर 3 सौ, 4 सौ, 5 सौ रुपये पड़ते हैं । इसको जरा सा आप देखें । दूसरी तरफ गांवों में रहने वाले लोग हैं । 100 में से 80 लोग हैं इनकी हालत देखें । इनके बदन पर कोई कपड़ा नहीं है, कोई किताब नहीं है, बीमारी में कोई दवा दारू का इन्तजाम नहीं है । इस तरह से दो तरह की पढ़ाई को चला कर समाजवाद और लोक तंत्र की दुहाई देते हैं । तो वह चल नहीं सकता है और अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में प्रदेश में व्यवस्था बढ़िया हो, पढ़ाई लिखाई का वातावरण चले तो जो दो तरह के स्कूल चल रहे हैं, बड़े लोगों को मौज मस्ती के लिये जो चलाये जा रहे हैं, तो उनसे कुछ होने वाला नहीं है । इनको तोड़ना पड़ेगा । एक तरह के स्कूल कायम करने होंगे । जब एक ही स्तर के स्कूल में मुख्य मंत्री जी के बच्चों की शिक्षा होगी और प्रधान मंत्री का नाती भी उसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा और गांव के किसान का बेटा भी वहीं पढ़ेगा तभी कुछ होगा । और अगर दो तरह की दुकानें खुली रहेंगी पढ़ाई

[श्री प्रदीप कुमार यादव]

लिखाई के लिये तो कुछ इस देश में होने वाला नहीं है। लोगों को पढ़ाने के लिये गणेशी रेखा को समाप्त करने के लिये यह कदम उठाना जरूरी है । इसको खतम किया जाये ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य, आपका 2 मिनट का समय और रह गया है।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

जनता सरकार ने थोड़े समय में पढ़ाई के लिये विशेष व्यवस्था की थी । सुविधा यह थी कि पिछले वर्ग के लोगों को छात्रवृत्ति दी । आज मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि छात्रवृत्ति देने के लिये कोई प्रस्ताव कहीं भी नजर नहीं आ रहा है । गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों को जिन्दगी को बढ़िया बनाने के लिये जनता सरकार ने अन्त्योदय कार्यक्रम चलाया । मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस बजट में इसकी कहीं भी व्यवस्था नहीं है और चाहते हैं कि लोग ईमानदार हों, तो कैसे हो सकता है ? अन्त में मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह सारा बजट पढ़ने और देखने से ऐसा लगता कि यह बजट जो है वह किसान विरोधी है । अभी अखबारों में एक विज्ञापन 23 तारीख को शायद छपा था जिसमें मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की तस्वीर छपी थी और उसमें यह लिखा हुआ था कि उत्तर प्रदेश की जो उपलब्धियां हैं, 8 उपलब्धियां हैं, मैंने पढ़ा । लेकिन 100 में से 80 जो लोग गांवों में रहते हैं उनके लिये एक भी उपलब्धि नहीं थी । तो मान्यवर, मैं आपसे .....

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि देश के सभी लोग जो हैं एक स्तर के नीचे जिन्दगी .....

श्री अधिष्ठाता—

आप अपना भाषण समाप्त करें । श्री चन्द्र शेखर त्रिवेदी।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

गुजारें, बढ़िया और खुशहाली की जिन्दगी बसर करें तो नये सिरे से विचार करना होगा ।

श्री चन्द्र शेखर त्रिवेदी—

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत 1980–81 का जो बजट है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

मान्यवर, कई दिनों से इसमें चर्चा हो रही है । और ऐसा लगता है मान्यवर, कि विरोधी दल के जो हमारे सदस्य बैठे हैं उन्होंने इस बजट को पढ़ने का या गौर से देखने का कष्ट नहीं किया है । मान्यवर, यह भी लगता है कि माननीय सदस्य शायद कभी शासन में रहे नहीं हैं और ऐसी बात कहते हैं जैसे लगता है कि पहली–पहली बार बजट को देख रहे हैं । मुझे एक गांव की कहावत याद आती है सूप बोले तो बोले चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद हैं । सौभाग्य से उनको दिल्ली में कुर्सी पर बैठने और बजट बनाने का अवसर मिला । यादव जी, आप हमारे पड़ोसी हैं, बैठ जायं (व्यवधान) दिल्ली

का भी बजट बनाने का अवसर प्राप्त हुआ, उत्तर प्रदेश का बजट भी दो बार प्रस्तुत करने का सुअवसर मिला । आज महंगाई का बड़ा हल्ला उठा रहे हैं । लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब इनका दिल्ली का बजट प्रस्तुत किया गया था, इनके नेता चौधरी चरण सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया, ये किसानों के बड़े भारी हमदर्द बनते हैं, तो माचिस के दाम बढ़ गये, सिगरेट के दाम बढ़ गये, दियासलाई के दाम बढ़ गये, डीजल और पेट्रोल के दाम बढाये, बीड़ी के दाम बढ़ाये और नमक के दाम बढ़ा दिये, जो थोड़ा खाने में डालने से काम चलता है । इनके फाइनेंस मिनिस्टर के बजट से 20–25 प्रतिशत मंहगाई बढ़ी । लेकिन आज हल्ला उठा रहे हैं ।

लगता है कि इनके जमाने में कोई मंहगाई नहीं बढ़ी । लेकिन आज इतना हल्ला उठा रहे हैं । इनके जमाने में महंगाई बढ़ी । अभी यादव जी बोल रहे थे कि हमारी सरकार ने 30 वर्षों में सिचाई का प्रबन्ध नहीं किया । मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जितने नलकूप देहात में लगे हैं, सिचाई के साधन कहां से आये हैं? सारे के सारे कांग्रेस के वक्त की देन हैं । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कहते हैं कि हमने सड़कें बनवायी । अगर यह मान लिया जाय कि गली कूंचों में सिर्फ मिट्टी डाल उनको सड़कों की संज्ञा दे दें तो हमें सोचना पड़ेगा, डिक्शनरी में नया शब्द देखना पड़ेगा जो पक्की सड़के हैं यह क्या हैं । सिर्फ मिट्टी डाल कर सड़कों की संज्ञा दे दी जाय यह अफसोस की बात है । जो भी सड़कें बनी हैं सब कांग्रेस के वक्त की देन हैं । 1976 में मैं जिला परिषद का अध्यक्ष था । उस वक्त कांग्रेस सरकार ने कहा था कि आप अपने जिले की सड़कों की लिस्ट बना कर, जिला परिषद् से ऐप्रूव करवा कर हमारे पास भेजें, सड़कों की तालिका बनवा कर, उनके खर्चे का एस्टीमेट बना कर शासन को भेजा गया । इसी बीच में सरकार भंग कर दी गयी । नये चुनाव हुए, उसमें इत्तिफाक से आ गये । इत्तिफाक से आने का बड़ा भारी रुतबा समझते हैं । दूसरी बात शिक्षा के बारे में, मास्टरों के बारे में उठायी । कांग्रेस ने इस संबंध में जो कर सकती थी किया । मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं, इस समय कितने लोग बैठे हैं जो तीन वर्षों तक शासन में रहे उन्होंने शिक्षा में क्या सहूलियत दी ? किसी स्कूल को फालतू टाट-पट्टी नहीं दी गयी, फालतू कुर्सी नहीं दी गयी, किसी बच्चे के बैठने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था तीन वर्षों के शासन में नहीं की गयी । उसके बाद भाषण देते हैं, कि टाट पट्टी नहीं दी गयी, कुर्सी नहीं दी गयी ।

दूसरी बात मैं अन्त्योदय की करना चाहता हूं । एक नाम अन्त्योदय का दे दिया । जो भी अन्त्योदय में हुआ है, जो भी बंटा वह सारा का सारा ऐसे लोगों के हाथ में चला गया जिन्हे नहीं मिलना चाहिये था । अन्त्योदय का फायदा जिनको मिलना चाहिये था उन्हें नहीं मिला । मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं । नाम नहीं लेना चाहता । अन्त्योदय के नाम जो खड़खड़े दिये गये वह पुराने थे, जो घोड़े दिये गये वे बीमार थे, बूढ़े थे जो भैंस दी गयी वह सारी की सारी बूढ़ी दी गयीं । दो दो हजार, ढाई ढाई हजार की भैंसे चार चार हजार में दी गयीं । हमारे क्षेत्र का बी 0 डी 0 ओ 0 वक्सी का तालाब का वह भी इसमें शामिल था । हमारे क्षेत्र के मंत्री जी भी शामिल थे । बकरियां जो दी गयीं वह बीमार और बूढ़ी दी गयी ।

तीसरी बात भूमि आबंटन की कहना चाहता हूं । बड़े हरिजनों के हिमायती बनते हैं । मैं पूंछना चाहता हूं कि दो ढाई वर्षों के लिए हरिजन घरों के लिए जो भूमि पड़ी थी, सीलिंग से निकाली गयी थी, वह उनको कांग्रेस सरकार ने वितरित किया । कर्जे को कांग्रेस ने माफ किया । कांग्रेस की सरकार जैसे ही हटी इन सब लोगो की सरकार आयी 1977 में वैसे ही हंगामा खड़ा हो गया । हरिजन खेत में चला जायें तो गांव का जो मुखिया था, जिसने इनको जिताया था, वह कहता था कि जाओ अपनी इंदिरा महतारी के पास वह तुमको जमीन दिलायेगी । इनको शर्म नहीं आती ।

एक सदस्य —
आती है ।

श्री चन्द्र शेखर त्रिवेदी —
आती है तो चुप बैठिये । व्यवस्था कायम करिये मान्यवर । 1977 में जब कांग्रेस की सरकार खत्म हुई सीमेंन्ट का भाव 19 रुपये कुछ पैसे था, साढ़े उन्नीस के अन्दर अन्दर । मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इनका शासन जाते-जाते सीमेन्ट का भाव 33 रुपये और 34 रुपये के बीच हो गया । मान्यवर, श्री प्रदीप कुमार जी सीमेन्ट के भाव बढ़ने की बात कह रहे थे । सिंचाई की बात कहना चाहता हूं । मैं ज्यादा दूर नहीं जाता केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात करता हूं । बक्सी का तालाब और चिनहट के बीच का क्षेत्र एक एक बूंद पानी के लिए तरस गया। दूसरीबात सड़कों के बारे में कहूंगा । हमारे क्षेत्र में बहुत से गांव ऐसे है जो बाढ़ की चपेट में है, कहीं पर नाला बनाने की जरूरत है और कहीं पर नालों पर पुल बनाने की जरूरत है। मान्यवर, आप का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और मै समझता हूं कि हमारे विरोधी दल के लोग इसका समर्थन करेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—
मान्यवर, मैं माननीय सदस्य का भाषण बड़े गौर से सुन रहा था उन्होंने आरोप लगाया कि विरोध पक्ष के सदस्यों ने भाषण को पढ़ा नहीं । पूरा भाषण पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पंहुचा कि कहीं पुराने बजट भाषण पर तो नहीं बोल रहे हैं । 80–81 के बजट पर तो चर्चा नहीं कर रहे है । मूल बजट भाषण पर आयें जब उन्होंने सड़कों का और सिंचाई का जिक्र किया ।

मान्यवर, जो मैं पढ़ सका उससे इस अन्दाजा पर पंहुचा कि यह बजट पूरे तरीके से दिशा-हीन है । इस बजट में प्रदेश के विकास के लिए एक कदम भी आगे बढ़ने की संभावना नहीं है । बजट आमदनी और खर्च का व्योरा नहीं होता बल्कि सरकार की नीतियों की ओर भी संकेत करता है । इस बजट से किसी सही दिशा में कार्य होने का सवाल ही नहीं पैदा होता । और ऐसा प्रशासन उलझ गया है कि इधर दो ढाई महीने में प्रशासन नाम की कोई चीज ही नहीं है । ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि किसान, हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोगों की विशेष रूप से उपेक्षा हो रही है । मान्यवर, इन तथ्यों की पुष्टि में 2-4 बातें इस माननीय सदन में रखना चाहता हूं ।

मान्यवर,इस बजट को देखने से कोई नया काम होने की सम्भावना नहीं है । उसका कारण है कि हमारी जो छठी पंचवर्षीय योजना 1978–83 की 7798 करोड़ रु0 की बनी हुई थी, उसमें केवल 4600 की स्वीकृति केन्द्र से मिली थी । 1642 करोड़ खर्च हुआ गत वर्ष । चालू वर्ष के लिए 985 करोड़ चाहिये लेकिन बजट में 850 करोड़ की मन्जूरी दी । कुल पहले है 40 करोड़ रूपये इस साल बढ़ाया । अब 25 प्रतिशत मंहगायी की वृद्धि हो गयी है । अब माननीय मंत्री जी सोच लें कि 40 करोड़ की योजना में वृद्धि और 25/30 प्रतिशत मंहगाई में वृद्धि, तो स्वंय बात साफ हो जाती है कि इस बजट में कोई नये काम, कोई नयी चीज सामने आने की सम्भावना नहीं है । केवल आकड़ों का गोरख धंधा दिखाया गया है । लोगों को भ्रमित करने की चेष्टा की गयी है ।

मान्यवर, जब माननीय मुख्य मंत्री ने वित्त मंत्री की हैसियत से बजट पेश किया और द्वितीय लेखानुदान पेश किया जुलाई, अगस्त, सितम्बर के लिए 441,23 करोड़ की मांग की गयी । 80–81 में बजट में 2706. 08 करोड़ की मांग की गयी । इसका तीन बटे बारह भाग यानी 441–23 करोड़ चाहिये । बजट में कुल 231–5–35 करोड़ की मांग है ।तो एक सप्ताह में 400 करोड़ कहां से चले गये । यह केवल जनता को भ्रमित करने के लिए किया गया है । अब बहुत बड़ा कर्ज लिया जा रहा है । मान्यवर, जो कर्ज लेकर वापसी करते है, तो इस वर्ष

वापसी बहुत कम दिखाई है। इसलिए कम दिखायी है कि जिससे बजट को संतुलित करना चाहते हैं। इस लालच में उनकी आमदनी कम दिखायी। लेकिन आमदनी अगले साल बढ़ जायेंगी। फिर इम्बैलेंस हो जायेंगी। उस समय नये कार भार लगाने का रास्ता प्रशस्त कर दिया जायेगा। इसलिए जो आकंड़े सामने हैं, उससे स्पष्ट है कि हमारा बजट इस तरह से ड्राअप किया गया है नये चुनाव के कारण अगर कर नहीं लगाया तो अगले साल कर लगाने की बैक ग्राउन्ड उत्पन्न हो जाय।

अब जो लक्ष्य रखे गये हैं उसके बारे में कहना चाहता हूं। अभी हमारे माननीय नेता प्रदीप कुमार यादव बोल रहे थे। लक्ष्य भी दिया है। तो थोड़ा लक्ष्य के बारे में देख लें। माननीय मुख्य मंत्री जी की स्पीच में दिया हुआ है कि नये प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल प्रारम्भ किये जायेंगे। वर्ष में 770 प्राइमरी स्कूल खोले जायेंगें। माननीय सदस्य बोल रहे है। आकंड़े आप के पास हैं। फाइल निकलवा कर देख लें। क्या यह सही नहीं है कि पिछले साल 2000 प्राइमरी स्कूल सरकार ने खोले थे और आपका लक्ष्य केवल 275 है। माननीय सदस्य गण अपने जिले के बारे में सोच लें। मैं अपने कांस्टीट्युयेन्सी के बारे में जानता हूं। एक एक निर्वाचन क्षेत्र में 10/15 प्राइमरी स्कूल खोले गये थे। अब क्या स्थिति होगी। एक जिले में 5 स्कूल। मान्यवर, मै नहीं कहता कि पुरानी सरकार में त्रुटियां नहीं थीं। लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि यह सरकार, अगर पुरानी सरकार की गल्तियों को निकाल भी दिया जाय तो उसके आड़ में अपने पातों को छिपाने का काम करना चाहती है। मै चाहता हूं कि उधर के अगर कोई वक्ता बोले तो इनका जबाब दें दें। क्या यह सही नहीं कि जनता सरकार के आनें के पहले 7 वर्षो तक एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं खोला गया था। एक भी प्राइमरी स्कूल का मास्टर नहीं नियुक्त किया गया है। क्या यह सही नहीं है कि जनता पार्टी की सरकार ने फैसला किया था कि अगर साक्षरता का प्रसार करना है तो घूरे, मंगरे, वल्ले भी पढ़ जायं और इसके लिये सबसे बड़ी आवश्यकता है कि गांव गांव में स्कूल खोले जायं, प्राइमरी स्कूल के मास्टर नियुक्त किये जायं। उस समय का कीर्ति-मान उज्जवल था हमने गांव गांव में स्कूल खोलने की चेष्टा की, आंकड़ों से यह बात साफ हो जाती है।

मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं यह जो बजट है इसमें लिखा है मंडी समितियों द्वारा खड़ंजा लगाने का काम किया जायगा, 295 किलो मीटर में। मान्यवर, ऐवरेज लगायें तो हर जिले में 4–5 किलोमीटर आता है। पिछली सरकार में एक-एक मंडी समिति की ओर से 7–8 कि0 मी0 सड़कें बनी थी। आप सड़कें देख लें, स्कूल देख लें बात साफ हो जायेगी मान्यवर, पुल बनाने की बात है। बड़ी बिनम्रता के साथ एक बात कहना चाहता हूं। आप निर्माण के काम में राजनीति को सामने मत लायें। प्रदेश की गरीबी और आवश्यकता को देखें। 30 साल आपने शासन किया, 3 साल हमें उधर बैठे हैं। लेकिन प्रदेश की समस्यायें गहन हैं। आप वादा करके जीत कर आये हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र में 30 लाख रुपये की लागत से एक पुल बन रहा था। मैं जानबूझकर कह रहा हूं। मेरे जिले के माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुये हैं। काग्रेस के लोगों ने प्रचार किया कि यह पुल बनने का परिणाम होगा कि जो जनता पार्टी के सदस्य हैं उनको इसकी प्रशस्ति मिलेगी। पुल का निर्माण रोक दिया गया।

विधायक चुने जाने के बाद मैंने विधान सभा में सवाल पूंछा तो उत्तर मिला कि वर्षा के बाद पुल को प्रारम्भ किया जायेगा अभी वहां नाव दुर्घटना हुई न जाने कितने लोग काल के गाल में समा गये। उस क्षेत्र की आवश्यकता की तरफ ध्यान न देकर उसको वहां से शिफ्ट करने की चेष्टा की जा रही है। मान्यवर: ग्राम्य विकास और क्षेत्रीय विकास की मद में पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार आधा करोड़ रुपया आपने कम स्वीकार किया है। क्या गांवों में विकास की आवश्यकता समाप्त हो गयी है या ग्राम्य विकास का महत्व समाप्त हो गया है? ग्राम्य विकास का महत्व नहीं समाप्त हुआ है बल्कि शासन के सोचने की दिशा भ्रमित हो गयी है। पिछली

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-]

सरकार की नीति थी कि गांवों की ओर चलेंगे लेकिन आपने जानबूझकर आधा करोड़ रुपया कम कर दिया । इसी तरह से देखें खेल कूद के मद में कमी की गयी है। आज विश्व ओलम्पिक का परिणाम हमारे सामने है । हमारा प्रदेश खेलों में बिलकुल पिछड़ा हुआ है । हम युवकों को इस संबंध में नयी दिशा नहीं देना चाहते हैं । पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष खेल कूद की मद में कटौती कर दी गयी है । इसी तरह से प्रौढ़ शिक्षा के मामले में डेढ़ करोड़ रुपया कम कर दिया गया है ।

आप आलोचना करने तो खड़े हो जाते हैं लेकिन साक्षरता के विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है । बेचारे गरीबों, कृषकों जो बड़े हो गये हैं किसी कारण पढ़ लिख नहीं सके हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाना चाहिये इसीलिये हमारे मोरारजी भाई ने घोषणा की थी कि प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से घर घर गांव गांव में लोगों को पढ़ाया जायेगा । आपने योजना समाप्त कर दिया कौन सा श्रेष्ठ काम किया । एक दिन माननीय संजय सिंह बोल रहे थे । उन्होंने कहा कि प्रौढ़ शिक्षा में खतरा है । आपने कहा कि आर0एस0 एस0 के लोग प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से घुस गये हैं । मान्यवर, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से सम्बन्ध रखने का मुझे गौरव है । मैं सदन को बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग समाज की सेवा के काम के लिये शासन पर आश्रित नहीं है । आज ढाई हजार प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र प्रदेश में चल रहें हैं । मैं चुनौती देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने एक नये पैसे का अनुदान सरकार से नहीं लिया है । आरोप लगाने का आपको क्या हक है ।

एक सदस्य--

आप लोगों को मान्यवर, विदेश से सहायता मिलती है तो यहां मिलने की क्या जरूरत है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

विदेश की बात कहकर आप बेवकूफी का परिचय क्यों देते हैं । जब आपकी एक बात झूठी हो गयी तो आपकी सभी बातें झूठी हैं । यदि एक नया पैसा भी स्वयं सेवक संघ ने लिया हो तो मैंने तो त्यागपत्र देने तक की बात कह दिया है । स्वयं सेवक संघ के नाम पर प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम को आप समाप्त न करें । हम एक पैसा नहीं चाहते हैं लेकिन भगवान के नाम पर गरीबों के नाम पर और सेवा के नाम पर आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम को आप समाप्त न करें ।

मान्यवर, आज चारों तरफ स्थिति खराब है । आज ही समाचार पत्र में एक जांच रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उद्योग ब्यूरो के बारे में । अरबों रुपये और लगभग 39-40 अरब रुपये इसमें लगा है और अपेक्षा की जाती है कि यह ब्यूरो 10 प्रतिशत लाभ कमायेंगे । लेकिन इनमें दो ढाई अरब रुपये का घाटा है । यह फायदे में इन्टरप्राइजेज नहीं चल रहें हैं । इसलिये मैनें कहा था कि यह सरकार दिशाहीन हो गयी है । किसानों के लिये जनता पार्टी ने ध्यान दिया था लेकिन उस तरफ भी यह सरकार ध्यान नहीं दे रही है । क्षेत्रीय विकास निगम जनता पार्टी से पहले बने थे, उनका काम था कि गांवों में जाकर क्षेत्रीय योजनायें लेंगे लेकिन उसमें कुछ आज नहीं हो रहा है । क्षेत्रीय विकास के संबंध में जो रिपोर्ट है वह बहुत ही असंतोषजनक है । क्षेत्रीय विकास निगमों को मिली धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा है और उस पर जो ब्याज मिलता है उसका उपयोग रोजमर्रा के काम के भुगतान में किया जा रहा है और क्षेत्रों में कोई काम नहीं हो रहा है लेकिन यदि क्षेत्रीय विकास निगमों को विकसित किया जाता और उसकी कार्य शैली को ठीक किया जाता तो भी हमें संतोष होता लेकिन यह सरकार उस ओर कोई काम नहीं कर रही है ।

माननीय, अब मैं कहना चाहता हूं कि कुछ संशोधन बढ़ाने की बात सरकार ने कही हैं और उसमें मद्य निषेध की जो योजना चली आ रही थी उसको समाप्त कर दिया गया। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त जो डाइरेक्टिव हैं उनके प्रिंसिपल्स माध्यम से संविधान निर्माताओं ने राष्ट्र को आश्वस्त किया था कि हमारा लक्ष्य पूर्ण मद्य निषेध की ओर है। तो इसको ध्यान में रखते हुये सरकार आगे बढ़ी और कहीं पर आंशिक तथा कहीं पर पूर्ण मद्य निषेधकिया। लेकिन मेरा मत है कि उत्तरप्रदेश मद्य निषेध के नाम पर जो आगे बढ़ गया था उसमें पीछे होना डाइरेक्टिव प्रिंसिपल के खिलाफ है। डाइरेक्टिव प्रिंसिपल के अनुसार हम पूर्ण मद्य निषेध की ओर जायेंगे लेकिन उसको समाप्त करना डाइरेक्टिव प्रिंसिपल के खिलाफ है। इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि 40 करोड़ रुपये की आमदनी इससे होगी। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार के कोई सिद्धान्त नहीं है और महात्मा गांधी के सिद्धान्तों को इस सरकार ने ताक पर रख दिया।

महात्मा गांधी ने इससे रेन्यू मिलने की बात पर एक जगह पर कहा है कि यदि आप चोरी करने के लिये सर्टीफिकेट या लाइसेंस फीस लेकर दें और वेश्यावृत्ति कराने के लिये उनको लाइसेंस दे दें तो नशाबन्दी की दुकानों का आप नीलाम करें तो हमें कोई इसमें एतराज नहीं है। लेकिन महात्मागांधी के नाम पर जिनमें इतनी कलक और इच्छा थी कि मद्यनिषेध पूर्ण रूप से लागू हो और जिसके लिये लोग जेलों में गये प्रतिज्ञायें की गयीं लेकिन आज यह सरकार आते-आते ही उसको फिर शुरु कर दिया चारो तरफ इस बात का प्रचार है कि यह सब निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिये किया गया था। यह चुनाव के समय प्रचार किया गया था, वायदा लोगों से किया गया था कि हम लोगों को सत्ता में आने दीजिये, हमको सत्ता में भेजिये शराबकी दुकान की नीलामी चालू करा देंगे। उन वायदों का यह परिणाम है। महात्मा गांधी के सिद्धान्तों पर आग लगाकर, पानी डाल कर उनके नाम की जय बोलने के बाद यह चारों तरफ उस योजना के विरुद्ध ही काम किया जा रहा है।

एक सदस्य—

क्या आर0 एस0 एस0 के लोग भी महात्मागांधी पर विश्वास करने लगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

आर0 एस0 एस0 के लोग आपसे ज्यादा गांधी जी के सिद्धान्तों पर विश्वास रखते हैं। हम कहते कुछ और करते कुछ नहीं है।

दूसरी बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय, गांवों की समस्या। सब लोग इस बात पर बल देते हैं कि गांवों में नलकूप लगने चाहिये बड़े पैमाने पर लगने चाहिये। मैंने लक्ष्य देखा है। जो लक्ष्य रखा गया है इससे दुगुने नलकूप पिछले वर्ष में लगाये गये थे। एक वर्ल्ड बैंक की स्कीम आई है। इसमें उन जिलों को लिया जाता है जहां नल कूप लगा नेसे कुछ प्राफिट हो। कल्पना कीजिए यह योजना पिछड़े क्षेत्रों को उठाने के लिये है। जहां पर सम्पन्न लोग हैं वहां पर आप नलकूप लगा देंगे। एक जिले में कई स्थान हो सकते हैं, कहीं पर पिछड़ा स्थान हो सकता है, उस को आप छोड़ देंगे। यह शर्त नहीं होनी चाहिये। शर्त यह होनी चाहिये कि पिछड़े लोगों का विशेष रूप से ध्यान रखा जायगा।

मैं पंचानन जी से पूछना चाहता हूं जो बोल रहे थे, शिक्षा के क्षेत्र में रुचि लेते हैं, कि चारों तरफ एडमिनिस्ट्रेशन पेरेलाइज हो गया है, क्या यह सही नहीं है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यह घोषणा की कि छात्रों के फार्म 14 अगस्त को भरे जायेंगे। यह कहा था कि 31 अगस्त के बाद कोई फार्म नहीं लिया जायगा। यह कहा था कि बिलम्ब होगा तो

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–]
प्रधानाचार्यों पर 20 रुपया प्रति छात्र प्रति दिन जुर्माना किया जायगा । यह आप आदेश प्रसारित कर दिये । लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या फार्म आज तक मुद्रित हो पाये हैं । यह क्या शासकीय आदेशों की खिल्ली मचा रहे हैं । इसके बारे में आप देख लें ।

मान्यवर, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा । प्रशासन, मान्यवर, बिल्कुल आउट आफ कंट्रोल है, पैरालाइज है । मैं बताना चाहता हूं कि यह शासन के वक्तव्यों के कारण है । एक दिन मैंने पढ़ा । यह जागरण की एक कतरन मेरे पास है 6 अगस्त की । सभी आपूर्ति अधिकारियों के तबादले के आदेश । पता चला है कि आपूर्ति विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितताओं को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह ने प्रदेश में सभी जिला आपूर्ति अधिकारियों और उनके अधीनस्थ के तबादले के निर्देश दिये हैं । आश्चर्य हुआ कि सभी एकदम ।

मान्यवर मैं हकीकत बताना चाहता हूं । हमारे यहां सीतापुर में डिप्टी आर0एम0 ओ0 के खिलाफ 9 विधायकों ने शिकायत की थी । एक दिन ट्रांसफर किया गया । फिर पता चला कि उन का ट्रांसफर शासन ने रोक दिया । सभी विधायक उसके खिलाफ थे, आरोप सिद्ध हो गये, ट्रांसफर आर्डर किये गये । कितना प्रेशर में काम हो रहा है । मुख्य मंत्री जी ने एलान किया था कि दबाव बरदास्त नहीं किया जायगा। अभी समाचार पत्र में मैंने पढ़ा । बड़ी बड़ी सूचना छपी थी । प्रधान मंत्री ने भी कहा । सरकारी गल्ले की दूकानों पर छापे पड़े । मैंने पढ़ा कि सरकारी गल्ले की दुकान इस बात पर सस्पेंड की गई कि वहां पर अधिकृत दुकानदार के स्थान पर दूसरा आदमी दुकानदारी कर रहा था, सस्पेंड कर दिया, लेकिन यह क्या सही नहीं है कि सरकारी गोदामों में भ्रष्टाचार पकड़ा गया । कौन जिम्मेदार है इसके लिये और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि मुख्यमंत्री जी बड़े गुप्त रूप से दौरा करने गये लेकिन दुकानदार ने कहा कि हम आपका 1 घन्टे से प्रतीक्षा कर रहे थे एक जगह गये तो बहुत सा चना पड़ा हुआ था । यह आपका प्रशासन है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी गुप्त रूप से छापा मारने जा रहें हैं और वहां स्वागत की तैयारियां हो रहीं है और दुकानदार पान इलायची लिये हुये खड़ा है और चूने की लाइने पड़ी हुई है । इस तरह से प्रशासन पर कन्ट्रोल कदापि नहीं हो सकता । रोज सदन में बागपत कांड की घटना के बारे में चर्चा उठती है, दोषी कर्मियों को दण्डित किये जाने की बात कही जाती है लेकिन बागपत काण्ड के दोषी लोगों को पुलिस कर्मियों को दण्डित नहीं किया जा रहा है उसका यह परिणाम है कि पुलिस कर्मियों द्वारा हरिजन बालाओं के साथ बलात्कार की घटनायें रोज हो रही है मेरे पास लखीमपुर का समाचार है जनपद के थाना फलबेहड़ के अन्तर्गत ग्राम देवरिया निवासी श्री नोखे हरिजन की युवा पत्नी कलावती के साथ दो पुलिस सिपाहियों द्वारा दुराचार का समाचार प्राप्त हुआ है । इस घटना को दबाने के लिये जनपद के एक विधायक की ओर से जोरदार चर्चा भी की जा रही है । वहां के दोनों पुलिस कर्मियों की लाइन हाजिर कर दिया गया है ।

क्या इतने बड़े दुष्कर्म के लिये लाइन हाजिर होना सजा है ? इससे क्या प्रदेश से भ्रष्टाचार दूर होगा ? इसी तरह से एक दिन चर्चा हो रही थी मुख्यमंत्री जी ने मुझे गलत समझकर एक बात कह दी अगर आपको न्यायिक जांच पर संदेह हो जायगा तो काम कैसे चलेगा ? मैन कहा था कि मैंने न्यायायिक जांच पर संदेह नहीं किया, मैंने न्यायिक जांच की प्रक्रिया पर संदेह किया है और आज वह सन्देह हो रहा है पिछले वर्ष जनता पार्टी की सरकार थी । उस समय अलीगढ़ में दंगे हुये थे । इस

सदन में चिन्ता प्रकट की गयी थी इधर और उधर दोनों ओर से तथ्य सामने आ जायें इसके लिये जुडिशियल इन्क्वायरी की गयी थी और आज मैं सदन की जानकारी के लिये बतलाना चाहता हूं कि उस जुडीशियल इन्क्वायरी को इस सरकार ने वापस ले लिया है उसका रहस्य यह है कि उन दंगो की जिम्मेदारी वहां के गोल्डनगैंग पर डाली गयी है। मुख्यमंत्री जी पत्रावली देख लें तो उनको ज्ञात हो जायेगा कि जो एविडेन्स उस आयोग के सामने आयी उससे गोल्डन गैंग पर जिम्मेदारी आ रही थी जो कि शासन दल के, कांग्रेस के लोग हैं मेरा सरकार पर साफ आरोप है सरकार ने इसडर से कि कहीं तथ्य जनता के सामने न आ जांये इसलिये सरकार ने जानबूझकर ढाई साल काम करने के बाद उस जुडीशियल इन्क्वायरी को वापस ले लिया इसी तरह से मुरादाबाद के दंगों के लिये जुडीशियल इन्क्वायरी बैठी है लेकिन मुझे सन्देह इस बात का है कि वहां पर उसके लिये भी आप जिम्मेदार हुये तो इस इन्क्वायरी को भी आप वापस ले लेंगे जिस तरह से अलीगढ़ की जुडीशियल इन्क्वायरी को वापस ले लिया गया। इन तथ्यों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैं भाषण नहीं दूंगा केवल एक सूचना देना चाहता हूं। हमारे सम्मानित सदस्य ने शिक्षा के सम्बन्ध में कहा था कि पिछले सात साल में शिक्षा में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई और कांग्रेस शासन ने कुछ नहीं किया। मान्यवर, मेरे पास एक किताब है जो इन्हीं के शासन काल में छपी थी उसम लिखा है..

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैंने यह नहीं कहा बल्कि मैंने कहा था कि इस अवधि में एक भी अध्यापक की नियुक्ति नहीं की गयी और कोई प्राइमरी स्कूल नहीं खोला गया इसके अतिरिक्त 1974 में किसी विद्यालय को मान्यता देने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया।

श्री अम्मार रिजवी—

सन् 74 में यहां पर सीनियर बेसिक स्कूलों की संख्या 10,076 थी और 1976-77 में 10783 हो गयी। इसी तरह से जूनियर बेसिक स्कूल जो 63,645 थे वे 76-77 में बढ़कर 65,647 हो गये। इन विद्यालयों के बारे में सम्मानित सदस्य ने जिक्र किया था। यही नहीं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो 74 में 4165 थे वे 4537, 1976 77 में हो गये इसी तरह से उच्चतर महाविद्यालय जो 74 म 282 थे वे 76-77 में और 77-78 में 272 ही रह गये तो इनकी संख्या इनके शासन काल में घट गयी यह किताब आपके जमाने की छपी है यह मैंने सिर्फ सूचना के लिये कहा है।

*श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, 1980-81 में जो बजट माननीय नेता सदन ने प्रस्तुत किया है उसके बारे में अपने विचार रखने का आपने जो मुझे अवसर दिया है उसके लिये मैं आपकी कृतज्ञ हूं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब नेता विरोधी दल बोलते हैं तो मैं उनकी बात बड़े ध्यान से सुनती हूं क्योंकि मैं विश्वास करती हूं कि प्रजातन्त्र को सुचारु रूप से चलाने के लिये विरोधी दल का सफल होना नितान्त आवश्यक है। मेरा यह विश्वास इसलिये भी है कि जिस तरह से हम लोग नेता सदन को चुनते हैं विपक्ष के लोग भी उसी तरह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती प्रेमवती तिवारी]

से नेता विरोधीदल का भी चुनाव करते हैं। उस हिसाब से नेता विरोधी दल क्या कहते हैं, क्या शिक्षा हम उनसे गृहण करते हैं इसलिये मैं उनकी बात को बड़े ध्यान से सुनती हूं। उसके बाद ऐसा लगता है कि वे आये और सबसे ज्यादा कोई चीज अगर उनको खटकी तो वह यह कि सारे बजट में इन्दिरागांधी की प्रशस्ति के अलावा और कुछ नहीं है। मैं कहना चाहती हूं कि यह बात बिलकल सही है। सत्ता पक्ष के लोग श्रीमती इन्दिरागांधी के नेतृत्व में विश्वास इसलिये करते हैं कि आज सारे देश ने यह साबित कर दिया है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी इस देश की नेता है और यही कारण है कि हम यहां पर आकर बैठे हैं और आप वहां बैठ गये हैं। यह उस बात का प्रमाण है। इसके अलावा मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण के पैरा 3 में कहा है कि सरकार के संकल्प के कुछ प्रमुख अंग इस प्रकार हैं ग्रामीण क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना,क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना, निर्बल वर्ग का उत्थान, अल्प संख्यकों के हितों की रक्षा, कानून और व्यवस्था की स्थापना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, स्वच्छ एवं कुशल प्रशासन, समुचित वितरण प्रणाली और प्रदेश का सम्यक आर्थिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास, यह उन्होंने कहा, यह शायद वह नहीं पढ़े, या पढे तो समझ नहीं पाया मेरी समझ में ऐसा आता है कि वह ऐसा महसूस करते हैं कि अगर इस बात को कहेंगे तो उससे वह अपने आप ये कमजोर पड़ जायेंगे।

एक चीज वह कहते हैं कि बड़ा भारी भ्रष्टाचार यहां पर है। मुझे इस सम्मानित सदन का पुराना ख्याल आता है। उस वक्त यह इधर बैठते थे। एक वैर हाउस के बारे में दो रिश्तेदारों की बात थी एक ने आठ एकड़ जमीन बेची और दूसरे रिश्तेदार ने 8 एकड़ जमीन वैरहाउस के लिये खरीदी। उनके नेता जो दिल्ली में बैठे हुये थे चौधरी चरण सिंह के संकेत से यह कहने में मुझे तनिक भी संकोच नहीं होता है उस समय कहा गया कि यह तीन बीघा जमीन भी अगर बिकेगी तो उससे ज्यादा होगी। अगर यह बात गलत होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा लेकिन यह बात सही हो गयी वह मामला यहीं रह गया और खुशामद करने वालों ने यथास्थिति बना ली तो यह भ्रष्टाचार का उनका जीता जागता उदाहरण है। मैं इनका ध्यान इस तरफ आकर्षित कर रही हूं। हमारे विरोध पक्ष के सदस्य इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। उस समय की प्रोसीडिंग की मंगाकर के वह देख लें।

इसके बाद मैं कहना चाहती हूं इस स्पीच के पेज 17 पैरा चार में आप देखें इसमें एक चीज कही गयी है मत्स्यपालन की इसमें कहा है कि मत्यस्य पालन अधिकांशतः समाज के पिछड़े हुये कमजोर वर्ग के लोगों का रोजगार है अतः इसके विकास पर भी पर्याप्त बल दिया जाना प्रस्तावित है। आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहती हूं इसके लिये खासतौर से जहां पर तालाब हैं और वह पिछड़े इलाके हैं वहां पर तालाबों में जलकुम्भी लगी हुई है। उससे मच्छर और कचड़ हो जाता है। इसलिये जो पिछड़े हुये इलाके में तालाब है उनको खोदकर जैसा नियमानुसार हो मई जून में कम से कम पांच छः फिट पानी रहे ऐसा कर दें इसलिये पिछड़े हुये इलाकों में जहां तालाबों में जलकुम्भी लगी हुई है उनको खोदकर ठीक करवा दें जिससे पिछड़े वर्ग के लिये आप कोई साधन दे सकें अगर ऐसा करने से उन गरीबों का काम पूरा होता तो उससे आप निर्बल वर्ग की सेवा कर सकते हैं।

एक बात और कहना चाहती हूं कि हमारी योजना बड़ी अच्छी है लेकिन मुझे अपनी सरकार से शिकायत है या हो सकता है वह भूलगये पेज 32 में पैरा 3 में कहा है कि भारत सरकार की नीतिके अनुसार प्रदेश सरकार ने 15–35 वर्ग क निरक्षर

व्यक्तियों विशेष रूप से महिलाओं अनुसूचित जाति तथा जनजाति के सदस्यों एवं समाज के अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को साक्षर बनाने, उनकी व्यवहारिक कुशलता का स्तर उच्च करने तथा उनमें चेतना जाग्रत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का प्रारम्भ किया है। मैं कहना चाहती हूं कि मुझे एक बात याद आ गई जो पिछली सरकार थी उसमें इनके एक केन्द्रीय मंत्री थे, राजेन्द्र कुमार गुप्त जी के लीडर थे। उन्होंने देखा कि एडल्ट एजुकेशन में बहुत रुपया है तो उसको उन्होंने एक ही जगह पर केन्द्रित कर दिया। तो यह भ्रष्टाचार की बात करते हैं और समाज से साक्षरता समाप्त करने के लिये दावा करते हैं। तो मैं कहना चाहती हूं कि उस समय साक्षरता का प्रचार नहीं हो सका। वह आसमान से गिरकर खजूर में अटककर रह गया। मैं आपसे विनम्र शब्दों में कहना चाहती हूं कि जहां सारी समस्यायें हैं एक महिला के नाते महिला का दर्द मेरे दिल में है, उसी सन्दर्भ में मैं आपके माध्यम से सरकार को कुछ सुझाव देना चाहती हूं। महिलाओं की जो समस्यायें है सरकार उसकी तरफ तरफ विशेष रूप से ध्यान दे "व्यवधान" बढाये आप, हमने तो कम करना ही सीखा है... "व्यवधान" हमने एक बात यह देखी है वह यह है..."व्यवधान" जब कोई अच्छी बात होने लगती है तो किसी के कान में वह न पड़ जाए, इसलिये यह लोग हाय हाय कहकर हल्ला मचाने लगते हैं। तो इनसे यह कहो कि यह कुछ सीखें, तब कुछ कहें। हमारी अच्छी आवाज सबके पास जायेगी, जायेगी, हम कृतसंकल्प हैं, आप चाहे जितना हल्ला करें, आप और समाज विरोधी लोग चाहे जितना शोर करें, रोक करें हमारी सरकार डटकर उनका मुकाबला करेगी, उनको आगे बढाने की कोशिश करेगी। एक साजिश की जाती है देश न बढ़े, समाज न बढ़े सरकार बदनाम हो और वह लोगों की निगाह में गिरे। उसके लिये सदन में आकर कुछ गलत कुछ सही कह दिया, और जब आप उसको रोकने की कोशिश करते हैं, तो फिर हाय-हल्ला होता है, उधम होता है। उसके पीछे एक साजिश काम कर रही है, जिसको आप बढ़ावा दे रहे हैं और उसको रोकने की कोई चेष्टा नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त। अब आप बैठें।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी---

यदि हमारा समय समाप्त है तो मैं आपकी बात मानकर समाप्त करती हूं, लेकिन अभी मुझे कहना बहुत कुछ था और समय हमें कम मिला है। अन्त में मैं इस बजट का समर्थन करती हूं और अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री अकबाल हुसैन---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने बजट की सामान्य चर्चा में मुझे भाग लेने का जो अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, किसी भी प्रदेश का बजट; उस प्रदेश के आगामी वित्तीय वर्ष में जो विकास होने वाला है, उसका दर्पण हुआ करता है। नेता सदन, जिन्होंने इसको प्रस्तुत किया था, हमने उस बजट रूपी दर्पण में जब देखा प्रदेश के भावी विकास की तस्वीर को तो हमने उसमें उसकी तस्वीर को बड़ा धूमिल पाया। हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसके प्रथम पृष्ठ के पैरा-2 में कहा गया है "सारांश में सरकार के संकल्प के कुछ प्रमुख अंग इस प्रकार हैं ग्रामीण क्षेत्र का सर्वांगीण विकास, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकता को सुदृढ करना, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना, निर्बल वर्ग का उत्थान, अल्प संख्यकों के हितों की रक्षा, कानून और व्यवस्था की स्थापना इत्यादि, कानून व्यवस्था की बात तो इस बजट में कही गयी है, उसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब से माननीय मुख्य मंत्री जी ने एलान किया यानी 6 जून को, यह इस प्रदेश का दुर्भाग्य ही है कि उस ऐलान के साथ ही साथ, 6 ही तारीख को और इनके ही नगर में एक बाल्टी पानी के ऊपर 2 व्यक्तियों में झगड़ा हो गया जिसको

[श्री अकबाल हुसैन]

खुले रूप से सांप्रदायिक दंगे का नाम दिया गया । उसी तरीके से आज तक जो दंगे हुए 2 फिरकों के बीच में उनको साम्प्रदायिक दंगे की संज्ञा दे कर पूरे प्रदेश में साम्प्रदायिकता का विषाक्त वातावरण फैला दिया और तनाव हो गया है । ऐसी स्थिति में जिस बात को लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी ने 17 फरवरी को इस प्रदेश की विधान सभा को भंग किया था, कानून व्यवस्था और बढ़ती हुयी मंहगाई, उन्हीं के संबंध में, मैं कहना चाहता हूं कि जब से इस प्रदेश में यह पापुलर सरकार आयी कानून व्यवस्था की जो दशा हुयी है, वह पहले कभी नहीं हुयी । 9 जून, 1980 से लेकर मेरे ख्याल में अब तक पुलिस की गोली से 500 से अधिक व्यक्ति मारे गये हैं । इस सरकार ने जो कानून व्यवस्था इस प्रदेश को दी है, यह उसी का नतीजा है । दूसरे जो मंहगाई को रोकने की बात को लेकर आपने लोक दल की सरकार को भंग किया था और इस महंगाई को कम करने का वादा किया था, उसी के बलबूते पर आपने चुनाव में लोगों को सब्जबाग दिखाकर, सफलता जरूर पायीं लेकिन किस प्रकार से उस महंगाई को कम कर पाये । मैं केवल 2–3 आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । जिस समय सत्ता आपने संभाली, चीनी का जो भाव था प्रदेश में आज उससे दो गुना हो गया है, इस बात से आप भी इंकार नहीं कर सकते हैं । दूसरे आलू का भाव जिसे प्रदेश के सभी गरीब लोग खाते हैं । एक रुपया प्रति किलो से बढ़ कर आज 2 1/2 रुपया प्रति किलो तक पहुंच गया है ।

अब मै आपके माध्यम से सरकार का ध्यान शिक्षा के क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूं शिक्षा की मद में आपने जो बजट में प्राविधान किया उससे न तो शिक्षा का स्तर ही ऊंचा होने जा रहा है और न जो अशिक्षित लोग हैं, उनको शिक्षा ही प्राप्त होने जा रही है ।

आपने राष्ट्रीय एकता की भी बात कही है । यदि प्रदेश और राष्ट्र को आग बढ़ना है तो यहां के लोगों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बंधना होगा एक साथ चलना होगा । शिक्षा के माध्यम से ही राष्ट्रीय एकता को जगाया जा सकेगा । लेकिन प्रदेश में शिक्षा की जो व्यवस्था है, जिस प्रकार से कई तरह के स्कूल्स कई तरह के विद्यालय चलाये जा रहें हैं उनसे राष्ट्रीय भावना की एकता के के सूत्र में बंधने में बाधा पैदा होती है । बड़े बड़े लोगों के बच्चे अच्छे अच्छें स्कूलों में विद्या ग्रहण करते हैं लेकिन छोटे छोटे आदमियों के गरीब लोगों के बच्चे जो गांवों में प्राइमरी स्कूल्स है, उनमें विद्या पाते हैं और जिन परिस्थितियों में वे वहां पर विद्या पाते हैं, उनमें और उन स्कूलों में जहां पर बड़े लोगों के बच्चे शिक्षा पाते हैं, बड़ा ही अन्तर है । तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है और अमीरी और गरीबी की खाई और अधिक हुयी है और छोटे और बड़े लोगों के बच्चों की शिक्षा में जो अन्तर है वह बढ़ता ही जायेगा जिससे यह प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता है ।

मान्यवर, इस बजट में क्षेत्रीय असमानता को दूर करने की बात कही गयी है । नेशनल काउन्सिल आफ इम्प्लाइड एकोनामिक सर्वेक्षण के अनुसार इस देश में 58 जिले ऐसे हैं जो बहुत ही पिछड़े हुये हैं और उन 58 जिलों में हमारे प्रदेश में 23 जिले ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा पिछड़े हुये हैं । पूर्वान्चल के 15 जिले जिसमें देवरिया गोण्डा गोरखपुर, बस्ती आदि भी बहुत ही पिछड़े हुये जिले हैं । इन सभी में गोण्डा जिला हमारा सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है । शिक्षा के क्षेत्र में तो हमारा गोण्डा जिला 56वें नम्बर पर आता है । गोन्डा जिले से जिस क्षेत्र से चुनकर मैं आया हूं वहां एक ऐसा भी विकास खण्ड है जहां एक भी हायर सेकेन्ड्री स्कूल नहीं है और न ही यातायात के कोई साधन है कोई सरकारी बस उस क्षेत्र में नहीं चलती है ।

हमारा क्षेत्र नैपाल बार्डर से मिला हुआ है। वहां पर जनजाति थारुओं की काफी आबादी है। मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके विकास की बात कही है लेकिन यह नहीं बताया कि किस प्रकार से उनका विकास किया जायेगा, क्या क्या योजनायें उनके विकास के लिये बनायी गयी हैं? मैं कहना चाहता हूं कि यह बजट किसान विरोधी बजट है क्योंकि जिस दिन से यह सरकार आयी है उसने उर्वरकों के दाम काफी बढ़ा दिये। जनता पार्टी की सरकार ने जब गन्ने के दाम ढाई रुपये हो गये थे तो अपने कोष से सहायता देकर किसानों की मदद की थी। अगर किसानों के साथ आपको हमदर्दी थी तो जिस तरह से गन्ने के दाम कम होने पर सरकार ने गन्ना किसानों की सहायता की थी उसी तरह से आपको भी उर्वरकों के दाम बढ़ने पर किसानों को अनुदान देकर उनकी सहायता करनी चाहिये थी।

यहां पर काफी आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर हुये हैं। उधर से मंजूर अहमद साहब ने चौधरी चरण सिंह की बहुत आलोचना करते हुये यह आरोप लगाया कि उनके परिवार के लोग अपराधियों के अन्दर हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो उधर के बैठे हुए लोग हैं क्या वह दिन भूल गये जब 23 सितम्बर, 1979 को आपकी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह के जन्म दिन के अवसर पर, जब 40 लाख कृषकों ने बधाई देने के लिए नई दिल्ली में वोट हाउस क्लब में उपस्थित हुई थी? उस समय आपकी नेता माननीया इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह को गुलदस्ता पेश किया था। चौधरी चरण सिंह के ऊपर जो आपने टिप्पणी की थी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह के बारे में जो कहा गया, क्या आप वह दिन भूल गये कि जब 23 जुलाई, 1978 को आपकी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह को इस देश का प्रधान मंत्री बनाने के लिए समर्थन देने के लिए वादा किया था। (व्यवधान)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

श्रीमन्, जो सूचो है उसको देखने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठ जाइये। मैं आपको भी मौका दूंगा।

(व्यवधान)

श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। आप देखते हैं कि मुख्य मंत्री जी ने जो ग्रामीण विकास का संतुलित विकास का आह्वान किया है वह अपने में एक प्रशंसनीय कदम है। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार के क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्र में जो इस सरकार ने संकल्प लिये हैं, उसका यह द्योतक है कि यह सरकार उस ओर अग्रसर होना चाहती है। मैं यह कह देना चाहता हूं कि इस प्रदेश की जनता ही वास्तव में जज है कि किसका लेखा-जोखा, आया वह कांग्रेस सरकार का या जनता सरकार का ठीक रहा। आपने देखा स्वतन्त्रता के पश्चात् 47 से 77 तक लगातार जनता ने कांग्रेस पर मोहर लगाया। जो प्रगति के कार्य कांग्रेस सरकार ने किये, इसी से कांग्रेस पर जनता ने मोहर लगा दिया। परन्तु आपने देखा कि केवल ढाई साल वह जनता शासन को अवसर मिला इस प्रदेश में और देश में शासन करने का और जो देश और प्रदेश की दुर्गति हुई वह सबके सामने है। बहुत खामियां हैं और आप बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। उधर के बैठने वाले, आपने आलू की फसल को बर-बाद कर दिया। गन्ना उठाया ही नहीं गया और वहीं पर खेतों में गन्ना जलाना पड़ा। कपास का मूल्य जो किसानों को मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। इस प्रकार से जिस क्षेत्र में देखें, पन्ने उठाकर देखें तो यही कहना पड़ेगा कि शेम-शेम। आज आप बात करते

[श्री राम सिंह]--
हैं कि प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उसकी भागीदार यह सरकार नहीं है बल्कि बहुत से ऐसे प्रतिक्रियावादी तत्व हैं जो यह सब करा रहे हैं। यह निश्चयात्मक कदम हमारी सरकार ने उठाया है कि उनको कुचल दिया जायगा। मैं रुढ़की क्षेत्र से विधायक चुना गया हूं जो पश्चिमी जिलों में गया है। इस पश्चिमी क्षेत्र को विकसित क्षेत्र भी कहा गया है। हर एक दृष्टि से चाहे वह आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे सामाजिक दृष्टि से हो और चाहे जिस दृष्टि से हो मैं चाहूंगा कि सरकार उनकी प्रगति की ओर ध्यान दे। हमारे क्षेत्र में पेय जल की बहुत बड़ी समस्या सामने है। पूरे रुड़की शहर को छोड़कर केवल वहां दो इंटर कालेज हैं, और वहां पर पर्याप्त सड़कें भी नहीं हैं, अस्पताल नहीं हैं। हमारे क्षेत्र भगवानपुर में सोलानी नदी है, जिस पर पुल बनना आज बहुत आवश्यक हो गया है क्योंकि जिस वक्त सोलानी नदी बाढ़ के कारण उफनाती है, उस समय नदी के उस पार के लोगों से बिल्कुल सम्पर्क टूट जाता है। इसी प्रकार से दूसरे अंचलों में जो पहाड़ों की तलहटी में पड़ते हैं, वहां पर भी समस्त सुविधाओं की ओर आप विशेष ध्यान दें। इसी प्रकार से बाढ़ क्षेत्र है, जहां ट्यूबवेल द्वारा आबपासी की विकट समस्या है। मैं चाहूंगा कि उस स्थान का सर्वे होना चाहिए कि कितनी एग्रीकलचरल लैण्ड इस योग्य है, जिसमें ट्यूबवेल लगाये जा सकते हैं। इसी प्रकार मेरा आप से निवेदन है कि पश्चिमी जिलों में जो अब तक संतुलन बना रहा है, उसको बनाये रक्खें। अगर आपने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो सम्भव है शीघ्र ही यह संतुलन बिगड़ जाये।

इसी प्रकार से हमारे यहां जो विश्वविद्यालय हैं, रुड़की इंजीनियरिंग कालेज है, जिसका इतिहास हमारे प्रदेश में नहीं अपितु पूरे संसार में प्रसिद्ध है, यहां के निकले हुए इंजीनियर्स की कीर्ति पूरे संसार में फैली हुई है। परन्तु इसकी ग्रान्ट आई0आई0टी0, कानपुर के समकक्ष भी नहीं मिल रही है। आई0आई0टी0, कानपुर से ज्यादा हमारे यहां निकाले जा रहे हैं। लेकिन ग्रान्ट आज कानपुर से भी ढाई गुना कम दी जा रही है। साथ ही साथ मैं शिक्षा के संबंध में भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, कि वैसे हमारे मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट में शिक्षा के लिए काफी प्राविधान किया है। लेकिन उसमें भी संतुलन की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर भी प्रभावी कदम उठाये तो अधिक न्यायोचित होगा ताकि बच्चों के लिए समान शिक्षा हो सके। इसकी आज बहुत आवश्यकता है कि राष्ट्र के हर बच्चे को समान शिक्षा मिले। तभी सर्वांगीण विकास सम्भव होगा। जिस प्रकार से सेंट वेरूलम में बच्चे हर काम समय से करते हैं, समय से सुबह उठते हैं, समय से आहार मिलता है। ऐसे बच्चे जब जीवन फील्ड में आयेंगे तो इन बच्चों का मुकाबला वह गांव के बच्चे नहीं कर सकते जिनका कोई काम समय से नहीं होता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि पूरे देश प्रदेश में एक समान शिक्षा और एक समान आहार का प्रबन्ध होना चाहिए तभी देश का सर्वांगीण विकास होगा। और तभी मैं समझता हूं कि फिर बैकवर्ड और शिड्यूल्डकास्ट के रिजर्वेशन की आवश्यकता भी नहीं रहेगी और जब प्रोमोशन में और सर्विसेज में रिजर्वेशन की आवश्यकता भी समाप्त हो जायेगी तभी निश्चित रूप से विकास होगा।

जनता सरकार ने जो एफ0एस0एस0 बोर्ड में नामीनेशन की परिपाटी डाली थी, वह बिल्कुल अप्रजातांत्रिक प्रणाली है, मैं चाहूंगा कि उसे समाप्त किया जाए और जो इसी द्वारा अन-डेमोक्रेटिक व्यवस्थाएं हो रही हैं, उन्हें समाप्त किया जाए। दो तीन सालों से लगातार जो सहकारी इन्स्टीट्यूशन्स हैं, अपने हाथों में लेकर सारी की सारी प्रणाली को धराशायी कर दिया है।

इसलिये मैं चाहूंगा कि इनके चुनाव कराये जायं। साथ ही साथ जो म्युनिसिपल बोर्ड है और इस प्रकार की दूसरी संस्थायें हैं, जनता सरकार ने तो कहीं चुनाव कराने का नाम नहीं लिया केवल मनोनयन किया है नामिनेशन्स किये हैं। इस प्रकार प्रजातन्त्र का नामोंनिशान इस प्रदेश और देश से मिटा दिया था। अभी हमारी सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। जंगलात के सम्बन्ध में शाकम्बरी एक जंगल है जहां चांदमारी होती हैं और पीतल

पड़ी रहती है उसका ठेका हमारी सरकार ने खुले आम कराया आपको आश्चर्य होगा पिछले साल यह ठेका एक लाख रुपये में हुआ था इस वर्ष 5 लाख में यह ठेका हुआ। इससे उत्तर प्रदेश को काफी लाभ हुआ है।

श्री अधिष्ठाता--

केवल 2 मिनट आपके रह गये हैं।

श्री रामसिंह--

मान्यवर, तो मैं कहना चाहता हूं कि इस साल वह ठेका 5 लाख रुपये का हुआ है। दूसरा क्रांतिकारी कदम हमारी सरकार ने बिजली के सम्बन्ध में उठाया है। हमारी सरकार ने बिजली के उत्पादन यूनिट को अलग तथा वितरण यूनिट को अलग करने का फैसला लिया है इससे कितनी बिजली उत्पादित हो रही है और उसका वितरण कितना हो रहा है इसका लेखा-जोखा ठीक प्रकार से रखा जायगा। उत्पादन करने वाली यूनिट वितरण करने वाली यूनिट को बिजली हस्तान्तरित करेगा, वितरण यूनिट को इसका हिसाब रखना पड़ेगा। हमारी सरकार ने जंगलात के सम्बन्ध में एक निर्णय लिया है कि कागज की फैक्टरियां यदि हमको सस्ते रेट पर कागज नहीं देगी तो हम उनको सस्ते रेट पर भाभड नहीं देंगे। इससे भी काफी लाभ हमारे देश और प्रदेश को होगा। हमारी सरकार ऐसे कार्य कर रही है जिससे इस प्रदेश का और देश का सर्वांगीण विकास होगा। जनता सरकार के जमाने में लाखों रुपये का घोटाला हुआ था। मैं कहना चाहता हूं कि आप देखें कि अगले 5 सालों में हमारी सरकार इस प्रदेश को और देश को कहां से कहां किस शिखर पर ले जाकर रखती है।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, विगत कई दिनों से प्रदेश के वित्तीय प्रारुप पर विचार चल रहा है और इस प्रदेश को चतुर्दिक विकास देने की कोशिश की गई है। विपक्ष ने खुले हृदय से और लेकिन लगातार सत्ता पक्ष ने भी इस बजट का विरोध किया है। मैं कहता हूं कि इस माननीय सम्पूर्ण सदन ने इस बजट का विरोध किया है। किसी भी देश और प्रदेश की प्रगति उसकी शांति और व्यवस्था पर निर्भर करती है। उस प्रदेश और देश की आंतरिक स्थिति कैसी है इस बात पर निर्भर करता है। वहां की शांति व्यवस्था कैसी है। आज हमको और सबको इस बात का अहसास है कि आज उत्तर प्रदेश में कानून नहीं है और न ही कानून व्यवस्था है। सभी माननीय सदस्य को गर्व है कि हम भारतीय हैं।

एक सीता और द्रौपदी के चीर हरण के कारण मानस की रचना की गई महाभारत की रचना की गई दोनों का समूल नाश हुआ आज हमारे देश में हजारों महिलाओं का शीलहरण होता है और दुख तो इस बात का है कि वास्तविकता को मानने के लिये भी सत्ता पक्ष तैयार नहीं है इसके लिये भी विचारों का बल प्रयोग करना पड़ता है। पुलिस के के बल पर यह सरकार अपने को स्थायित्व देना चाहती है। निवारक नजरबन्दी कानून में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था किसी राजनीतिक और सामाजिक लोगों को बन्दी नहीं बनाया जायगा केवल दोषी व्यक्तियों के ऊपर ही लगाया जायेगा। बरहज विधान सभा क्षेत्र में कसली विद्यालय के प्राचार्य को बरहज के थानाध्यक्ष ने विद्यालय प्रांगण में लाठियों से मारा और देवरिया के 13 विधायक इससे अवगत हैं और इसके बाद भी नेता सदन इस बात का आश्वासन देते हैं कि निवारक नजरबन्दी कानून केवल दोषी व्यक्तियों के लिये है।

(इस समय 2 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्रीकृष्ण गोयल पीठासीन हुए।)

मान्यवर, देश में न कोई कानून है न कोई व्यवस्था। सत्ता पक्ष के एक माननीय सदस्य ने बहस करते हुए कहा था कि कहीं-कहीं दोषी व्यक्ति ही मारे गये हैं। हमें उनकी इस बात में यह बात छिपी हुई दिखाई देती है कि बहुत से निर्दोष व्यक्ति ही मारे गये हैं। घरों से लोगों को पकड़ कर बीच-बगीचों में सूखे पेड़ों से बांध दिया जाता है और गोली चलायी जाती

[श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र]

है। न पेड़ों पर और न पत्तियों पर, न घरों पर ही कोई निशान रहता है। इस तरीके से काउण्टर किया जाता है। मुझे ऐसे बहुत से लोगों के नाम और गांव के पते मालूम हैं जिनको घरों से पकड़कर लाकर गोली मारी गयी।

प्रदेश और देश की प्रगति शक्ति पर निर्भर करती है हमारे देश की शक्ति है विद्युत विभाग यह पिछले कई वर्षों से बीमार पड़ा है। सफेद हाथी हो गया है। पिछले कई सालों से मरा हुआ पड़ा है। विद्युत उत्पादन की क्षमता घटी है और इसके आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादन घटा है। मंहगाई बढ़ती जा रही है, उत्पादन घटता जा रहा है, श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है, प्रदेश कैसे प्रगति करेगा। नजदीक से आप देखें, विद्युत विभाग के लोगों को काम करने का कोई नियत नहीं है। एक ही जनपद में एक व्यक्ति 10–10 सालों से रह रहा है। चाहे पहले की हुकूमत हो, बीच में मेरी थी, आज आपकी है, लेकिन उनके लिये कोई प्रक्रिया नहीं है। उनके स्थानान्तरण होते हैं और वापस हो जाते हैं।

शिक्षा नीति में कोई व्यवस्था आज तक नहीं दे पाये। प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं दे सके। इस पर नियंत्रण लगाते हैं। कापी-किताबें नियंत्रित कर दी गयी और इसकी भी आज काले बाजार में बिक्री हो रही है। पैसे के आधार पर बुद्धि खरीदी जाती है। विवेक बेंचा जाता है। शिक्षा में यह आपकी व्यवस्था है।

सिंचाई विभाग है। मुझे पूरे प्रदेश का आकलन तो नहीं है लेकिन केवल देवरिया की स्थिति यह है कि यहां छितौनी बांध आज भी चिल्ला रहा है। आज भी उसकी मरम्मत हो रही है। करोड़ों की रकम लगा दी है। अगर यह करोड़ों की रकम के सिक्के बनाकर ढाल दिये जाते तो यह बांध मेटल का बन गया होता उत्तर प्रदेश बच जाता और बिहार बहता न। बालू की मिट्टी के बने बन्धे एक ग्यारह में मिश्रण के बने। रेगुलेटर आज वर्षा के प्रथम प्रहार से वह ध्वस्त हो गया है, जन-जीवन को असामान्य और अस्त-व्यस्त कर दिया है। आज तीन, तीन चार-चार किलो मीटर दूर तक लोगों को दैनिक कार्यों से निपटने के लिए जाना पड़ता है। पानी से डूबते हुए लोगों को बचाने के लिए जल नौकाओं को लेकर जो लोग निकलते हैं उन जल मजदूरों को बचाने के लिए कोई इन्तजाम नहीं है। उनकी मजदूरी तय नहीं है। उनके डूब जाने के बाद उनके आश्रितों को मुआवजा देने की कोई व्यवस्था नहीं है।

सलेमपुर तहसील में एक वृहद् जगह है और बरहज गोरखपुर जनपद की सीमा से 4 किलोमीटर पर बसा हुआ है। बरहज को छोड़कर उसके बाद आपने महिला चिकित्सक की सम्पूर्ण तहसील में कोई व्यवस्था ही नहीं दी है। स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों रुपये का गबन हो रहा है। दवाखाने से पर्चियां दे देते हैं और दवाएं जो सरकारी स्तर पर दी जाती है बेसहारा और गरीब मरीजों को देने के लिए वे दूकानों पर बिकने के लिये चली जाती हैं, और वे लोगों द्वारा बेची जाती है। यह आप की व्यवस्था है, विकृत व्यवस्था है, उसको रोकने के लिए कोई दूसरा प्रारूप नहीं है। वैसे इन विकृतियों को दूर करेंगे, कैसे प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जायेंगे? गन्ना विभाग की चर्चा चली है। पूर्वी क्षेत्र की मुझे जानकारी है। यह विभाग अन्दाजे पर चल रहा है। अन्धकार में टटोल कर चल रहा है। पिछले चार-पांच साल पूर्वी क्षेत्र की बैलेंसशीट आउट नहीं हुई है। यह विभाग कैसे चल रहा है? आमदनी और खर्चे का जहां कोई ज्ञान ही नहीं है। जब आमदनी और खर्च का ज्ञान नहीं होगा वित्तीय व्यवस्था केवल अन्दाजे पर चलायेंगे।

समुचित वितरण व्यवस्था की बात कही गयी है। आपकी व्यवस्था में वितरण इस दिशा में पहुंच गया है, कि सस्ते गल्ले की दूकानें वितरण व्यवस्था को संभाले हैं। आपके प्रश्रय से एक-एक व्यक्ति की बीस-बीस दूकानें चल रही हैं। गोदाम से गल्ला निकालते हैं, ट्रक पर लदवाकर पैसा अपने पास रख लेते हैं। मजबूर आदमी रोटियों के लिए तरस रहा है, और

यह समुचित व्यवस्था दे रहे हैं। जिनकी फूस की झोपड़ियां हैं उनको सीमेंट वितरित की जाती है और जिसके पक्के मकान की छत चिटक गयी है वह एक बोरी सीमेंट 50–75 रुपये में लेता है। माननीय सदस्य आपके इतराने पर शर्मिन्दा हैं, आपको शर्म हो या न हो।

स्थानीय निकाय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। टाउन एरिया की सड़कों को वह देखते होंगे, नगरपालिका की सड़कों को देखते होंगे,उनकी चमकती हुई कार कीचड़ में धंस जाती है। लोगों को देखा है सड़कों पर कैसे चलते हैं, जिनके पैर में बेवांई हैं, जिनके पास जूते नहीं है यह आपका सार्वजनिक निर्माण है। कहीं-कहीं इसका बजट अधिक हो जाता है, कहीं के लिए बजट ही नहीं होता है। यह बजट सत्ता पक्ष और उनके मंत्रियों के यहां चला जाता है। इस व्यवस्था पर वह इतराते हैं। मैं इस पर शर्मिन्दा हूं और बजट का घोर विरोध करता हूं खुले हृदय से विरोध पक्ष ने तथा आपने लेकिन लगाकर, दबे स्वर से कहा है इसलिये माननीय सदन को सर्वसम्मति से सदस्यों ने इस बजट का घोर विरोध किया है।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र––

मान्यवर, जो बजट हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन के पटल पर रखा है मैं उसका खुले हृदय से स्वागत करता हूं। मैं बजट के सम्बन्ध में अपने सम्मानित भाइयों से एक निवेदन करना चाहूंगा। अगर वह मेरी धृष्ठता न मानें तो मैं कहूंगा कि विरोधी पक्ष होने का मतलब यह नहीं है। चाहे जितना अच्छे से अच्छा काम हो उसकी यह बुराई करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं उनका ध्यान इस बजट की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा बजट में कोई कमी वह ईमानदारी से बताते तो शायद हम लोग भी उन कमियों को दूर करने की कोशिश करते, उनके भाषणों पर गौर फरमाते। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे विरोधी दल के सदस्यों ने यह मान लिया है कि चाहे जितनी अच्छी से अच्छी व्यवस्था देने की कोशिश की जाये, वह उसका विरोध करेंगे। इस प्रकार की उन्हें गलतफहमी है, ऐसा उन्होंने अपने दिल और दिमाग में मान रखा है।

मान्यवर, इस बजट के आर्थिक दृष्टिकोण की तरफ मैं इनका ध्यान आकर्षित करना चाहूगा। मान्यवर, 1975–76 में आर्थिक दृष्टिकोण से 59 करोड़ रुपये का लाभ हमको हुआ था लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 1980–81 में भयानक सूखे के कारण हमारे देश में जो आपत्तियां आयीं उनसे वह 59 करोड़ से घटकर 44 करोड़ रह गया। नदियों में पानी की कमी हुई जिससे बिजली की उत्पादन क्षमता में कमी आ गयी। जितना उत्पादन करना चाहिये था पानी की कमी के कारण उतना उत्पादन नहीं हो पाया। अभी हमारे सम्मानित सदस्य बोल रहे थे शिक्षा के बारे में, मैं कहना चाहता हूं कि जो बजट हमारे मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है इससे अच्छा बजट शिक्षा के सम्बन्ध में पेश हो ही नहीं सकता। इन्हें सारी व्यवस्था, अव्यवस्था ही दिखलाई दे रही है। मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जितना सुन्दर और सुव्यवस्थित बजट यह पेश किया गया है इसका अन्दाजा ही नहीं लगाया जा सकता है। इसको यह समझ नहीं सकते इनके पास विवेक नहीं है।

शिक्षा के क्षेत्र में कौन से काम हैं जो इसमें नहीं हैं। हरिजनों की दुहाई देते हैं यह, हरिजनों के रहनुमा बनते हैं। हमारे बजट में हरिजनों के लिए जो व्यवस्था की गयी है इसकी भूत, भविष्य और वर्तमान में कल्पना नहीं की जा सकती। हरिजन छात्र मेडिकल में इंजीनियरिंग में पैसे के अभाव में अगर शिक्षा पूरी नहीं कर पाता है तो उसके लिए व्यवस्था की गयी है। हमारे बजट में ऐसे हरिजन छात्रों के लिये इन्टरमीडिएट के बाद दो महीने ट्रेनिंग देकर इग्जामिनेशन में बैठाने की व्यवस्था की गयी है। कभी ऐसा नहीं किया गया। इसकी खुले दिल से तारीफ करना चाहिये।

मान्यवर, तीसरी बात कही गयी सिंचाई के बारे में। हमारी माननीया प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 1975 में 20 सूत्रीय आर्थिक कार्य क्रम को लागू किया था।

श्री संत बख्श रावत—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया बैठ जाइये । (श्री वृज किशोर) उनका व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री सन्तबख्श रावत—

व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कोरम का अभाव है और यह सदन चल रहा है ।

(कोरम के लिए घंटी बजायी गयी)

श्री अधिष्ठाता—

कोरम पूरा है । श्री बृज किशोर अपना भाषण जारी रखें ।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

मान्यवर, सिंचाई की तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे इस बजट में सिंचाई की कितनी सुन्दर व्यवस्था हमारे नेता सदन ने प्रस्तुत की है । मैं समझता हूं कि उसके लिये हमारे उधर के सभी माननीय सदस्यों को तहेदिल से माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रति शुक्रिया अदा करना चाहिये कि इतनी अच्छी व्यवस्था सिंचाई के लिये दी है । नहरों का, मान्यवर, जाल पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में बिछा दिया गया है । जो कुछ कमी रह गयी है इस बजट में नहरों और ट्यूबवेल के लिये भरपूर कोशिश की गयी है । मैं माननीय सदस्यों से, जो उधर बैठे हैं, आग्रह करना चाहता हूं कि कम से कम बजट को एक बार उठाकर देख लें ।

दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य और डाक्टरों के बारे में भी इस बजट में बहुत ही सुन्दर व्यवस्था की गयी है । स्वास्थ्य के संबंध में इतनी सुन्दर व्यवस्था की गयी है कि 4000 से ऊपर आबादी वाले गांवों में कहीं भी ऐसी बात नहीं है कि जहां स्वास्थ्य की व्यवस्था न हो, जहां डाक्टरों की कमी हो या स्वास्थ्य केन्द्र न हों । इस बजट में ऐसी व्यवस्था की गयी है कि वहां पर नये स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायं ।

अन्त में, मान्यवर, मैं इस बजट की तारीफ करता हुआ इस बजट को हृदय से लगाता हुआ आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर गरीबों के लिये और मजदूरों के लिये, अगर किसानों के लिये कोई बजट दिया है, तो वह उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा दूसरा यह प्रस्तुत बजट है जिसके लिये हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं ।

*श्री पंचानन—

मान्यवर, जो इस वर्ष का बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसका हम हृदय से समर्थन करते हैं । हमारे जो साथी इस बजट की आलोचना कर रहे हैं, वे इस बात को भूल जाते हैं कि इस बजट में उन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों की तरफ ध्यान दिया गया है जो एक कल्याणकारी राज्य में कमजोर और गरीब वर्ग के लिये आवश्यक हैं । आप देखें कि सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास को लिया है, जैसे, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना, आदि । ये तमाम सारे मुद्दे ऐसे हैं, जिनको लिया गया है । लेकिन एक बात की तरफ सरकार का ध्यान, मान्यवर, आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र से शारदा सहायक नहर जा रही है । यह सही है कि विकास के लिये नहरों और सड़कों के बनाने की आवश्यकता है लेकिन जिस रास्ते से यह नहर गुजर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रही है, वहां चकबन्दी हो चुकी है। इस कारण छोटे-छोटे किसानों के खेत उस रास्ते में पड़ रहे हैं और इस कारण वे भूमिहीन होने जा रहे हैं। पिछली बार जनता सरकार ने वायदा बहुत कुछ किया लेकिन उनको पूरे नहीं किये। उस सरकार के माननीय मुख्य मंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि उन गांवों की दुबारा चकबंदी करायी जायेगी, लेकिन वह भाषण सार्वजनिक मंच पर हुआ और सरकारी फाइलों में उनके बारे में प्रयास नहीं हुआ। सरकार से अनुरोध करना है कि इस विषय में गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये और उन गांवों की दुबारा चकबंदी का प्रयास किया जाना चाहिये।

इसके बाद, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान शिक्षा के क्षेत्र में ले जाना चाहता हूं।

हमारी यह मान्यता रही है कि हम शिक्षा को एक सामाजिक कल्याण का काम मानते रहे हैं। लेकिन हमें इस दृष्टिकोण को बदलना होगा। शिक्षा को उत्पादक विनियोजन, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट मानना होगा और शिक्षा पर जो खर्च कर रहे हैं उसको बढ़ाना चाहिये। प्रत्येक बच्चे को कम से कम एक स्तर की समान शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना चाहिये। आजादी प्राप्त हुए 33 साल बीत गये हैं लेकिन आज तक संविधान में जो 14 वर्ष के बच्चों के लिये निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान किया गया था वह पूरा नहीं किया गया है। इसलिये बेसिक शिक्षा पर ध्यान हमें बढ़ाना चाहिये। इस बात के लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि इस बजट में कहा गया है कि बेसिक शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जायगा। पिछले 2–3 वर्षों में इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था। अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे साथी गुप्ता जी अभी कह रहे थे, उन्होंने बड़ी ताकत के साथ कहा कि एक संस्था, जिसका नाम भी उन्होंने लिया है उसने सरकार से एक पैसा नहीं लिया और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में काम लिया।

यह वह समझते हैं, इसीलिये एक कनिष्ठ अधिकारी को प्रोमोट करके इस प्रदेश में उसे प्रौढ़ शिक्षा का इंचार्ज बनाया गया। वह कनिष्ठ अधिकारी था लेकिन उसे प्रौढ़ शिक्षा का प्रदेश का इंचार्ज बनाया गया। आप इस बात को छुपा गये। आप कह सकते हैं कि आपको पैसा नहीं मिला, पैसा लेने का प्रयास किया। जिसको इस प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा का इंचार्ज बनाया गया उसी के माध्यम से आप प्रौढ़ शिक्षा के लिये सरकार से पैसा लेना चाहते थे। हमारी सरकार उस पैसे को गरीब जनता पर खर्च करना चाहती है। उसका प्रयोग निरक्षरों में ज्ञान की ज्योति गांवों में फैलाने के लिये किया जायगा। हमें शिक्षा को उत्पादक विनियोजन मानना होगा। जब हम इनवेस्टमेन्ट बढ़ायेंगे तो निश्चित रूप से इस देश और प्रदेश को तरक्की की तरफ ले जायेंगे। आज गरीब आदमी पर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कम खर्च किया जा रहा है। बेसिक एजूकेशन बिल्कुल नेगलेक्टेड है। एक तरफ तो वह स्कूल हैं जहां टाट-पट्टी नहीं है और दूसरी तरफ नर्सरी, मांटेसरी स्कूल खुल रहे हैं जिसमें ऊंची-ऊंची फीस ली जाती है, गरीब आदमी के बच्चे उसमें नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिये सरकार को आगे आना चाहिये और इसका फैसला करना चाहिये कि गरीब और अमीर के लिये दो तरह की शिक्षा का इंतजाम इस देश में नहीं चलेगा। हम अपने को समाजवादी मुल्क कहते हैं, हम कल्याणकारी राज्य बनाने की कल्पना करते हैं तो हमारी सरकार को, आगे आना चाहिये और यहां 2–3–4 प्रकार की शिक्षा का खात्मा करना चाहिये। काल्विन कालेज के दर्जा 5 में पढ़ने वाले पर 10 हजार रुपया खर्च करना पड़ता है देहरादून का पब्लिक स्कूल है जहां 3 साल पहले रिजर्वेशन होता है और दूसरी तरफ वह स्कूल हैं जहां टाट-पट्टी नहीं हैं। इस तरह की शिक्षा को रखकर हम समाजवाद को और नहीं बढ़ा सकते हैं। इस लिये कई तरह की शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करना होगा। अब मैं माध्यमिक शिक्षा के संबंध में कहना चाहता हूं। जब हमारी पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अन्दर थी तो उसने सिद्धांत रूप से स्वीकार किया था कि व्यक्तिगत प्रबंध व्यवस्था को माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र से समाप्त किया जायगा और

[श्री पंचानन]

शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जायगा । जब जनता पार्टी का राज्य आया तो उनका इसमें विश्वास नहीं था और 3–4 साल तक हम जहां थे वहीं बने रहे । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार पिछले कमिटमेंट को पूरा करे और शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करे । बिहार में कांग्रेस सरकार है, उसने राष्ट्रीयकरण की घोषणा की है ।

इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा का आपको राष्ट्रीयकरण करना होगा प्राइवेट मैनेजमेन्ट की जो संस्थायें थीं उनका उपयोग समाप्त हो गया है क्योंकि जब सारा खर्चा सरकार करती है तो उनका आपको राष्ट्रीयकरण करना चाहिये ।

मायन्वर, अब मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मंहगाई क्यों बढ़ रही है । इस पर माननीय सदस्यों ने ध्यान नहीं दिया । मैं बताना चाहता हूं कि वह इस लिये बढ़ रही है कि कालाबाजारियों को तीन सालों में छूट मिली थी इसलिये वह कालाबाजारियों के जरिये मंहगाई बढ़ी है । लेकिन जब कालाबाजारियों पर हमारे मुख्य मंत्री ने छापे डलवाये तो वह सामने आ रहे हैं । इसलिये मेरा विश्वास है कि जब कालाबाजारियों पर छापे पड़ेंगे तो मंहगाई रुकेगी । हमारे मुख्य मंत्री जी ने जब छापे मरवाये तो चीनी और खाद, जो किसानों को मिलती है, घोटाले पकड़े गये । दवाईयों में मिलावट पायी गयी । तो आज इस कठिन परिस्थिति में हमारी पार्टी को हुकूमत चलाने का मौका मिला है और हमारे पार्टी के शासन के 3–4 महीनों में जिस ताकत के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ रही है उसमें निश्चित रूप से भ्रष्टाचार रुकेगा, चोर बाजारी रुकेगी और भाव चीजों के गिरेंगे और स्वच्छ प्रशासन इस प्रदेश को मिलेगा ।

इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं इस बजट का हार्दिक स्वागत करता हूं और मुख्य मंत्री जी को दुबारा बधाई देता हूं कि गरीबों की ओर इस बजट को मोड़ा है ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट––

मायन्वर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस सामान्य बजट की चर्चा में मुझे सम्मिलित होने का मौका दिया । श्रीमन, मैंने यहां 1974 से लेकर अभी तक जो बजट भाषण सुने हैं और जो बजट पुस्तकायें देखा है उनमें इस वर्ष की बजट पुस्तक सबसे मोटी है और पृष्ठ अधिक हैं । लेकिन जैसी अपेक्षायें की गयी थीं और हमारे मित्र भी कह रहे थे कि इस वर्ष का बजट कुछ क्रांतिकारी होगा और एक मित्र कह रहे थे कि यह प्रगतिशील और क्रांतिकारी बजट है लेकिन मुझे तो कहीं इसमें नजर नहीं आया कि क्रांतिकारी बजट है और इसको क्रांतिकारी बजट की संज्ञा दी जाय । श्रीमन् बजट भाषा में चाहे जितना अच्छा बना लिया जाय लेकिन उसकी मूल भावना में क्या करना चाहते हैं, इसमें गौर करने की आवश्यकता है ?

श्रीमन, हमारे मित्र जो गवर्नमेन्ट और ट्रेजरी बेन्चेज में बैठे है वह आखिर किन मुद्दों को लेकर वहां पहुंच सके हैं इसकी ओर मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, समस्या जन-जीवन की सुरक्षा की थी तो क्या 3–4 महीनों में, मैं केन्द्र सरकार की बात नहीं करता हूं, इस वर्तमान सरकार ने पहले जैसा कहते थे कि गांवों और गलियों में जीवन सुरक्षित नहीं था, मुहल्लों में नारियों से लेकर बच्चे और बूढ़ों तक का जीवन सुरक्षित नहीं था तो क्या इन 3–4 महीनों में उनको अपने जीवन के सुरक्षित होने का अनुभव हुआ है और उनका जीवन सुरक्षित है ? मैं मान्यवर, यहां इटावा जिले से चुनकर आता हूं । इटावा जनपद उत्तर प्रदेश में 7 क्रिमनल जिलों में से एक है जिसकी चर्चा में नहीं करूंगा . . . .

उत्तर प्रदेश के जिलों की स्थिति आपके सामने है। हर मिनट में एक अपराध होता है और पुलिस को हर दूसरे मिनट में एक घटना की सूचना मिलती है, 16 मिनट में चोरी की, 15 मिनट में सेंध लगाने की, 45 मिनट में लूट-पाट की, दो घण्टे में डकैती की घटनायें होती हैं। यह एक औसत निकाला है उत्तर प्रदेश के पूरे जिलों को लेकर। एक अन्दाज लगाया है। इटावा जिला सात क्रिमिनल जिलों में से एक है। उसकी क्या स्थिति होगी। खास तौर से मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां यमुना, चम्बल, क्वारी आदि पांच-पांच नदियां बहती हैं। मान सिंह, लाखन सिंह, आदि की जो कर्मभूमि रही है, वह बियाबान जंगल जहां पर गांव बसे हैं वहां रात की बात तो क्या करते हैं दिन हाड़े पैर कांपता है, आदमी चल नहीं सकता। मैं यह कहना चाहता हूं कि ला एण्ड आर्डर की सुरक्षा की भावना में आप एक इंच भी आगे नहीं बढ़े हैं।

यदि यह कहा जाय कि ला एण्ड आर्डर पुराने ला एण्ड आर्डर की तुलना में खराब हुआ है तो मैं समझता हूं कि इसको आप कबूल करेंगे और इसमें किसी बहस की आवश्यकता नहीं है ? क्या यह सच नहीं है कि तीन-चार महीने पहले या कहूंगा एक साल पहले निश्चित रूप से आदमी आठ आने की चीनी खरीदने जाता था और यदि उस समय उसके पैसे खर्च हो जाते चीनी नहीं ले पाता था तो वह जानता था कि सुबह जब चाय बनेगी तो वह अपने बच्चे से बाजार से चीनी मंगा लेगा ? लेकिन अब चीनी की कीमत 2 रुपया 10 पैसा नहीं बल्कि 8 रुपये, 10 रुपये में भी चीनी उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि चीनी और दूसरी चीजों की होर्डिंग टेन्डेन्सी बढ़ रही है। उसी के कारण चीजें उपलब्ध नहीं हैं। क्या आप में से कोई भी माननीय सदस्य उस तरफ से यह सिद्ध कर सकते हैं कि इन दो-तीन महीनों में कीमतें नहीं बढ़ीं हैं। कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं। आपके पास कोई ऐसा प्रभावी कदम इस दिशा में नहीं है।

यदि इस बजट में इस बात की चर्चा कर दी होती तो निश्चित रूप से मेरे जैसा एक साधारण सदस्य कहता कि हां यह आपका प्रशंसात्मक कदम है। एक स्थायी सरकार को जनता ने भेजा है। जनता मुझसे पूछती है राशन नहीं मिल रहा है, चीनी नहीं मिल रही है, मैं तो कह दिया करता हूं कि स्थायी सरकार को आपने भेजा है इस स्थायी सरकार में आप को सारी सुविधा मिल जायेगी इस स्थायी सरकार में मां, बहनों की इज्जत बच जायगी। यह स्थायी सरकार कितनी स्थायी है यह आप जानें। मैं कहना चाहता हूं कि इन दो-तीन महीनों में इतनी ज्यादा समस्यायें पैदा हो गयी है कि यदि उन पर ध्यान नहीं दिया जायगा, प्रभावी कदम नहीं उठाया जायगा, मात्र मोटी पुस्तकें, बजट की पुस्तकें पेश की जायेंगी इस माननीय सदन में, तो इससे प्रदेश की जनता का आप भला नहीं कर सकते यह मेरा दावा है।

मैं आपके सामने आंकड़े पेश करना चाहता हूं। माननीय ब्रह्म दत्त जी मौजूद हैं, विद्वान व्यक्ति हैं। इस राज्य में 51500 गांव सड़क से पांच किलो मीटर दूरी पर हैं, 351 गांवों में हाट-बाजार के लिये कोई सड़क नहीं है, 1394 गांव सड़क से जुड़े नहीं हैं। क्या आप इससे असहमत हैं ? पिछली सरकार ने निश्चित रूप से खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत गांव-गांव को मेन सड़क से जोड़ने का प्रयास किया था। अब उनकी मिट्टी बरसात में बहकर वहीं पहुंच रही ह जहां से वह उठायी गयी थी।

तो आपको व्यवस्था करना है। जिन सड़कों पर मिट्टी पड़ी थी वह पुनः वहां से उठाकर डाली जाय। उनके मस्तिष्क में यह आये कि किसी और सरकार ने किया था और खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत जो सम्पर्क मार्ग बने थे उन पर कोई काम नहीं करना है यह विचार आपके नहीं होने चाहिये। राज्य के 1, 12,561 गांवों में से अब तक सिर्फ 36,994 गांवों में ही बिजली पहुंचाई जा सकी है। राज्य के घरेलू उत्पादन का 55 प्रतिशत खेती से मिलता है और इसमें 18 प्रतिशत लोग रोजगार पाए हुए हैं, दो तिहाई किसान के पास एक हैक्टेयर से

[श्री गौरी शंकर एडवोकेट]

कम जमीन है । 206 प्रतिशत जमीन दो तिहाई लोगों के पास है जबकि बाकी जमीन सिर्फ एक तिहाई लोगों के कब्जे में है । मार्च, 1979 तक राज्य में 15 से59 साल की उम्र तक के तीन करोड़ मजदूर तबके के लोग थे जिनमें से आठ लाख बिलकुल बेकार थे और 26 लाख के पास मामूली रोजगार था । 1974–75 और 1977–78 के सालों में राज्य में 5.3 प्रतिशत सालाना की रफ्तार से आर्थिक वृद्धि हुई। बाकी देश में यह रफ्तार 4.7 प्रतिशत थी, लेकिन इस समय प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आमदनी का औसत 1,314 रुपये है जो कि उत्तर प्रदेश में यह 929 रुपये है ।

अगर पांच प्रतिशत सालाना की दर से आर्थिक विकास हो तो भी 1989–90 में राज्य में प्रति व्यक्ति आमदनी राष्ट्रीय औसत आमदनी 1,883 रुपये की तुलना में 1466 रुपये होगी । 1977–78 में राज्य में शहरों में 45.84 प्रतिशत और गांवों में 57.06 प्रतिशत लोग गरीबी की सबसे निचली रेखा के नीचे थे । मेरा इन आंकड़ों को देने से यही तात्पर्य है कि किसी भी आंकड़े को आप ले लें आप कहीं आगे नहीं बढ़े हैं । इतने बड़े बजट में उपरोक्त किसी बात की चर्चा नहीं की गयी । आई0एस0सी0 पास हरिजन छात्रों की सी0पी0एम0टी0 में प्रवेश पाने के लिये उनको प्रशिक्षण दिया जाता है तो यह व्यवस्था चार-पांच साल पहले हो चुकी है, यह वर्तमान बजट की व्यवस्था नहीं है, न वर्तमान शासन की व्यवस्था है । पुरानी सरकारों का योगदान इसमें हो सकता है और तभी से यह प्रारम्भ हुआ था । वर्तमान बजट में इसका कोई विशेष योगदान नहीं है । इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं ।

श्री रियासत हुसैन—

आज अन्तिम दिन है सामान्य बजट पर चर्चा का माननीय मुख्य मंत्री जी इसका जवाब किस वक्त देंगे ?

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

मैं इसका जवाब 4 बजे दूंगा ।

*श्री ओम प्रकाश जिन्दल—

मान्यवर, आपने मुझे जो इस सामान्य बजट पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और जो बजट मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं । पुलिस सेवाओं तथा पुलिस प्रशासन में जो चीजे सुधार के लिये तथा उसके संचार व्यवस्था के लिये जो व्यवस्था इस बजट में की गयी है निःसन्देह उससे पुलिस प्रशासन में सुधार आयेगा और ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन में भी बहुत असर पड़ेगा । (व्यवधान)

मान्यवर, मैं बजट का तो स्वागत करता ही हूं लेकिन इस सम्बन्ध में अपने कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं । मान्यवर, मैं आगरा की नगर महापालिका के सम्बन्ध में कुछ बताना चाहता हूं । जिस प्रकार से वहां का प्रशासन चल रहा है उससे हमारे शहर की जो सफाई व्यवस्था है, जो वहां का जनजीवन है वह नारकीय जीवन से भी बदतर हो गया है । आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वहां पर जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं । शहर के अन्दर किसी भी वक्त महामारी फैल सकती है । नाले सड़ रहे हैं, बरसात के पानी के निकासी की व्यवस्था नहीं है और जो मकान बने हुए हैं मध्यम और गरीब लोगों के स्तर के लोगों के लिये उनमें पानी भर रहा है, वे कभी भी गिर सकते हैं । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि जहां पर इस तरह की व्यवस्था है वहां इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिये कि जहां भी ऐसा हो वहां तुरन्त कड़ाई के आदेश दिये जायं जिससे यह अव्यवस्था ठीक हो सके । मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इस सम्बन्ध में एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जो हमारा बजट एलोकेशन होता है वह किस तरह किया जाता है और किस तरह से गरीब लोगों के हित के लिए इस्तेमाल होता है । हमारे यहां नगर महापालिका के प्रशासक के पीछे जो क्वार्टर बने हुए हैं उनमें वगैर किसी किराये के जो कि महापालिका से सम्बन्धित नहीं हैं, बाहर का है, वह प्रशासक के कपड़े धुलता है । वह किराया भी नहीं देता है । साथ ही वह महापालिका का कर्मचारी नहीं है । एक बात तो यह है कि खुद महापालिका के पास अपने कर्मचारियों के लिये रहने के लिये मकान नहीं हैं और ये भ्रष्ट अफसर उस मकान को अपने कर्मचारियों को न देकर अपने इन्टरेस्ट में क्वार्टर दिये हुए हैं ।..... (व्यवधान) यह तो आपको शर्म की बात है । मैं कहना चाहता हूं कि जहां इस तरह की बात हो उसमें आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय ।

दूसरी बात मैं वहां के अस्पताल के बारे में कहना चाहता हूं । वहां पर बजट में दवाइयों के लिये जो प्राविधान किया गया है वह ज्यादा होना चाहिये । दवाओं के लिये पैसा बहुत कम दिया गया है जब कि वहां मरीज बहुत ज्यादा आते हैं । दवायें चोरी से भी बेंच दी जाती हैं । .....(व्यवधान) आपके ही जमाने में यह सारी चीजें हुई थीं । इन सब चीजों के लिये जनता सरकार ने ही दावा दिया था । करेप्शन इन तीन सालों में बढ़ा है । बजट एलोकेशन के साथ साथ वहां अन्य सुविधायें दी जानी चाहिए ।

(विरोध पक्ष के कुछ सदस्यों के एक साथ कहने पर)

आप प्रदेश के नेता बन जायं मुझे क़ोई ऐतराज नहीं है । मुझे नेता नहीं बनना है । मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि आपने बजट में बहुत सी बातें कहीं हैं और भी लोगों ने कई बातें कहीं हैं लेकिन व्यापारिक भाइयों के लिये किसी ने कुछ नहीं कहा है । सेल्स टैक्स और मंडी समितियों के बारे में एक भी सुझाव नहीं आया है । मान्यवर, आप देखें सेल्स टक्स दिल्ली में कुछ है , मध्य प्रदेश में कुछ है, किसी दूसरे राज्य में कुछ और है और उत्तर प्रदेश में कुछ और ही है । मेरा सुझाव है कि इसके लिये एक पालिसी बनायी जाय जो कि सारे राज्यों में लागू हो । जनता सरकार तो चाहती थी कि सेल्स टैक्स हटा दिया जाय लेकिन उसने तो उसका सरलीकरण भी नहीं किया । ये बड़ी-बड़ी बातें करते थे लेकिन काम कुछ नहीं हुआ । इसलिये सेल्सटैक्स के बारे में आप कोई ऐसी पद्धति बनाने की कृपा करें । जिससे जो हमारे व्यापारी भाई हैं उनको राहत मिल सके । क्योंकि जो चीजें उत्तर प्रदेश में बनती है वह उत्तर प्रदेश से बाहर जाकर फिर टैक्स लगकर हमारे यहां आ जाती है उससे हमारे प्रदेश की इकोनामिक कंडीशन जो है उस पर बुरा असर पड़ता है ।

दूसरी बात मंडी समिति के बारे में है । जो छोटे-छोटे दुकानदार हैं जैसे पान वाले या हलवाई या इसी किस्म का काम करने वाले हैं उन पर से मंडी टैक्स हटाने की बात की जाय अन्यथा उनको भारी नुकसान होता है जिसमें काफी घपला भी हो जाता है और उतना टैक्स नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिये ।

मैं इंडस्ट्री के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं । अभी-अभी हमारे आगरा से फाउंड रीज को दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात कही गयी है । इसके लिए कहा गया है कि प्रदूषण हो रहा है और ताजमहल को नुकसान हो रहा है । तो मैं सुझाव देना चाहता आपके-माध्यम से सरकार को कि अगर फाऊंडरीज को शिफ्ट किया गया तो हमको करोड़ों रुपये का नुकसान होगा ही लेकिन हमारे यहां का औद्योगिक विकास भी रुक जायेगा । प्रदूषण ही के नाम पर इसे न हटायें बल्कि इसके लिये कोई रिसर्च करवायें कि कोई दूसरे उपाय इसके लिए हो सकते हैं कि नहीं जिससे इनको शिफ्ट करने से रोका जा सके।

[श्री ओम प्रकाश जिन्दल]

इसी प्रकार हमारे यहां पावर हाउस बंद करने की बात है । अगर पावर हाउस बन्द करने की बात है तो फिर आगरा को किस तरह से बिजली देगें, किस तरह से उनके जन-जीवन को सुरक्षित रखेंगे । इसमें मेरा सुझाव है कि पहले वहां नये पावर हाउस बनाये जायं चाहे वह थरमल हों या दूसरे हों उसके बाद पुराने पावर हाउस बंद किये जायं ।

पर्यटन के सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि जैसा वहां के लिये पहले भी सुन्दरीकरण की बहुत सी योजनायें बनी थीं उसमें यमुना नदी में बैराज बनाने की बात थी । लेकिन पिछली सरकार ने उसे बन्द कर दिया था । तो वह बैराज बनाया जाय जिससे पानी और बिजली की व्यवस्था ठीक से हो सके । इन शब्दों के साथ यह जो बजट पेश किया गया है उसका मैं स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

कुमारी अलमेलु अम्माल—

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का समय दिया उसके लिये मैं आभारी हूं । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये खड़ी हूं और उस पर कुछ सुझाव रख रही हू । मैं समझती हूं कि इस बजट में बहुत अच्छी बातें आई हैं लेकिन एक विधायिका होने के नाते कुछ स्वार्थवश अपने क्षेत्र के लिए कुछ बातें रखना चाहती हूं और इस कारण से यहां बोल रही हूं ।

हरिजनों के लिये इस बजट में बिजली और पानी देने की बात आई है । इसमें कहीं-कहीं पर नल लगाने की बात भी है तो मेरा विचार है कि नल लगाने से उसका ठीक से उपयोग नहीं हो पाता है । नल खराब हो जाते हैं, हैंड पाइप के बाहर व अन्दर खराब हो जाते हैं उसके बाद वह बेकार पड़े रहते हैं जिससे हरिजनों को पानी नहीं मिल पाता है इसलिए जहां तक हो सके कुएं खोदने का इंतजाम होना चाहिये ।

दूसरी बात औरतों के बारे में है घनी आबादी के कस्बों में औरतों के लिए सैफटिक टैंक के पाखाने होने चाहिये । औरतों को ज्यादा परेशानी होती है इसलिए उनके बारे में विशेषरूप से कह रही हूं फिर यह जच्चा-बच्चा केन्द्र है । मैं तो बस्ती शहर की विधायिका हूं लेकिन वह शहर भी देहात जैसा है । वहां ज्यादातर औरतों के बच्चे पैदा करते ही उनका बच्चा मर जाता है और कभी-कभी औरत भी मर जाती हैं, उसका कारण टैटनेस की बीमारी है । जच्चा-बच्चा केन्द्र अच्छी तरह से काम भी नहीं करते हैं । बस्ती जिले में बनकटी, महादेवा, महसो मुन्डेरवा लालागंज जिगना, वालटर गंज, थौहरना, कटरा, लखनौना आदि तमाम ऐसी जगहें हैं, जिसके लिये जच्चा-बच्चा केन्द्र की बहुत आवश्यकता है और वहां पर इन केन्द्रों को खोलना अति आवश्यक है । वहां पर केन्द्र चलावें तो देहात एरिया के लोगों का बहुत फायदा होगा ।

वालटरगंज में एक नारंग ग्रुप की एक चीनी मिल है, उन्हीं लोगों की एक बस्ती शहर में भी एक चीनी मिल है । दोनों मिलों के एक ही मालिक होने के कारण मालिकान वालटरगंज वाली चीनी मिल को बन्द करके बस्ती शहर की चीनी मिल में मिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं । इसके लिए वह वालटरगंज मिल का सारा सामान धीरे-धीरे बस्ती शहर वाली मिल में लिए जा रहे हैं । वहां पर 12 सौ मजदूर हैं । उसके मालिक आपको गुमराह करना चाहेंगे, लेकिन वह इन 12 सौ मजदूरों को बस्ती शहर में कतई मजदूरी और रहने के लिए क्वार्टर्स नहीं दे पायेंगे । वहां उनके बच्चों को पढ़ने आदि की भी कोई सुविधा नहीं मिलेगी । इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूं मालिक लोग जो इस तरह से मिल बन्द करना चाहते हैं, उन मिलों को सरकार अपने हाथ में लेकर चलावें । इसके अलावा इस मिल के वहां से चले जानेके कारण वह कस्बा वीरान हो जाएगा । वहां जो छोटे-छोटे उद्योग हैं, दुकानदार हैं—मिठाई वाले, कपड़े वाले आदि, वे सबके सब बेकार हो जाएंगे । इसलिए मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी को यह कहना चाहती हूं कि उन्हें यह सोचना चाहिए कि वह मिल कतई बन्द नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई कुछ कहे ।

वहां देहातों में छोटे-छोटे उद्योगों की व्यवस्था होनी चाहिये । बस्ती जिले में सुतली है, उसको कुछ प्रोत्साहन देंगे तो उसका व्यापार अच्छा हो जाएगा और चमड़े का व्यापार भी अच्छा हो जाएगा । प्लास्टिक काम्पलेक्स हमारे यहां कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था लेकिन विगत सरकार ने उसकी चलाने के लिये कोई भी मदद नहीं दी, बल्कि उस जमीन को भी बेचने का कार्य प्रारम्भ कर दिया । आखिर हम लोगों को लड़कर उसे रोकवाना पड़ा । उस काम्पलेक्स के लिए जिसकी जमीन ली थी, उनके बच्चों को वहां नौकरी देने की भी बात थी लेकिन आज वह चल ही नहीं रहा है । वहां पर चप्पल वगैरह थोड़ी बनती हैं, लेकिन कायदे से वह नहीं चलता है । मैं चाहती हूं कि उस प्लास्टिक काम्पलेक्स को कायदे से और पूरी क्षमता के साथ सरकार द्वारा चलाया जाए ।

अब मैं अपने खेतिहर मजदूरों के बारे में यह कहना चाहती हूं, कि उनके लिए मिनिमम-वेजेज वाली बात कही है नहीं । इस मिनिमम वेजेज को उनके लिये कहीं भी ठीक से लागू नहीं किया गया है । जिस खेत मजदूर को मजदूरी मिलती है उसको भी केवल 6 माह के लिए काम मिलता है । वह शेष 6 महीने क्या करेंगे, इसलिए भी सरकार को सोचना चाहिए और उन्हें अन्यत्र काम दिलाने का उपाय किया जाना चाहिये, तो उनका समय कट जाएगा और उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो जाएगी। अब मैं जमीन के बारे में कहना चाहती हूं। इंदिरा जी ने गांवों की बंजर परती और सीलिंग से निकली जमीन भूमि-हीन गरीबों के दे दिया और गरीब लोग उस पर कब्जा करके खेती करना आरम्भ कर दिया । पिछली सरकार ने उनसे वापस ले लिया था और उन गरीबों के ऊपर चल रहे मुकदमें चल रहे हैं । भूमिहीन लोग अधिकतर हरिजन और गरीब लोग ही थे । मेरे विचार में जो लोग जिस जमीन रह रहा है वह उसी की होनी चाहिए । और अगर इसके लिये आवश्यकता पड़े किसी अध्यादेशको जारी करने में सरकारको नहीं हिचकना चाहिये। दूसरे प्रदेशों में देखने में यह आया है कि वहां पर सस्ते में गरीबों को रहने के लिये मकान बनाकर दिए जाते हैं । इसी प्रकार से हमारे प्रदेश में भी होना चाहिए चाहे हमें इस बजट में कुछ ज्यादा खर्चा भी करना पड़े, उसका प्राविधान होना चाहिए।

जहां तक प्राथमिक शिक्षा का सम्बन्ध है हमें उसे भी शीघ्रता से लागू करना चाहिए ताकि देहात के बच्चों को और खेतिहर मजदूरों के बच्चों को भी शिक्षा मिल सके ।

शहरों के बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि जिन औरतों को नौकरी करने के लिए शहर में रहना होता है, उनके लिए वर्किंग वीमन होस्टल बनाना चाहिए । उसके लिए भी सरकार को अपने बजट में प्राविधान करक इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिए कि हर शहर में जहां-जहां पर ज्यादा महिलायें काम करती हैं वहां पर उनके लिए वर्किंग होस्टल बनें । इसके अतिरिक्त दफ्तरों को जान क लिए महिलाओं की अलग से महिला बसें होन चाहिए । इसके न होने के कारण बड़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है । मेरा सुझाव है कि उनके लिए अलग से लेडीज बसेज चलायी जायं । मैंने कलकत्ते में देखा है कि वहां पर लेडीज के लिए अलग से बसें हैं जो उन्हें दफ्तरों में छोड़ आती हैं, अगर उनमें भीड़ भी होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है ।

इसके अलावा इन महिलाओं के लिये जो सुबह ही अपने काम पर चली जाती हैं , और शाम को 5 बजे लौटती हैं, उनके बच्चों के लिए केशेज (Creshes) बनाये जायं जहां पर ये अपने बच्चों को जाते समय छोड़ जायं और लौटते समय ले लें । बाहर के देशों में तो यह सुविधा है ही हमारे देश में भी कुछ स्थानों पर है ।

हमारे देहातों में कुछ स्थानों पर सिलाई केन्द्र खुले हुए हैं जहां पर महिलाओं को सिलाई सीखने की सुविधा उपलब्ध है लेकिन उनको सिलाई करने के लिए कपड़ा नहीं मिलता है

[कुमारी अलमेलु अम्माल–]
क्योंकि देहातों में लोग एक जोड़े से ज्यादा कपड़ा नहीं रखते हैं। अतः मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि पुलिस और आर्मी का जो कपड़ा सिलाया जाता है उसे इन महिलाओं के केन्द्रों पर भेजा जाय। पहले कुछ कटिंग अच्छा नहीं होगा लेकिन बाद में वे भी अच्छा सिलने लगेंगे। इससे देहातों की जो औरतें सिलाई सीखती हैं वे अपने पैरों पर खड़ी होने लगेंगी।

जहां तक बाढ़ का सम्बन्ध है....

श्री अधिष्ठाता—
आपका समय समाप्त।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—
माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपके प्रति आभार भी प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस बजट पर अपने विचार प्रकट रखने का अवसर दिया। जिस दिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में बजट प्रस्तुत किया, उस दिन हमें एक पोथन्ना दिया गया जिसे हम अपने कंधे पर रख कर बड़ी मुश्किल से ले गये। मैं समझता हूं कि जितना बोझा इन पुस्तकों का हमारे कंधे पर पड़ा था उतना ही बोझ इस प्रदेश की जनता के ऊपर डाला जा रहा है। महोदय, जब मुल्क स्वतंत्र हुआ था तो हमें बड़ी खुशी हुई थी और यह आशा बंधी थी कि मजदूर और गरीब अब खुशहाल होंगे। आज भी मजदूरों और गरीबों के लिये सरकार की तरफ से कोरे आंसू ही बहाये जा रहे हैं, 33 वर्षों में उनके लिये कुछ नहीं हुआ।

इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने गरीबों और हरिजनों के लिये बहुत कुछ कहा है लेकिन मेरा अनुभव बताता है कि सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का होता है। हरिजनों के नाम पर आरक्षण का लाभ भी उन्हीं लोगों को मिलता है जो हरिजनों से छूत मानते हैं। बाढ़ के कारण जितनी भी बस्तियां डूबती हैं उनमें अधिकांश घर हरिजनों और गरीबों के ही होते हैं। किसी भी हरिजन आई0 ए0 एस0, या हरिजन विधायक का मकान नहीं गिरता, गरीब का ही गिरता है, उसी का मकान डूबता है। नुकसान उसी का होता है। शीत-लहरी में हरिजन मरते हैं। वे बेचारे शीतलहरी के दिनों में या तो पेड़ के नीचे रहते हैं, या पुलों के नीचे पड़े रहते हैं या फुटपाथों पर पड़े रहते हैं।

पहले रेलों में मैंने देखा था कि 4 दर्जे हुआ करते थे, पर अब जब से यह सरकार आयी है उसमें 7 दर्जे हो गये हैं। पहला तो वातानुकूलित, उसके बाद दूसरा पहला दर्जा, उसके बाद सेकिन्ड क्लास टू-टायर, थ्री टायर फिर आम जनता के लिये केवल 2 डिब्बे लगे रहते हैं जिसमें लोग टट्टी में बैठ कर जाते हैं, और रेलगाड़ी की छतों पर बैठ कर जाने लगे हैं। यह जो बजट की पोथी मिली है यह दिखावे के लिये ही है।

पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ कहा है। अधिकांश पर्वतीय, अंचलों को, अलमोड़ा, नैनीताल चमोली, उत्तरकाशी आदि को आपने देखा होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे-छोटे गांव रेवीन्यू के रहते हैं। अभी धारचूला में जो भू-कम्प आया उसमें 550 मकान गरीबों के ढह गये। जब चीन का आक्रमण हुआ था भारत पर, तब वहां यहां के ही गरीब किसानों की जमीन ले ली गयी थी, केवल एक-एक मकान ही रह गया था और वह भी भूकम्प में गिर गया। इस समय 1500 से अधिक लोग मिलिटरी की बैरकों में हैं। धारचूला में कुल मिलाकर 72 गांव रेवीन्यू के हैं। वह क्षेत्र दो तीन राष्ट्रों से मिलता है एक तो नैपाल से, दूसरा तिब्बत से और तीसरा भारत से। नीपू दर्रा जो है, नैपाल सरकार ने भी काली नदी के किनारे पैदल रास्ता बना दिया है। यहां से नीपू तक 94 मील पड़ता है। वहां पर कोई रास्ता नहीं बनाया है और न इस बजट में कोई मार्ग का प्राविधान है। इसके अलावा मुख्य मंत्री जी ने बताया है कि कुछ नये विकास खण्ड पर्वतीय अंचल में नैनीताल

उत्तर काशी में खोले गये हैं। मान्यवर, अल्मोड़ा जिले में छोटे-छोटे ब्लाक बनाने का जनता का प्रस्ताव था, लेकिन उसका मुख्य मंत्री ने कोई जिक्र नहीं किया। मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि वहां पर नये ब्लाकों का पुनर्गठन करें।

दूसरी बात ज र निगम के बारे में है। महोदय, यह निगम जब से बने हैं इनको अगर हटा देते हैं, तो गम के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। इन निगमों को अनाप–सनाप रुपया मिल रहा है। इन पर किसी प्रकार का शासन का अंकुश नहीं है। मेरे क्षेत्र में जल निगमों की ओर से योजना बन रही है। जनता पार्टी की सरकार ने यह बचन दिया था कि तीन वर्ष के अन्दर पर्वतीय अंचलों में पेय जल की समस्या दूर कर दी जायगी।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका एक मिनट रह गया है।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार..... (व्यवधान) ....

जनता पार्टी की सरकार ने 3 वर्ष के अन्दर पेयजल की समस्या को दूर करने का बचन दिया था, लेकिन मौजूदा सरकार ने 750 गांवों को कुल पानी देने की बात इन 8 जिलों में की है। उसी तरीके से प्राइमरी स्कूलों की भी बात कही है कि हम डेढ़ किलोमीटर के अन्दर प्राइमरी स्कूल खोल देंगे। लेकिन अल्मोड़ा जनपद में 31 प्राइमरी स्कूल मिले हैं, जिसमें एक विधायक मैं हूं और दो अन्य विधायक हैं। अल्मोडा जनपद में 3 विकास खण्ड हैं। विधान सभा क्षेत्र है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त। अब आप स्थान ग्रहण करें।

*श्री राम नरेश शुक्ल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री और सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा बजट हमारे सामने प्रस्तुत किया जिसमें प्रदेश की समस्याओं का हल होने की पूरे तौर पर आशा है और जहां तक बजट के किताब के बोझ का संबंध है मैं तो उनसे और बड़ा बोझ उठाने की उम्मीद करता था लेकिन वह इतने में ही बोल गये हैं, तो यह तो अपनी–अपनी शक्ति की बात है। मुझे एक ही बात कहना है सरकार से, जिसका इस बजट में कोई प्राविधान नहीं है, बहुत दिनों की मांग है प्रतापगढ़ में जल-निकास की ,वहां पर हालत यह है कि 4 दिन की जल-वृष्टि में अखबारों में भी आया है और वास्तविकता भी है कि वहां की हालत यह है कि 4 दिन की बारिश में पानी भराव हो गया है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप अपनी बात समाप्त करें। आपका समय हो गया है।

अब 4 बज रहे हैं वित्त मंत्री जी बोलेंगे।

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, मैं आ पके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे आय-व्ययक पर चर्चा में भाग लेने का यह अवसर दिया। प्रारम्भ में मैं यह स्वीकार करना चाहता हूं कि जब बजट बनाया जाता है तो उसके आधार पर वह अर्थ-व्यवस्था होती है, जो हमें विरासत में मिलती है। साथ में यह भी स्वीकार करना चाहता हूं कि जो कुछ हमें विरासत में मिली है, वह वास्तव में बहुत चिंताजनक है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सदस्य---

25-30 साल भी राज्य के लिए विरासत में मिले हैं।

श्री ब्रह्मदत्त---

पहले हमारी बात को तो दिल थाम कर सुन लीजिए, तब कुछ समझ में आयेगा। मान्यवर, जिस समय माननीय मुख्य मंत्री जी वित्त मंत्री की हैसियत से यह बजट प्रस्तुत कर रहे थे, उस समय हमारी अर्थ-व्यवस्था की जो हालत थी वह मैं बहुत संक्षेप में रखना चाहता हूं। पिछले ही वर्ष कृषि और उद्योग के उत्पादन में 23 प्रतिशत की कमी हुयी है और शकर की आय में पूरे प्रदेश में 15 प्रतिशत की कमी हुयी है। 1978-79 में हमारे प्रदेश की कुल आय 5159 करोड़ रु0 थी और 1979-80 में घटकर 44 सौ करोड़ रु0 ही रहने का अनुमान है, जिसमें 15 फीसदी की कमी आयी। और इसके साथ ही प्रति व्यक्ति आय के बारे में भी बताना चाहता हूं। सन् 78-79 में 509 रु0 थी और 79-80 में 485 रु0 रह जाने का अनुमान है। यह अर्थ-व्यवस्था हमें विरासत में मिली है। मान्यवर, इस सरकार ने 9 जून को काम सम्भाला है और उस समय हमारी स्थिति वह थी जो शायद हमारे कम्युनिस्ट साथी इस बात को एप्रीशिएट करेंगे कि जब हिटलर की फौजें युद्ध मे वापस रूस पहुंची और रूस में पहुंच कर जो मास्को का हाल देखा तो देख कर दंग रह गयी, वही हाल यहां हुआ है।

(इस समय 4 बजकर 2 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

एक सदस्य--- (व्यवधान)

आपके 28-30 साल के शासन में तो इससे भी बदतर हाल हुआ है और अभी भी हो रहा है।

श्री ब्रह्म दत्त---

वही मैं बयान कर रहा हूं जरा शांति से सुनिए। आज मान्यवर, ध्यान देने की जरूरत है अर्थ-व्यवस्था पर। इसी सिलसिले में बड़ी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। इसका महत्वपूर्ण हिस्सा वार्षिक योजना पर निर्भर होता है। जिन वार्षिक योजनाओं पर करोड़ों रुपया खर्च होता है। (शोर) यह माननीय सदस्य शायद बेहटा क्षेत्र से आते हैं।

एक सदस्य---

याददाश्त बहुत अच्छी है।

श्री ब्रह्म दत्त---

इसी याद दाश्त के सहारे आपको बताना चहता हूं शान्ति से सुनिए। वर्ष 1978-79 में आपने जो योजना बनायी वह 7580 करोड़ की थी। इसी प्रकार 1979-80 में जो योजना बनी वह 810 करोड़ रुपया की थी। इस तरह से 3 प्रतिशत की बढ़ोत्री हुयी। इस तरह से इनकी जितनी भी योजनाएं बनी वह आगे के लिए बढ़ोत्री की ओर ही संकेत करती हैं। और जो योजना यह हमारे लिए बनाकर छोड़ गये उसमें भी 3 प्रतिशत से लेकर 5 प्रतिशत तक बढ़ोत्री की सम्भावनाएं हैं। इसलिये हमारी ओर से सबसे बड़ी माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद और बधाई है कि जिनके कारण इस वर्ष 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी। मान्यवर, हमारे लिये यह शौभाग्य की बात है कि हमको एक ऐसा योग्य आदमी मुख्य मंत्री के रूप में मिला जो अपनी सज्जनता एवं जानकारी से योजना आयोग से और केन्द्रीय सरकार को प्रभावित कर सकें। मान्यवर, मैं और कुछ बातें कहना चाहता हूं जिसकी चर्चा बार-बार हमारे माननीय विपक्ष के सदस्यों ने की। मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं मानता हूं कि प्रशासन के दो अंग होते हैं एक सत्ता पक्ष और दूसरा विपक्ष। मैं विपक्ष को भी बराबर समझता हूं मैं इसको विरोध पक्ष नहीं कहता, विपक्ष कहता हूं और उनका उतना ही आदर करता हूं जितना इधर बैठने वालों का। मैं उनके सहयोग और उनकी भूमिका का भी आदर उतना ही करता हूं। कृषि और उनसे सम्बन्धित मद में वर्ष

1978–79 में 11 हजार लाख रुपया रखा था और उसके आगे वर्ष 1979–80 में 11,764 लाख केवल 76 लाख की बढ़ोत्तरी थी। हमको जबकि बार–बार किसान विरोधी कहा जाता है मैंने 14,611 लाख रुपया रखा है।

वाटर और पावर के बारे में पानी और विद्युत के विकास के लिये, मान्यवर, यह दुर्दशा क्यों हुई इस प्रदेश की इस बात पर वर्ष 78–79 में 4390 लाख रुपया था वर्ष 1979–80 में केवल 44275 लाख रखा गया इस साल 59185 हजार लाख रखा गया है 5 हजार लाख रुपया की बढ़ोत्तरी है। उद्योग और खनिज पर पिछले साल 457 हजार लाख रुपया था उसके पिछले साल 3665 हजार लाख था केवल एक हजार लाख रुपया की बढ़ोत्तरी है। ट्रान्सपोर्ट कम्यूनिकेशन पर 7431 लाख रुपया 78–79 में था 7895 पिछले साल था। इसमें 9845 लाख रुपया किया गया है। सोशल कम्यूनिकेशन पर 77–78 में 11601 लाख रुपया था और उसको 79–80 में घटाकर 11460 कर दिया गया। हमने इस पर 13534 लाख रखा है। दो करोड़ बढ़ाया है। यह है आधार जिस आधार पर हम चलना चाहते हैं। मान्यवर, प्रदेश के कृषकों की हालत हम जानते हैं उनकी हालत में सुधार करना हमारा फर्ज हैं। इस वर्ष हमारे 232 लाख मैट्रिक टन अनाज पैदा करने की योजना है। पिछले साल 161 लाख के उत्पादन से 70–68 मैट्रिक टन अधिक है। जिन लोगों ने डीजल और मिट्टी का तेल नहीं दिया वह बिजली की बात करते हैं। मान्यवर, जो औद्योगिक उत्पादन में कमी आई है आज हम चीनी की बात करते हैं 1977–78 में कांग्रेस के जमाने में जो गन्ना बोया गया था, जनता पार्टी के शासन में जो काटा गया। सौभाग्य से 6 करोड़ टन गन्ना पैदा हो गया लेकिन सम्हाले न सम्हला। इन्तजाम नहीं हो सका और आग लगानी पड़ी और क्या कहते थे क्या नारा लगाते थे, आपको ज्यादा मालूम है, हम दोहराना नहीं चाहते। कहते थे चौधरी चरण सिंह की जै गन्ना बिक गया पौने छः। और कहते थे जनता पार्टी से किया प्यार गन्ना बिक गया पौने चार। मैंने सुना कि तत्कालीन एक बड़े मंत्री के पास लोग गये कि आपसे उद्घाटन कराना है। तो उन्होंने पूछा कि उद्घाटन काहे का कराना है। तो लोगों ने कहा कि गन्ना मिल गन्ना उठाता नहीं, पैसा मिलता नहीं, गन्ने में आग लगवानी है। उसकी पहली तीली आप से लगवाना चाहते हैं। 3 साल से पैदावार आधी रह गयी और चीनी की भी पैदावार लगभग आधी रह गयी। जो चीनी हम साढ़े आठ लाख टन निर्यात करना चाहते थे, 77–78 में हम मजबूर हो गये एक लाख टन चीनी आयात करनी पड़ी। जो चीज नहीं है उसको उपलब्ध कराने का वायदा हम नहीं करते लेकिन यह बात जरूर है कि दो मास के अन्दर हम चीनी के दाम नीचे ले आयेंगे और अगस्त मास में चीनी सस्ती मिलने लगेगी।

(व्यवधान)

इसमें आपका फायदा होगा। आप जरा सुन लें। मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि यह मानता हूं कि पिछला साल अभूतपूर्व सूखे का साल था लेकिन उस साल में अगर लगभग 7 लाख पम्पिंग सेट्स को डीजल, 3 लाख ट्यूबवेल्स को बिजली, डीजल से चलने वाले ट्यूबवेल्स को डीजल मिल गया होता तो शायद इतना नुकसान न होता। डीजल नहीं मिला लोगों को जलाने के लिए मिट्टी का तेल नहीं मिला।

(व्यवधान)

बिजली की बात मैं बताना चाहता हूं। 1976–77 में कोई कटौती नहीं थी। लेकिन आप लोगों के पदार्पण होते ही बिजली घटते-घटते यह स्थिति हो गयी थी। आज भी जिस दशा से शुरू कर रहे हैं, जहां आपने समाप्त किया था, वहां से हम शुरू कर रहे हैं। लगभग 58 प्रतिशत क्षमता का हम उपयोग करते थे और और पिछले साल लगभग 45 प्रतिशत होने लगा था। जब हमें बिजली घर मिले हैं 30 प्रतिशत क्षमता का उपयोग हो रहा था। 21 सौ मेगावाट के जो बिजली घर हैं उनसे उत्पादन 4 सौ, सवा चार सौ, पांच सौ होता है। 1980–81 के शुरू में और 1979–80 के अन्त में 40 प्रतिशत से कम कर रहे थे। हमारा

[श्री ब्रह्मदत्त]

इसके लिए प्रयत्न है, हम शीघ्र कदम उठा रहे हैं। सौभाग्य से हमें वर्षा मिली लेकिन बाढ़ का अभी सामना करना पड़ा। फिर भी ताप विद्युत घरों का मरम्मत का इंतजाम हमने किया है।

इसके लिए जो कदम हम उठाने जा रहे हैं, बिजली की उत्पादन को बढ़ाने के लिए उसको ज्यादा इफिशियेन्ट करने के लिए, ज्यादा कुशल बनाने के लिए जो करने जा रहे हैं उनका परिणाम आपको 3 माह में देखने को मिलेगा। हम चाहते हैं कि हम क्षमता का 60 प्रतिशत उपयोग करें और इस संबंध में उधर के सदस्यों से भी सहयोग चाहते हैं। कम से कम वहां तक पहुंचने में मदद कीजिये जहां हम छोड़ गये थे। विरोधी दल में और सत्ता रूढ़ दल में ज्यादा फर्क नहीं होता है। इधर वाले कभी उधर और उधर वालों को इधर बैठना पड़ता है। एक चीज मैं मानता हूं कि जो लोग बिरोध नहीं कर सकते वे सत्ता नहीं चला सकते। 1977 में, जो लोग बैठते थे वे ठीक से विरोध नहीं कर सकते, जब वे सत्ता में आये तो सत्ता नहीं चला सके। मैं उन लोगों में से रहा हूं (व्यवधान) जिन लोगों ने उस पार्टी को बनाने में बड़ी कोशिश की जो पार्टी 1977 में सत्तारूढ़ हुई। उसके जन्म की प्रक्रिया में भाग लिया। जन्मदाताओं में से था। जब जन्म हुआ तो मैंने देखा कि वह स्वस्थ बच्चे का जन्म नहीं था। वह एक विकृत बच्चा था जो जिन्दा नहीं रह सकता था। (व्यवधान)।

श्री मुख्तार अनीस—

आपने ही पैदा किया था ?

श्री ब्रह्म दत्त—

एक सामूहिक रूप से पैदा किया था, एक व्यक्ति का नहीं था। जब विकृत बच्चे को देखा तो हमारी समझ में आया कि यह जिन्दा रहने वाला नहीं है। उस विकृत बच्चे का नामकरण भी मैंने किया था—फाइव हेडेड मास्टर। यह किताब लिखी थी। यह उसकी जन्मकुंडली है। उस वक्त की सरकार पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। भविष्य के लिए कुछ संकेत मिलने वाला है। 1978 में जब जनता पार्टी का तारा उरूज पर था, जब कोई कल्पना नहीं कर सकता था इतनी जल्दी पार्टी टूट जायगी, मैंने तीन बातें लिखी थीं।

"The disintigration of the Janata Party is inherent in its very being. There are not only ideological differences but also a clash of personalities."

श्री अध्यक्ष—

उसका हिन्दी रूपान्तर कर दें।

श्री ब्रह्म दत्त—

मैं तीनों बातें कह कर हिन्दी अनुवाद कर दूंगा। जनता पार्टी के विघटन की प्रक्रिया उसके बनने की प्रक्रिया में निहित है। सिर्फ वैचारिक मतभेद नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व का टकराव भी है। दूसरी बात यह है:—

"In the very near future, we may witness the Janata Party splitting into at least two groups —— one headed by the present Prime Minister and the Party President."

जनता पार्टी दो हिस्सों में विभक्त होगी, एक के नेता चौधरी चरण सिंह होंगे और दूसरे हिस्से के नेता पार्टी के प्रेसीडेंट और वर्तमान प्रधान मंत्री होंगे।

"We may have to face a midterm poll of the Lok Sabha in 930, not before."

लोक सभा का मध्यावधि चुनाव 1980 में आ जायगा। 1978 में कोई कल्पना नहीं कर सकता था। इस परिपेक्ष्य में बात कह रहा था कि जो लोग जिम्मेदारी से विरोध कर सकते हैं वही जिम्मेदारी से सत्ता चला सकते हैं, जो लोग जिम्मेदारी से सत्ता चला सकते हैं वही लोग जिम्मेदारी से विरोध कर सकते हैं।

एक सदस्य—

अब मिड टर्म इलेक्शन कब होगा ?

श्री अध्यक्ष—

(कई सदस्यों के खड़े होने पर और व्यवधान होने पर) कृपया बैठ जांय।

श्री ब्रह्म दत्त—

एक संकेत और दे देना चाहता हूं। यह साल बहुत महत्वपूर्ण साल है इसलिए कि जहां हमारी सरकार का पहला साल है वहां हमारी पंचवर्षीय योजना का भी पहला साल है। इस पंचवर्षीय योजना में हमारा उद्देश्य यह है कि राष्ट्रीय आय में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में जो विषमता है उसको कम किया जाय। और इसीलिए हमारी चेष्टा है कि राष्ट्रीय योजना की विकास दर अगर 5 प्रतिशत हो तो हम कम से कम साढ़े छः प्रतिशत या छः प्रतिशत रख सकें ताकि 5 साल में विषमता कम हो सके और दस साल में विषमता को दूर किया जा सके। मैं अपने सभी सहयोगियों का बड़ा आभारी हूं जिन्होंने इस बजट में भाग लिया उससे हमें संकेत मिले हैं। माननीय नेता विरोधी दल ने अपने भाषण में महत्पूर्ण संकेत दिये हैं। उन्होंने कहा कि यह बजट भाषण नहीं है प्रधान मंत्री का प्रशंसा पत्र है। उन्होंने कहा कि बजट भाषण में इन्दिरा गांधी की नीतियों का जिक्र किया गया है मान्यवर, यह बात हम स्वीकार करते हैं और गर्व से कहते हैं कि ऐसे नेता का जिक्र होना चाहिये जो देश क नेतृत्व कर सके। इस देश को चलाने के लिए इलाके के नेता की जरूरत नहीं है इस देश को राष्ट्रीय नेता चाहिये इसीलिये हमने श्रीमती इन्दिरा गांधी का जिक्र किया है और इन्दिरा गांधी का जिक्र करना हम गर्व की बात समझते हैं। माननीय नेता विरोधी दल और उनके दल की पृष्ठभूमि ही ऐसी है जिसमें कोई राष्ट्रीय नेता नहीं मिल सका इसीलिए उनको राष्ट्रीय नेता का जिक्र होना है।

मान्यवर, जहां तक बजट बनाने का सवाल है इसके बारे में कहा गया कि नौकरशाही ने बजट बनाकर दे दिया वह पेश कर दिया गया। बजट तो प्रदेश की सरकार बनाती है अधिकार और कर्मचारी सरकार के अंग हैं। मंत्रि मंडल उस पर निर्णय लेता है। हम लोगों ने बजट बनाया। उस आधार पर बजट बनाया जो आप छोड़ गये थे। नेता विरोधी दल ने यह कहा कि किसान विरोधी बजट है हमने जिक्र किया था कितना ज्यादा धन का प्राविधान हमने किया है, आपने कितना किया था। 1978–79 में 11 हजार लाख रुपये रखा गया था, 11 हजार 764 लाख रखा गया है, हमने 3 हजार लाख रुपये बढ़ाया है। अब इसको किसान विरोधी कहा जाता है जो किसानों को ज्यादा पैसा देता है। आप जिस दल में हैं उसको विरोध पक्ष की जिम्मेदारी निभानी है वह आप नहीं निभा पा रहे हैं जिस दल के माननीय सदस्यों को अपनी नीतियों का पता नहीं है अगर नीतियों का पता हो जाये तो यह कहना छोड़ देंगे कि किसान विरोधी बजट है, किसान विरोधी सरकार है। किसान के लिए पहला बजट है जिसमें इसके उत्पादन का उचित मूल्य मिल रहा है, यह कांग्रेस की देन है। किसानों को उत्पादित वस्तुओं का सही मूल्य मिले इसीलिए समर्थन मूल्य की कल्पना की गयी। मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह से विरोधी दल को जिम्मेदारी निभानी चाहिये वह नहीं निभा रहा है। सरकार ने जो समर्थन मूल्य की कल्पना की है किसानों के लिए इसका उद्देश्य यह है कि औद्योगिक उत्पादन और कृषि उत्पादन में समता

[श्री ब्रह्म दत्त]

रखी जाये। यह एक पुस्तक है 'इंडियन एकोनामिक पालिसी।' अगर आपके नेता की चलने लगे, इसमें है, तो इस देश के, इस प्रदेश के किसान चौपट हो जायें। इसमें आपके नेता ने समर्थन मूल्य का विरोध किया है। मान्यवर, चौधरी साहब ने समर्थन मूल्य के बारे में एक किताब लिखी है जिसमें दिया है कि--

"Price support makes great appeal to the farmers."

समर्थन मूल्य किसान को बहुत अपील करता है। लेकिन इसके एक ओर कहते हैं:--

But in my opinion, any effective policy in this regard, except for a limited periods or selected crops, is un-workable."

लेकिन फिर भी इसको कुछ लिमिटेड पीरियड और लिमिटेड क्राप के अलावा अमल में नहीं लाया जा सकता। यह बात आपके लोकदल के नेता नेकही है कि समर्थन मूल्य को अमल नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारी पार्टी अमल करेगी अ.र अमल करके दिखा देगी। फिर आपके नेता आगे कहते हैं कि--

"It is an idea borrowed from Western countries."

यह पच्छिमी देशों की नकल है। इसके अलावा और आगे महत्वपूर्ण सलाह देते हैं कि--

".....apart from its financial and administrative implications, it is doubtful whether fixation of minimum agricultlral prices is otherwise desirable.'

आपके लोकदल के नेता कहते हैं कि वास्तविक भी नहीं है। कहते हैं कि यह प्रशासनिक दृष्टिकोण से असम्भव है,आर्थिक दृष्टिकोण से असम्भव है और वित्तीय दृष्टिकोण से असम्भव है। और कहते हैं--यह वास्तविक भी नहीं है।

तो मान्यवर, मैं कहता चाहता हूं कि अगर कोई किसान विरोधी है तो वह आपके लोकदल के नेता चौधरी साहब हैं। मैं नेता विरोधी दल को यह पुस्तिका सप्रेम भेंट कर सकता हूं जिससे यह इस बात का निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उनके दल के नेता किसान विरोधी हैं कि हमारी सरकार किसान विरोधी है।

मान्यवर, इस बजट के बारे में माननीय सदस्य सत्यपाल जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने कहा कि हमने कुछ चीजों में बहुत कम परिव्यय कर दिया है। उनके अनुसार 1977-78 की तुलना में 1980-81 में बहुत कम परिव्यय कर दिया है। उसके बारे में मान्यवर, बताना चाहता हूं कि 1977-78 में सिंचाई के लिये 11,600 लाख रुपये थे। इसमें 10,951 लाख रुपये व्यय हुये थे। करीब 600 लाख रुपये व्यय नहीं हो सके। हमने इसको बढ़ाकर 16,800 लाख रखा। 5 हजार लाख रुपये बढ़ाने की बात की। फिर कैसे आप कहते हैं कि सिचाई में परिव्यय कम है इसी तरह से सहकारिता में देख लें। 1977-78 में 780 लाख रुपये था। इस साल 900 लाख रुपये है। इसी तरह से ये शिक्षा में जिसके बारे में हमारे उधर के साथियों में बड़ी चिन्ता है और होना भी चाहिये, उसमें भी हमने चेष्टा की है बेसिक शिक्षा को महत्व दें अब ज्यादा इसमें इम्फेसिस में नहीं जाऊंगा नही तो काफी समय लग जायगा।

मान्यवर, इस तरह से हम कहना चाहते हैं कि हम लोग किसानों के प्रति केवल दिखावटी सहानूभूति नहीं करना चाहते हैं। हम वास्तव में चाहते हैं कि किसानों को राहत पहुंचायी जाय।

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने एक ोर महत्वपूर्ण बात की और कहा कि बजट बहुत बेर से प्रस्तुत किया गया। तो मान्यवर, असल में इसकी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है और उनके दल के ऊपर है। जनता ने उनको 5 साल की हुकूमत के लिये चुना था 77 से 82 तक उनको चलना था। हमने कभी नहीं कहा कि आप लोग चले जांय। लेकिन आप लोगों ने अपनी पार्टी भंग कर ली और केन्द्र में भी भंग करली और सब कुछ तो भंड़ाफोड़ कर चले आये। लेकिन एक के लिये आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बजट में नयी मदों के 32 करोड़ 50 लाख की व्यवस्था की है। इसकी स्वीकृति बजट पास करके जारी की जा सकती है और उसके लिये व्यवस्था कर रहे हैं। तो यह आशंका निर्मूल है कि हम उसका उपयोग नहीं कर सके। मान्यवर, एक बात यहां और कहना चाहता हूं माननीय नेता विरोधी दल से कि उन्होंने सारी किसान बिधि को पिछले साल गन्ने के मूल्य के अन्तर देने में समाप्त कर दिया है। इससे अच्छा होता कि छोटे किसानों को क्षमता बढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता। मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल का पद बहुत गरिमामय पद होता है। उन्होंने एक छोटी सी बात कही 1977–78 के प्रतिवेदन के संबंध में, लाटरी निदेशालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को दिये जाने वाले उपहारों और मानदेयों का उन्होंने जिक्र किया। टिकटों की बिक्री 10 लाख के ऊपर होने पर कुछ देने की बात है। लेकिन हमारे वर्तमान वित्त सचिव फरवरी, 78 में इस पद पर आये तो जो उपहार या मानदेय मिलना चाहिये था वह उन्होंने लेना स्वीकार नहीं किया। जब लाटरी निकालने के लिये जज आते हैं तो उनको 25 रुपये दिया जाता है। इसी तरह से कई बातों का जिक्र किया गया है जिनका जिक्र यहां करने में बहुत समय लगेगा। अब मैं ला–एंड–आर्डर की बात करूंगा। इसके सम्बन्ध में बहुत सारी बातें कही गयीं हैं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आप स्वय अध्ययन करें कि अगर ला एंड आर्डर में कोई गिरावट आती है, सम्प्रदायिकता पैदा होती है, कुछ व्यक्ति हिंसात्मक घटनायें करना चाहते हैं तो यह सबके लिये चिंता की बात है। मैं कहना चाहता हूं, आंकड़ों के तुलनात्मक अध्ययन से मैं कहना चाहता हूं कि ला एंड आर्डर की स्थिति में सुधार हुआ है।

हम लोग इस समय कोशिश करेंगे कि किसी तरह मुठ्ठी भर लोग जो देश की शांति व्यवस्था हिंसात्मक तरीके से भंग करना चाहते हैं, उनको ऐसा न करने दिया जाय। उनको शांति व्यवस्था भंग करने नहीं दिया जायगा वर्तमान सरकार संक्षम है। जिन लोगों के ऊपर ला एंड आर्डर की रक्षा करने का भार है, कानून व्यवस्था चलाने का भार है अगर वह लोग अपना काम ठीक नहीं करते तो उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की गयी है। हम किसी ऐसे व्यक्ति को संरक्षण नहीं देने जा रहे हैं जो अपने कर्त्तव्य की अवहेलना करते हैं ; 15 जुलाई को समाप्त होने वाले 6 सप्ताहों में पुलिस के 135 आदमियों को मुअत्तल किया गया। इसमें से 18 सब इंसपेक्टर्स हैं। हमारे माननीय रियासत हुसैन जी यहां नहीं हैं उन्होंने गन्ना के रे में बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। मैं वास्तविक स्थिति बताना चाहता हूं। 15 जुलाई, 1980 की जो स्थिति है इसकी तुलना में 1979–80 की स्थिति से यह करना चाहता हूं। 155.31 करोड़ रुपया देना था जिसमें से 153.17 करोड़ रुपयों का भुगतान कर दिया गया है और अब केवल 2.14 करोड़ रुपये का भुगतान करना बाकी है जो कुल देय का 1.38 प्रतिशत है। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि इस तिथि क़ो गत वर्ष यह अवशेष 20 करोड़ रुपये का था जो 11.71 प्रतिशत था। हमने 11.71 प्रतिशत से 1.38 प्रतिश पर ला दिया। हमारे कम्युनिस्ट सदस्य ऊदल जी ने हमारे सभी नियमों की आलोचना की और कहा कि निगम हानि पर चल रहे हैं। मैं मानता हूं कि निगमों में हमारी 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी लगी हुई है। सरकार का जितना रुपया लगा है उसका केवल ढाई प्रतिशत रुपया वापस मिलता है। इसके बारे में मेरा निवेदन है कि 3 साल पहले और बाद का भी अध्ययन करें तो पता चलेगा कि उन तीन सालों में गिरावट आयी है। हम इसको ठीक करने के लिये उचित कदम उठा रहे हैं। मैं मानता हूं कि संसाधन जुटाने के लिये यह जरूरी है कि निगमों का काम गतिशीलता से हो और जो पूंजी सरकार और जनता की

लगी है उसका ठीक रिटर्न मिले। इस समय स्थिति यह है कि 54 निगमों में से 37 निगम कुछ लाभ अर्जित कर रहे हैं। 13 निगम हानि में चल रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो निगम लाभ कम अर्जित करते हैं वह ज्यादा लाभ अर्जित करें और जो हानि में चल रहे हैं वह लाभ में आवें।

मान्यवर, हमारे माननीय सदस्य देवरिया, श्री मोहन सिंह का एतराज था कि रायबरेली में सड़कों के निर्माण के लिये अत्यधिक धन की व्यवस्था की गयी। तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमें हर जिले का ध्यान है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि योजना बनाते समय जितना ध्यान रायबरेली का होगा उससे ज्यादा ध्यान आपके जिले का होगा हमारी योजना का मुख्य उद्देश्य जो क्षेत्रीय विषमतायें हैं उनको दूर करना है।

मान्यवर, मैं एक बात आपको बतलाना चाहता हूं कि पहली बार आपको हिमांचल प्रदेश के बराबर योजना मिली है। 72 करोड़ रुपये की योजना पिछले वर्ष थी और इस साल वह बढ़कर लगभग 86 करोड़ की हम ले आये हैं। मान्यवर, हमें यह भी ध्यान है कि बुन्देलखंड का और पूर्वी जिलों का विकास होना चाहिये। इसलिये छठी योजना के प्रारुप पर जब विचार किया जायेगा तो हम आपको बुलायेंगे और आपसे विचार विमर्श करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि योजना आयोग की बड़ी भारी उपेक्षा की गयी जिसकी हम पुनर्गठन करने के लिये कदम उठाये हैं। मैं चाहता हूं कि उसमें हर वर्ग के लोग बुलाये जांय, किसानों के प्रतिनिधियों को, भूमिहीनों के प्रतिनिधियों को, छोटे और घरेलू उद्योग के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनसे हम सलाह करेंगे। इसके अलावा विपक्ष के माननीय सदस्यों को भी बुलाकर हम छठी योजना के प्रारूप पर विचार विमर्श करेंगे और उनके जो बहुमूल्य सुझाव होंगे उन पर ध्यान देंगे और जो आपकी शंकायें होंगी उनका समाधान करेंगे।

मान्यवर, खाद्यान्न के बदले काम की जो योजना बनी है उसके संबंध में जो उधर के माननीय सदस्यों ने पूछा तो उसमें मुख्य मंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार ने केन्द्र सरकार के योजना आयोग के सामने यह बात रखी है, इसलिये हमको शायद थोड़ा ज्यादा पैसा इसमें मिलने वाला है जिससे खंडजा पुलिया बनने की जो बात है उसमें वह खर्च हम करना चाहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप उम्मीद करें कि सब सड़कें पक्की हो जांय तो वह असंभव है लेकिन सड़कों पर खड़ंजा और पुलिया बनाने का अधिक से अधिक प्रयास हम करेंगे और आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी नीति है कि अच्छे कामों को जो पिछली सरकार ने किये हैं उनको हम करेंगे, अच्छे कामों को न करने की हमारी नीति नहीं है।

मान्यवर, कुछ माननीय सदस्यों ने 1980 के परिव्यय का जिक्र किया। तो हमारे प्रदेश में 25 प्रतिशत हरिजन लोग रहते हैं। जब योजना आयोग के सामने हम गये तो यह सिद्ध कर सके कि अपनी योजना का विश्लेषण करें कि इन वर्गों के लिये हरिजन और ट्राइब्ल एरिया के लिये हमारी योजना का जो अंग है उसका 38 प्रतिशत है। इसलिये केन्द्र सरकार ने 100 करोड़ रुपये इन वर्गो के लिये रखा है उसमें काफी हिस्सा हमको मिलने वाला है। इस तरह इस वर्ष की 934 करोड़ रुपये से आगे हमारी योजना चली जायेगी, यह उम्मीद हम करते हैं क्योंकि योजनाओं के बाह से भी हम काफी पैसा ले लेंगे। जो संकेत मात्र मैं करना चाहता हूं। अपने हरिजन भाईयों के लिए, अपने जनजाति भाईयों के लिए जो व्यवस्था हम ने की है उसके कारण हम को 20 से 30 करोड़ रुपया मिल सकता है 100 करोड़ रुपये में से। इसके अलावा जो हमारी केन्द्रीय सरकार ने 340 करोड़ रुपये की योजना—ग्रामीण रोजगार योजना—रखी है उस में से भी हम को काफी पैसा मिल सकता है। हम कोशिश कर रहे हैं सहकारिता की शीर्षक संस्थाओं के माध्यम से यहां टेक्सटाइल मिलें

लगें और इन योजनाओं को बाहर से पैसा मिले। ये मिलें उन इलाकों में लगायी जायेंगी जहां गन्ना पैदा होता है, जहां सिंचाई होती है और गन्ना पैदा हो सकता है। लेकिन जहां मिलें नहीं हैं उन इलाकों में मिलें लगेंगी जहां बुनकरों को सूत नहीं मिलता ताकि उन्हें सूत मिले।

मैं बहुत ज्यादा विस्तार में अब जाना नहीं चाहता क्योंकि मेरे सहयोगी संसदीय विभाग के मंत्री जी ने मुझ से पूछा था कि मैं कितने देर बोलूंगा। मैंने 45 मिनट का संकेत दिया था। तीन मिनट और बाकी हैं। एक बात मैं चाहूंगा हम जिस नीति में चल रहे हैं उस के दो अंग हैं। पहला अंग हमारी वर्तमान स्थापित क्षमता को चाहे वह औद्योगिक हो, चाहे सिंचाई की हो, चाहे बिजली की हो, जिस क्षेत्र में हो, उसको अधिक से अधिक उपयोग, औप्टिमम यूटिलाइजेशन आफ इन्सटाल्ड कैपेसिटी, करें। यह हमारी पहली नीति है। दूसरी हमारी नीति है कि हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश जो देश का पिछड़ा हुआ प्रदेश है, की विषमता दूर करें। हमारे प्रदेश के अंदर जो क्षेत्रीय विषमता है उस को दूर करें। एक चिन्ता की बात और हम ने देखी है कि पिछले तीन-चार सालों में जो क्षेत्र वास्तव में आगे के क्षेत्र माने जाते हैं वे पिछड़े जा रहे हैं। उन्हें पिछड़ने नहीं दिया जायगा। इस तरह से वर्तमान क्षमता का पूरा उपयोग करके, उत्पादन को बढ़ा करके, अपने संसाधनों को बढ़ायेंगे।

आप को इस वर्ष की वार्षिक योजना समझ में आ जानी चाहिये। हम विकास की दर को ऊंचा रखना चाहते हैं। हम एक दुर्भाग्य से गुजरे हैं। पिछले साल हमें सूखे का सामना करना पड़ा और इस वर्ष हम बाढ़ का सामना कर रहे हैं। इसके प्रति हम कटिबद्ध हैं कि जरूरतमंद लोगों को मदद मिले। हम उस विकास की दर को प्राप्त करना चाहते हैं जहां हमारी और राष्ट्रीय विकास की दर का अंतर कम रह जाय। हमारा सौभाग्य है कि केन्द्र में इस वक्त ऐसी सरकार है जो सम्वेदनशील है, जो उत्तर प्रदेश के प्रति जागरुक है, उसकी समस्याओं के प्रति उसका ध्यान है। हाल में केन्द्रीय बोर्ड यहां आया। उस ने यहां बाढ़ की सर्वे को और सर्वे करके हम को पहली किश्त के रूप में सूचना मिली है कि 300 करोड़ रुपये से अधिक हम को मिलने वाला है। हमने कोई बात छिपाई नहीं है, वास्तविक स्थिति उन के सामने रखी है। उदारतापूर्वक केन्द्र ने हमारी वार्षिक योजना का आकार बढ़ाया है, पहाड़ी क्षेत्रों का आकार बढ़ाया है। हमने हरिजनों के विकास के लिए, जनजाति के लोगों के लिए पैसे की बात की है, ग्रामीण रोजगार योजना में पैसे की बात की है। उसी प्रकार हम को बाढ़ के लिए भी उदारतापूर्वक पैसा मिलेगा। हमारी प्रधान मंत्री स्वयं चिन्तित हैं। वह स्वयं यहां आई थीं। उन्होंने हमारे मुख्य मंत्री जी से विचार विमर्श किया और उसी का परिणाम है कि आज हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है।

एक और महत्वपूर्ण बात है। मैं माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं। सवाल इस बात का नहीं होता है कि कितना रुपया खर्च किया जा रहा है। सवाल इस बात का होता है कि रुपया किस प्रकार खर्च किया जा रहा है। हमारे नियोजन विभाग में जहां योजना का काम रखा है उसी के साथ-साथ वहां एक दूसरा अंग भी काम कर रहा ह इवैल्यूशन एण्ड मोनिटरिंग विंग जिसे कहते हैं मूल्यकंन और नजर रखना। हम यह भी देखेंगे कि हर विभाग समय से अपनी योजना भेजे, समय से स्वीकृति मिले। हम यह भी देखेंगे कि जो मासिक प्रगति है, भौतिक प्रगति है, वह ठीक है या नहीं। उन्होंने अपनी योजना की व्यवस्था खाली पैसा मांगने के लिए तो नहीं की है। उस के साथ-साथ मैटीरियल प्लानिंग अंग भी है। जिस सामान की जरूरत है उस योजना को पूरा करने के लिये विशेषज्ञों तथा कर्मचारियों की जरूरत होगी तो यह देखा जायगा कि उसकी व्यवस्था भी की है या नहीं की है। इस तरह से नियोजन के सभी अंगों को मजबूत करके केन्द्रीय सरकार का मार्ग दर्शन हम प्राप्त करेंगे। छठी योजना के लिये जो प्रारूप मिला है उसमें हमको श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा मार्ग दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होगा जो इस समय केन्द्र में योजना

[श्री ब्रह्मदत्त]
मंत्री हैं और इस प्रदेश के मुख्य मंत्री रह चुके हैं और प्रदेश की हर समस्या से अवगत हैं और उनके मार्ग दर्शन से हम इस प्रदेश को उस गड्ढे से निकाल कर ऊपर ले आयेंगे जिसको आपने गड्ढे में छोड़ दिया था। (कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने तथा बोलने पर।)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--
आप लोग बैठें। इसकी प्रक्रिया होती है। अब सामान्य बजट पर चर्चा का उत्तर हो गया।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--
आज नियम 51 में चार सूचनायें प्राप्त हुई थीं जिनमें से एक सूचना श्री सत्यपाल सिंह की है जो जनपद बुलन्दशहर के टाउन एरिया के सफाई मजदूरों को वेतन न मिलने तथा गंदगी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है जिसे स्वीकार किया गया है। शेष सूचनायें अस्वीकृत की गयीं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--
मैंने भी 51 में एक सूचना दी थी कासगंज के सम्बन्ध में। कल भी मैंने दी थी।

श्री अध्यक्ष--
एक स्वीकार हो सकती थी। वह हो गयी। आप फिर उसे दे दीजियेगा।

श्री बलबीर सिंह--
मैं सदन से बहिर्गमन कर रहा हूं क्योंकि मुझे बजट के अवसर पर चर्चा करने का अवसर नहीं दिया गया।

(श्री बलवीर सिंह सदन त्याग कर चले गये।)

पंडित छोटे लाल, निवासी भीकमपुर, थाना बिलसी, जिला बदायूं की हत्या के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

*वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--
दिनांक 16-7-80 को प्रातः 9.05 बजे राम बिलास पुत्र छोटे लाल निवासी भीकमपुर, थाना बिलसी, जनपद बदायूं ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में सूचित किया कि उनके पिता छोटे लाल की हत्या तुल्लन पुत्र कल्वे अली, अख्तर पुत्र नन्हें, दुल्ली पुत्र गुलाब नबी, सब्दर पुत्र अफसर खां, भूरे खां पुत्र मेंहदी हसन, गुलाम नबी पुत्र मो0 नबी तथा अमीन खां पुत्र वजीद खां ने मिलकर कर दी है। इसके आधार पर थाना बिल्सी मु0 अप0 सं0 210 धारा 147/148/302 भा0 दं0 वि0 कायम कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

दिनांक 18-7-80 के दिन में 13.45 पर ग्राम कटिया केशर के चौकीदार बिहारी लाल ने सूचित किया कि उसके गांव के प्रभू वल्द बदलू मेहतर के खाली खेत में चार लाशें पड़ी हैं जिनके सिर व लिंग कटे हुए गायब हैं जिनके नाम व पते नहीं मालूम है, जिन्हें चील कौवे खा रहे हैं। इस रिपोर्ट पर थाना उझानी मु0 अप0 सं0 401 धारा 302/201 भा0 द0 वि0

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बनाम अज्ञात कायम होकर विवेचना आरम्भ की गयी। यह उल्लेखनीय है कि मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में उनके लिंग काटे जाने का कोई उल्लेख नहीं है बल्कि पक्षियों द्वारा खाये जाने का उल्लेख है।

दिनांक 20-7-80 को उक्त दोनों अपराधों अर्थात् थाना बिलसी के मु0 अप0 सं0 210 तथा थाना उझानी के मु0 अप0 सं0 401 की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गई है। विवेचना के दौरान मु0 अप0 सं 401 से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्तगण सालिगराम, राम बिलास, रामबीर, मुनेन्द्र कुमार व नेत्रपाल जेल जा चुके हैं तथा राजेन्द्र व जय गोविन्द की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। मु0 अप0 सं0 210 के भी सभी नामजद अभियुक्त गिरफ्तार किये जा चुके हैं।

उक्त घटनाओं के पूर्व भी ग्राम भीकमपुर में कुछ घटनाएं घटी थीं, जो घटनाएं हुई वे संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :--

(1) दिनांक 16 मार्च, 1980 को श्री छोटे लाल द्वारा अंकित करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट कि उसकी पुत्री को उसका ट्रेक्टर ड्राइवर चांद खां पुत्र सुलेमान खां बहला फुसला कर ले गया है, कार्यवाही की गयी तथा 21 मार्च को उसे चांद खां के कब्जे से बरामद कर वादी को सौंप दिया गया। यह उल्लेखनीय है कि चांद खां, ग्राम अम्बियापुर का निवासी था जो ग्राम भीकमपुर से काफी दूर है। यह उल्लेखनीय है कि अपराध संख्या 210 तथा 401 में चांद खां का नाम उक्त दोनों ही अपराधों से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित नहीं है।

(2) दिनांक 9/10-4-80 को मृतक छोटे लाल के ट्यूबवेल से कुछ इंजन के पुर्जे चोरी हो गये थे जिसमें उसने भूरे खां आदि 7 मुसलमानों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट लिखाई थी। विवेचना से नामजदगी गलत पाई गई।

(3) दिनांक 24-5-80 को सायंकाल 4 बजे ग्राम भीकमपुर में कुछ घरों में आग लग गई। बड़ी मुश्किल से आग पर नियंत्रण पाया गया। उस दिन किसी भी व्यक्ति पर आग लगाये जाने का आरोप नहीं लगाया गया था। थाने पर आग इत्तफाकिया लगाना अंकित है। घटना के दूसरे दिन 25-5-80 को 14-30 बजे ग्राम भीकमपुर के साजिद पुत्र कल्लू खां ने मृतक छोटे लाल आदि के विरुद्ध आग जान-बूझ कर लगाये जाने का आरोप लगाया जो अपराध संख्या 141 धारा 436 भा 0 दं 0 वि 0 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया। विवेचना से कोई जुर्म नहीं पाया गया जो अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त किया गया।

ऐसा प्रतीत होता है कि आपसी रंजिश के कारण भीकमपुर ग्राम के दो दल एक दूसरे के विरुद्ध आरोप लगाते रहे, जिसकी परिणति अन्त में 16-7-80 व 18 7-80 को हुई उक्त हत्याओं में हुई। इन हत्याओं के पीछे किसी प्रकार की साम्प्रदायिक भावना परिलक्षित नहीं होती है। थानाध्यक्ष के किसी दल से मिले होने का संदेह भी निराधार प्रतीत होता है। करीब करीब सभी अभियुक्तगण गिरफ्तार किये जा चुके हैं। अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा विवेचना प्रचलित है।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, यह बड़ा गम्भीर मामला है। इसमें आप हमे सप्लीमेंटरी के लिए ज्यादा समय दें। मंत्रीजी ने आखिरी पैरे में अपने वक्तव्य में कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि आपसी रंजिश के कारण भीकमपुर ग्राम के दो दल एक दूसरे के विरुद्ध आरोप लगाते रहे, तो यह सारी चीजें लगातार साल 6 माह से चली आ रहीं थीं तो इसमें 107, 116 की कार्यवाही पहले न किये जाने के क्या कारण हैं ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ब्रह्म दत्त—:

मान्यवर, स्थानीय पुलिस इस घटनाक्रम के संबंध में हुई गतिविधियों के प्रति सतर्क थी । जो भी मुकदमें इस ग्राम के संबंध में कायम हुये उसमें पुलिस ने निष्पक्ष होकर कार्यवाही की । दोनों गुटों के तनाव को लेकर मास जून, 1980 में ग्राम भीखमपुर में एक बड़ी पंचायत हुई जिसमें सभी सम्प्रदायों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भाग लिया । काफी प्रयासों के बाद, छोटेलाल के परिवार व अन्य ग्रामीणों में परस्पर सुलह करायी गयी परन्तु स्थानीय पुलिस फिर भी पूर्णरूप से संतुष्ट नहीं हुई और थानाध्यक्ष ने एतिहात के तौर पर दिनांक 8–7–80 को 107 के अन्तर्गत रिपोर्ट परगनाधिकारी को भेज दी ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, जो लड़की के बारे में किडनैप करने के बारे में कहा गया है वह 21 तारीख को बरामद हो गई है । उस लड़की को अदालत में प्रोड्यूस किया गया है या नहीं और इस वक्त वह लड़की कहां है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

इसकी जानकारी ढूंढ़ कर देनी पड़ेगी ।

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, सारे मामले की बुनियाद वही है । छोटेलाल निवासी भीखमपुर थाना बिलसी, जिला बदायूं की लड़की उसके ड्राइवर चांद खां के साथ भाग गई थी किडनैप की गई जो जरायम 363, 366, 369 और 380 के अन्तर्गत है । और वह लड़की रिकवर हो गयी 30 मार्च को । तो उस लड़की के अदालत में बयान न कराये जाने के क्या कारण थे ? आज वह लड़की कहां है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मेरी जानकारी जहां तक है उस व्यक्ति ने अपनी बेइज्जती के कारण मुकदमा चलाना ही ठीक नहीं समझा ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या छोटे लाल की तरफ से इस तरह की दरख्वास्त किसी अदालत में की गई है कि मेरी लड़की रिकवर हो गयी है ? जब पुलिस केस हो गया 363 और 366 का मामला था, जो कि कागनिजिबिल आफेंस है तो फिर अदालत में बयान क्यों नहीं कराये गये ? वह लड़की कहां है अगर इसकी जानकारी नहीं है तो इसे दूसरे दिन के लिये मुल्तवी कर दें ।

श्री ब्रह्म दत्त—

जानकारी बिल्कुल है । प्रथम सूचना रिपोर्ट में लड़की भगाने का जिक्र किया गया लेकिन जब लड़की बरामद हुई तो उसे नहीं लिखा गया क्योंकि यह नाजुक मामला है इस लिये माननीय सदस्य उसको इस नजाकत से लें ।

श्री रियासत हुसैन—

वह लड़की कहां है ? क्या यह सही नहीं है कि आज भी वह लड़की एस0ओ0 कौशिक जो इस कांड के पीछे है उसके कब्जे में है, क्या वह इसकी तहकीकात करायेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त—

माननीय सदस्य ने जो महत्वपूर्ण बात कही है मैं समझता हूं निजी तौर पर कही होगी । इस मामले की विवेचना जारी है उसमें यह भी जांच करा लेंगे ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

यह मामला मेरे जिले का है मेरे निकट के थाने का है मृतक पं0 छोटे लाल जो हैं उनकी लड़की बरामद हो गयी चूंकि वह अच्छे परिवार के आदमी हैं शर्म की वजह से नहीं चाहते हैं कि उस केस को परसू किया जाय । यह जो आरोप श्री रियासत हुसैन ने लगाया है कि वह लड़की एस0ओ0 कौशिक के पास है बिलकुल बेबुनियाद है, बिलकुल झूठ है । उस लड़की को बदनाम करने के लिये यह आरोप लगाया जा रहा है । (व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जौहरी की बीबी गंगा और गोपी की बेवा को जब पता चला कि लाशें पड़ी हैं । दोनों थाना बिलसी गयीं और उन्होंने एस0ओ0 से रिपोर्ट लिखने के लिये कहा लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गयी और फिर चौकीदार के जरिये तीसरे दिन उझानी में जाकर रिपोर्ट लिखायी ।

श्री ब्रह्म दत्त—

हमारे पास जो सूचना है वह चौकीदार द्वारा रिपोर्ट लिखाये जाने की है । यह शिकायत नहीं ह कि हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी । जब घटना की सही सूचना पुलिस को मिली तो विवेचना शुरू कर दी गयी ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जो अभी आरोप लगाया है कि सिरकटी लाशें उझानी थाने के अन्तर्गत बरामद हुईं यह गलत है । जब उनकी बीबियों को मालूम हुआ कि सिरकटी लाशें मिली हैं जिसकी रिपोर्ट चौकीदार ने लिखाई तो फिर सिनाख्त कराई गयी कि यह अमुक अमुक आदमी की लाशें हैं ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि जो सी0 आई0 डी0 के शर्मा जांच कर रहे हैं जिन्होंने सारे कत्ल को वर्कआउट किया है और छोटे लाल के भाई को गिरफ्तार करके बयान लिया है, वह बयान मेरे पास मौजूद है, सालिगराम और उनके भाई ने सारी बातें बताई हैं कि हमने कैसे-कैसे कत्ल किया और कैसे-कैसे उन्हें कुआं में डाला । उन्हीं के बताये पते से लाशों को मिस्टर शर्मा ने बरामद किया है । तो यह सारी चीज जो है उसमें क्या मंत्री जी को यह सूचना है कि उन सेक्टर के सी0 आई0 डी0 वालों ने उन बेवाओं के बयान लिये हैं और उन्होंने क्या बयान दिये हैं ? क्या मंत्री जी उसे सदन में रखेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त—

अपराध अनुसंधान शाखा द्वारा अपराध की विवेचना जारी है और इतनी सफल विवेचना हुई है कि सभी मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं किन्तु रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

*श्री भीखा लाल—

मान्यवर, मुझे वाक्यात की जानकारी नहीं है, इसलिये किसी बात का कन्ट्राडेक्ट वगैरह नहीं कर सकता हूं । मैं केवल एक ही बात की ओर आपका और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसके आखिरी पैरा में कहा गया है कि यह आपसी पार्टीबन्दी का मामला था, कोई साम्प्रदायिक मामला नहीं था, लेकिन इसी के पृष्ठ 2, पैरा-2 में यह लिखा है कि दिनांक 9/10—4—80 को मृतक छोटेलाल के ट्यूब वेल से कुछ इंजन के पुर्जे चोरी हो गये थे जिसमें उसने भूरे खां आदि 7 मुसलमानों के विरुद्ध-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री भीखा लाल–]
नामजद रिपोर्ट लिखाई थी । तो क्या इसमें 7 मुसलमानों के स्थान पर 7 व्यक्तियों, नहीं लिखा जा सकता था ? ऐसा करके क्या आप और आपका होम डिपार्टमेंट साम्प्रदायिकता को नहीं भड़का रहा है ?

श्री ब्रह्म दत्त––
यह कोई साम्प्रदायिकता नहीं भड़का रहा है, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूं कि वही शब्द होने चाहिये थे ।

श्री रियासत हुसैन––
उसने एकवाली बयान में 8 मुलजिमों के बारे में कहा है, आपके हिसाब से अभी 5 गिरफ्तार हुए हैं और दो के बारे में बताया गया है कि उनकी तलाश करने की कोशिश की जा रही है और आखिर में आपने कहा कि करीब-करीब सभी अभियुक्त गिरफ्तार किये जा चुके हैं । तो इसके आधार पर अभी 3 आदमी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिये आपने क्या कोशिश की है ? क्या वजह है कि इतना अर्सा गुजर जाने पर भी उनको अभी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है ?

श्री ब्रह्म दत्त––
सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं ।

श्री रियासत हुसैन––
आप स्पष्ट बतायें, क्योंकि उसका एक तरीका है ? क्या 87–88 धारा की कार्यवाही हुई हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष––
आप स्पष्ट यह पूछ लीजिये कि धारा 87–88 की कार्यवाही हुई है या नहीं ?

श्री रियासत हुसैन––
मैंने वही तो पूछा है ?

श्री ब्रह्म दत्त––
मैं इस वक्त यही कह सकता हूं कि मैंने यह निर्देश दे दिये हैं कि जो भी कानून से सम्भव कार्यवाही है, वे सब की जाएं ।

श्री रियासत हुसैन––
हमको सरकार ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है, आप या तो स्पष्ट उत्तर दिलवायें या फिर उसमें दो घंटे की चर्चा इस पर नियम 49 में आप स्वीकार कर लें, (व्यवधान) क्यों आपको इसकी जानकारी नहीं है कि श्री कौशिक, एस0ओ0, थाना बिलसी का कई बार वहां से ट्रांसफर किया गया लेकिन बार-बार उसे कैंसिल कर दिया गया ? इस घटना के बाद भी उसको लांग लीव पर भेजा गया और फिर कुछ समय बाद उसको वहीं तैनात कर दिया जायेगा और शायद हो भी गया हो । तो इतनी बड़ी घटना होने पर जिसमें उसका सीधा हाथ है, या तो हमें नियम 49 में चर्चा की अनुमति दी जाए या मंत्री जी को समय दे दिया जाये कि वह जो शेष सूचना है उसको मंगवा कर उनका यहां पर स्पष्ट उत्तर दें ।

श्री ब्रह्म दत्त––
जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा हो रही है । वे जो राय देंगे, वह हम करेंगे ।

श्री रियासत हुसैन---

सी0 आई0 डी0 ने तो केस वर्क आउट कर ही लिया है । एक प्रश्न यह स्पष्ट है कि श्री कौशिक जो बिलसी का एस0 ओ0 है। उन्होंने सी0 आई0 डी0 के इन्सपैक्टर को बयान दिया है कि जब वे थाने में रिपोर्ट लिखाने गये तो उन्होंने नहीं लिखी । श्री कौशिक को लांग लीव पर भेज दिया गया और फिर उसको थाना दिया जा रहा है । श्री कौशिक की स्टडी में वह लड़की है, अभी तक अदालत में पेश नहीं की गयी है और न दफा 164 में उसका बयान ही हुआ है । इसमें इन 4 आदमियों को मारने में भी कौशिक का हाथ है। पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट जब आयी तब यह प्लानिंग बना तो मेरी प्रार्थना है कि या तो इसे आप मुल्तवी कीजिए या हमें नियम 49 में लाने की इजाजत दीजिए ?

(श्री श्रीकृष्ण गोयल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---

आपको क्या कहना है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल---

मान्यवर, मुझे एक स्पष्टीकरण मंत्री जी से पूछना है ।

श्री अध्यक्ष---

अभी तो मंत्री जी को उत्तर देना है ।

श्री ब्रह्म दत्त---

मान्यवर, सी0 आई0 डी0 की जांच चल रही है । जो भी तथ्य प्रकाश में आयेंगे, उन पर प्रभावशाली ढंग से और निष्पक्ष रूप से कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष---

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 8 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ,
28 अगस्त, 1980 ।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

तश्री 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ.....पर)

क्र0सं0	नाम	मृत्यु के कारण (काज आफ डेथ)	कृत कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4
1—	अज्ञात (पुरुष)	शाक ऐंड हैमरेज ड्यू टू इन्जरीज (Shock and haemerage due to injuries)	दिनांक 15-6-80 को वार्ड व्याय राम हेत सदर अस्पताल, फैजाबाद द्वारा एक मेमो मृतक नाम पता अज्ञात का थाना कोतवाली में दाखिल किया जिसकी सूचना पर पंचायत नामा थाना कोतवाली द्वारा तैयार करके पोस्टमार्टम हेतु भेजी गयी लाश के बारे में पता लगाया गया तो ज्ञात हुआ कि मृतक भीख मांगता और कोढ़ी था । स्टेशन पर अक्सर भीख मांगा करता था जिसका एक्सीडेंट हो गया। जिसके संबंध में मु0अ0सं0 94 धारा 279/338 भा0दं0वि0 थाना जी0आर0पी0फैजाबाद में कायम किया गया । पोस्टमार्टम के आधार पर धारा 304-ए में परिवर्तित करके विवेचना जारी है।
2—	टीढी	तदैव	वादी श्री राम थोरे पुत्र प्रभुदीन,सा0जोगापुर थाना वेवाना की सूचना पर मु0 अ0सं0 83 धारा 452/324 भा0 दं0 वि0 कायम हुआ नतीजा पोस्टमार्टम से धारा 302 भा0 दं0वि0 परिवर्तित में होकर विवेचना जारी है ।
3—	अज्ञात (पुरुष)	मृत्यु के कारण पता नहीं लग सके । विसरा सुरक्षित । (Could not be ascertdained visera preserved)	राम पियारे, गैंगमैन रेलवे गुमटी, बनबीरपुर ने सूचित किया कि रेलवे लाइन के किनारे एक शव पड़ा है । पुलिस द्वारा मौके पर जाकर पंचायत नामा व आवश्यक जांच की गयी । शव अज्ञात व्यक्ति का पाया गया । शिनाख्त नहीं हो पायी । जांच जारी है ।
4—	अज्ञात (पुरुष)	मृत्यु के कारण पता नहीं लग सका । विसरा सुरक्षित। (Could not be ascertained visera Preserved)	सदानन्द मिश्र, नि0नहरबाग, थाना कोतवाली फैजाबाद ने आकर थाना कैन्ट ने सूचित किया कि एक शव अज्ञात नियावां गुदरी बाजार रोड के किनारे पड़ा है सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच कर पंचायत नामा व आवश्यक जांच की गयी, मौत इत्तिफाकिया होना पाया गया । जांच जारी है ।

1	2	3	4
5—अज्ञात (बच्चा)		नो वायबिल प्रोडक्ट आफ कन्सेप्सन एवाउट 32 वीक्स इन द इन्ट्रा यूटरस लाइफ । (No. Viable Product of Conception adout 32 weeks in the intra uterus life	श्री अशोक कुमार, पुत्र श्री गिरधारी लाल, शहर युवक कमेटी, फैजाबाद ने दिनांक 16-6-88, को थाना कोतवाली में सूचित किया कि एक नवजात शिशु फैराडाइज सिनेमा के सामने गर्ग कम्पनी की दीवाल के पास मरा पड़ा है । सूचना से मु0 अ0 सं0 481, धारा 318, भा0 द0 वि0 अंकित होकर विवेचना जारी है ।
6—बाल गोविन्द		शाक ऐंड हैमरेज डयू टू इन्जरीज (Shock and haemarage due to injuries)	श्री प्रेम प्रकाश, पुत्र श्री राम प्यारे, उपा0सा0 सथरी, थाना पुराकलन्दर ने सूचना दी कि मृतक बालगोबिन्द दिनांक 16-6-80 को 9 बजे रात खाना खाकर दुकान चले गये थे दिनांक 17-6-80 को सुबह 5-30 बजे के करीब बढ़ई के बाग के पश्चिमी किनारे पर मृतक की लाश गरदन कटी हुई दिखाई पड़ी इस सूचना पर मु0 अ0 सं0 145, धारा 302 भा0द0वि0 का पंजीकृत होकर विवेचना जारी है ।
7—सुरेश चन्द्र		मृत्यु के कारण पता नहीं लग सके । विसरा सुरक्षित । (Could not be ascertained Visera preserved)	दिनांक 16-6-80 को थाना गोसाईगंज में श्री कन्हैया लाल, पुत्र केदार नाथ, भोटी रोड, थाना गोसाईगंज ने सूचित किया कि मृतक सुरेश चन्द्र एवं उसके परिवार में शादी के संबंध में विवाद चल रहा था उसकी मृत्यु हो गयी। बाजार में आम चर्चा है कि मृतक को जहर देकर मारा गया है, अयोध्या दाह संस्कार हेतु ले जा रहे हैं इस सूचना पर लाश अयोध्या पुलिस द्वारा बरामद कर पोस्टमार्टम कराया गया पोस्टमार्टम से मृत्यु का कारण अज्ञात रहा जिसकी जांच थाना अध्यक्ष, गोसाईगंज द्वारा हो रही है ।
8—मिश्री लाल		जले हुए घाव में सेप्टिक के कारण (Late complecation of non-healing septic burn wounds)	दिनांक 16-6-80 को थाना कोतवाली वार्ड व्याय जगदेव, सदर अस्पताल, फैजाबाद द्वारा मृतक मिश्रीलाल के संबंध में मेमो प्राप्त हुआ जिसके आधार पर थाना कोतवाली द्वारा पंचायत नामा तैयार करके पोस्टमार्टम कराया गया पंचायत नामा के समय मालूम हुआ कि लैम्प के अचानक गिर जाने से कपड़ों में आग लगकर जल जाने से मृत्यु का कारण बताया गया । चूंकि घटना अकबरपुर थाना से संबंधित है जिसका सही प्रमाण न प्राप्त होने के कारण लाश का पोस्टमार्टम कराया गया । पोस्टमार्टम थाना अकबरपुर में प्राप्त होने पर जांच जारी है।

1	2	3	4
9—रामअवध यादव	चोट लगने के कारण (Due to injuries noted and its late complication)	दिनांक 17—6—80 को थाना कोतवाली, फैजाबाद में वार्ड व्याय रामकृपाल सदर अस्पताल, फैजाबाद द्वारा मृतक राम अवध यादव के संबंध में मेमो प्राप्त हुआ जिसका पंचायत नामा तैयार कर लाश का पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट से मृत्यु का कारण चोट लगने से होना बताया गया। पंचायत नामे से मृतक की मौत दीवाल से गिरकर पैर टूटने के कारण ज्ञात हुआ। सन्देह होने के कारण पोस्टमार्टम कराया गया जिसका पोस्टमार्टम थाना, भीटी में प्राप्त होने पर जांच जारी है।
10—भगवती प्रसाद मिश्रा	हेड इन्जरीज नोटेड (Head Injuries noted)	दिनांक 16-6-80 को श्री शारदा प्रसाद, पुत्र अयोध्या प्रसाद, सा0 मिश्रौली, थाना रौनाही ने सूचना दिया कि भगवती प्रसाद 9—6—80 को बैल खरीदने गया था बैल खरीदकर घर वापस आने के बाद गांव वालों को कई दिन से दिखायी नहीं पड़ा। लोगों ने भगवती की औरत से पूछा तो उसकी औरत ने बताया कि बम्बई गये हैं, कई दिन बाद भगवती के घर से बदबू आने पर वादी ने थाने पर सूचना दिया। लाश घर से बरामद की गयी जिसके आधार मु0 अ0 सं0 201, धारा 302/201 भा0द0वि0 कायम होकर दिनांक 8—7—80 को जरिये आरोप पत्र चालान अदालत किया गया। हत्या का कारण मृतक की औरत एवं सोमनाथ पासी के मध्य चल रहे नाजायज संबंध होने की वजह से पाया गया।
11—शिव कुमारी	जल जाने के कारण (Shock from extensive burn injuries)	मृतक श्रीमती शिव कुमारी दिनांक 16-6-80 को खाना बनाते समय अचानक टेरेलिन की साड़ी में आग लगने से घायल हो गयी। इलाज हेतु घर वाले अस्पताल ले आये जहां उसकी दिनांक 17—6—80 को मृत्यु हो गयी जिसका पोस्टमार्टम थाना महराजगंज में प्राप्त होन पर जांच जारी ह। मृत्यु का कारण अभी तक अपराध संबंधी नहीं पाया गया।
12—सुलेमान	शाक ऐंड हैमरेज एजए रिजल्ट आफ इन्जरीज सस्टेंड (Shock and haemerage as a result of injuries sustained)	दिनांक 16/17-6-80 की रात थाना अध्यक्ष श्री सदानन्द राय, थानाध्यक्ष पुराकलन्दर को जरिये मुकबिर सूचना मिली कि एक सशस्त्र डकैतों का गिरोह ग्राम चौधरीकापुरवा में एकत्र होकर दर्शनदीन यादव के घर में डकैती डालने

1	2	3	4
			जायगा। इस सूचना पर थानाध्यक्ष अपने सहयोगियों सहित घटना स्थल पर सशस्त्र डकैतों के गिरोह को एकत्र होकर डकैती डालने जाते समय पुलिस एवं डकैतों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस मुठभेड़ में सशस्त्र डकैत सुलेमान घटना स्थल पर जाने से मारा गया। इस सूचना पर मु0 अ0 सं0 143, धारा 399/402 भा0दं0वि0 पंजीकृत होकर विवेचना करके दिनांक 25–7–80 को अंतिम रिपोर्ट संख्या 49 न्यायालय प्रेषित की गयी।
13– सत्य नारायण पांडे		तदैव	श्री सिद्धनाथ पांडेय, पुत्र महादेव पांडेय सा9 पाराशय, थाना हैदरगंज ने दिनांक 18–6–80 को सूचित किया कि मृतक एवं राम चन्दर आदि के बीच आपसी रंजिश चल रही थी मृतक सत्यनारायण दावत खाकर पांडेय का पुरवां से वापस आ रहा था रामचन्दर आदि पांच व्यक्तियों ने लाठी बल्लम आदि से हमला कर दिया। सत्यनारायण को चुटहिल अवस्था में सदर अस्पताल इलाज हेतु दाखिल किया गया। दिनांक 18–6–80 को वहां पर उसकी मृत्यु हो गयी जिससे संबंधित कागजात थाना हैदरगंज में प्राप्त होने मु0 अ0 सं0 98, धारा 147/148/302 भा0दं0वि0 कायम होकर विवेचना हो रही है।

नत्थी "ख"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 212 पर)

माह जनवरी, 1980 से 20 जून, 1980 तक नियुक्त की गयी सस्ते गल्ले की दुकानों की सूची—

1—मे0 दमरी मल्लाह नसीम अहमद—न्याय पं0, महुजा ।
2—मे0 नियाजुद्दीन अन्सारी, न्याय पं0, रइसा ।
3—मे0 गोपाल जी मसहूद आजम, न्याय पं0, परसिया भंडारी ।
4—मे0 राजेंद्र यादव, न्याय पं0, परसिया भंडारी ।
5—मे0 अनिल कुमार श्रीवास्तव, न्याय पं0, परसिया तारा ।
6—मे0 सतीश कुमार मिश्र शैलेन्द्र मिश्र, न्याय पं0 पुरैनी मिश्रा ।
7—मे0 कैलाश मिश्र, न्याय पं0, बौरडीह ।
8—मे0 जमशेद रविप्रकाश, न्याय पं0, डकिना ।
9—मे0 रिवानउल्लाह नसुलहक, न्याय पं0, रामनगर ।
10—मे0 छेदी एनुलहक, न्याय पं0, धनौती ।
11—मे0 लल्लन प्र0 बृजकिशोर, न्याय पं0, रामपुर ।
12—मे0 कुकुर प्रा0, न्याय पं0, भरौली ।
13—मे0 सुरेश पांडेय, न्याय पं0, अहिरौली का वघेल ।
14—मे0 पारसनाथ नवल किशोर सिंह, न्याय पं0, रोहिनिया ।
15—मे0 नौमद आलम नियाज अहमद, न्याय पं0, पिंडी ।
16—मे0 गुलाब चन्द्र मदन मोहन, न्याय पं0, भरहे-बौरा ।
17—मे0 विस्मिला, न्याय पं0, भरौली ।
18—मे0 रामजी प्रसाद, न्याय पं0, भरौली ।
19—मे0 कपिलदेव कुमार जैसवाल, न्याय पं0, पकड़ी बाजार ।
20—मे0 मुन्द्रिका प्र0, टा0 ए0 मझौली ।
21—मे0 तपेश्वर नाथ उर्फ तप्पे नारायन, न्याय पं0, सिसवा ।
22—मे0 जितेंद्र कुमार तिवारी, न्याय पं0, घाटी ।
23—मे0 रामानन्द कन्हैयालाल, न्याय पं0, पिपरा बांध ।

(ह0—अपठित)
परगनाधिकारी,
सलेमपुर ।

नत्थी "ग"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 20 का उत्तर पीछे पृष्ठ 215 पर)

प्रदेश में लखनऊ जनपद के अतिरिक्त वह जनपद जो दिनांक 3–5–80 से 28–6–80 तक गैस्टोइन्ट्राइटिस से प्रभावित हुए।

1	आजमगढ़	3	21	झांसी	2
2	इलाहाबाद	13	22	कानपुर	6
3	आगरा	12	23	मिर्जापुर	19
4	बलिया	6	24	मुरादाबाद	5
5	बाराबंकी	0	25	पिथौरागढ़	2
6	बहराइच	0	26	प्रतापगढ़	4
7	बांदा	16	27	रायबरेली	1
8	बरेली	2	28	टेहरी गढ़वाल	0
9	बस्ती	4	29	उन्नाव	0
10	फैजाबाद	1	30	वाराणसी	10
11	फर्रुखाबाद	3	31	मथुरा	4
12	देहरादून	13	32	पीलीभीत	1
13	देवरिया	0	33	रामपुर	2
14	इटावा	16	34	सहारनपुर	2
15	फतेहपुर	5	35	सीतापुर	0
16	गोरखपुर	13	36	सुल्तानपुर	2
17	गोंडा	9	37	ललितपुर	0
18	गाजियाबाद	0	38	हमीरपुर	9
19	गाजीपुर	14			
20	पौड़ी गढ़वाल	0		योग ..	199

नत्थी 'घ'

(देखिये अतांरांकित प्रश्न संख्या 28 का उत्तर पीछे पृष्ठ 219 पर)

तालिका

1--अधिशासी अभियंता को मार्च, 1979 में भ्रष्टाचार के आरोपों में पूर्व मुख्य मंत्री श्री राम नरेश यादव ने स्थानान्तरित कर दिया जिसे उसने 20 हजार रुपये घूस देकर श्री बनारसी दास से रुकवा लिया ।

2--उक्त अधिशासी अभियंता, गोरखपुर मंडल का रहने वाला है जिसकी वजह से अपने पद का दुरुपयोग कर अपने घर व जिले वालों को लाभ पहुंचाता है ।

3--अधिशासी अभियंता ने 30 लाख रुपये से ऊपर की पी-ग्रेविल (बजरी) बिना टेंडर निकाले केवल कोटेशन लेकर अपने चन्द जाने पहचाने ठेकेदारों से खरीदे हैं । अन्य सामानों की आपूर्ति लेने में भी इसी प्रकार की अनियमितता की गई है।

4--नलकूपों के निर्माण में लालकुआं की बजरी के स्थान पर नौतनवां की सस्ती व घटिया किस्म की बजरी डलवाई जाती है ।

5--अधिशासी अभियंता द्वारा नलकूपों के निर्माण पर अवर अभियंताओं से मनमाना कमीशन लिया जाता है । जो अवर अभियंता कमीशन नहीं दे पाते हैं उनको काम नहीं दिया जाता है ।

6--अधिशासी अभियंता ने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान 200 कर्मचारियों को कार्य प्रभारी अधिष्ठान में नियुक्त किया है और प्रत्येक से 500 रुपये घूस लिया है जबकि नियुक्ति सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से नियमानुसार होनी चाहिये ।

7--उक्त अधिशासी अभियंता के कार्यकाल में आजमगढ़ व घोषी में बनाये गये नलकूप पानी नहीं दे रहे हैं ।

8--उक्त अधिशासी अभियंता के कार्यकाल के दौरान पी-ग्रेविल '(बजरी) के ठेकेदारों ने अधिशासी अभियंता को मिलीभगत से 50 लाख का भुगतान डुप्लीकेट बिलों पर लेकर सरकार का लाखों रुपए का नुकसान सेल्स टैक्स व इनकम टैक्स की चोरी करके किया है ।

9--मशीनों की मरम्मत में 3 लाख रुपये से ऊपर का जो भुगतान किया गया है वह फर्जी है ।

10--डिवीजनल स्टोर से 85 मीटर 14" हाउसिंग पाइप अवर अभियंता श्री एस0 एम0 आर0 रिजवी नें अधिशासी अभियंता की शह से बेंच लिया परन्तु उसके विरुद्ध न तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई और न ही कोई अन्य कार्यवाही की गई ।

11--कुछ सामान जो कि फील्ड में प्रयोग हेतु खरीदे गये है वह गोरखपुर के थोक दुकानदारों से न लेकर चलते फिरते ठेकेदारों से मंहगे दर पर लिये गये हैं ।

12--अधिशासी अभियन्ता ने लगभग 1 लाख रुपये की जी0सी0 सीट 90 रु0 प्रति सीट के हिसाब से खरीदा है जबकि थोक में दर 40 रुपया से 45 रु0 प्रति सीट होगा इसके अतिरिक्त जो जी0 सी0 सीट खरीदी गई है वह पतली चादर की है और विभागीय प्रयोग के योग्य नहीं है ।

13--अधिशासी अभियंता के कार्यकाल में एक ही गहराई व स्ट्रेटा के नलकूपों के निर्माण में भिन्न-भिन्न व्यय मजदूरी के मद में किया गया है।

14--कर्मचारियों की नियुक्ति में एक जाति विशेष के कर्मचारियों को प्राथमिकता दी गई है। सुनने में यह भी आया है कि 2 कर्मचारी ऐसे भी हैं जो पूर्व पाकिस्तान के भगोड़े है और यहां पर अनियमित रूप से रह रहे हैं।

नत्थी "ङ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 30 का उत्तर पीछे 220 पर)

सेवा में,

स्वास्थ्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन,

लखनऊ ।

दिनांक 12-5-1980

मुख्य विषय:--शाहजहांपुर के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सरकारी धन व पद का दुरुपयोग सरकार द्वारा बिना मान्यता प्राप्त फर्मों से दवाइयां खरीदना एवं प्रा0 स्व0 के0 पर हैन्ड पंप वास्तविक मूल्य से चार गुना मूल्य पर लगवाना व अन्य अनेक आरोप।

माननीय महोदय,

निवेदन है कि शाहजहांपुर के मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 सतीश चन्द्र वशिष्ठ जो कि इस जनपद में चार वर्षों से कार्यरत हैं अपने भ्रष्ट तरीके एवं शासन को अंधेरे में रख कर सरकारी धन व पद का खुलेआम दुरुपयोग कर रहे हैं जो कि निम्न है--

1-प्रो0स्वा0के0, जलालाबाद में दो, तिलहर में दो , भवलखेड़ा व कांठ में एक-एक हैन्ड पम्प जिनकी बोरिंग बहुत कम हुई है वह खराब पड़े हुए है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा वास्तविक मूल्य से चार गुने मूल्य पर लगवाये गये है। (प्रत्येक पम्प का मूल्य लगभग चार हजार रुपये)

2--सी0एम0ओ0 स्टोर में भारी मात्रा में दवाओं का स्टाक होना जिसमें निर्धारित तिथि निकली हुई दवायें व बहुत सी ऐसी दवायें जो कि काफी घटिया है व खराब हो चुकी है तथा जिनको सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है ऐसी फर्मों से खरीदी गयी है। (नं0 1 व 2 के लिये देखें अमर उजाला दिनांक 29-4-80)

3--भवन निर्माण में वास्तविक मूल्य से कई गुना सौन्द्रीयकरण के नाम पर व्यय करना, मनमाने ढंग से निर्माण कराना, बगीचे की बाउन्ड्री का सौन्द्रीयकरण लगभग 20 हजार रुपया व्यय करना जो कि अब लगभग खस्ता हालत में है अब उसी में आधुनिक किस्म के फव्वारे का निर्माण हो रहा है जिस पर लगभग पच्चीस-तीस हजार रुपया व्यय होगा।

4--अपने अधीनस्थ चिकित्सा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति अशिष्ट व्यवहार व डी0ओ0 लिखकर स्थानानन्तरण कराने की प्रवृत्ति का होना एवं कुछ चपरासियों से अपने घर का घरेलू काम कराना व रिश्तेदारों की खातिरदारी एवं उनसे गलत काम लेना।

5--मार्च, 1980 के मध्य में एक कनिष्ठ कर्मचारी के बीमार होने पर उसको अपने चेम्बर में एक सप्ताह तक रखना, जो कि इनकी नाक का ब बतलाया जाता है। जबकि प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड मौजूद है।

6-दवाओं की खरीद काफी लम्बी कमीशन पर ऐसी फर्मों से करना जो कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है और काफी घटिया किस्म की यह फर्में दवाई सप्लाई करती है।

ऐसी ही तमाम अनियमितायें जांच के दौरान सामने आयेंगी जिनमें लाखों रुपये का घोटाला व पद का दुरुपयोग प्रकाश में आयेगा ।

इस जनपद के नागरिकों की आप से मांग है कि ऐसे भ्रष्टाचारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी का अविलम्ब स्थानान्तरण करें एवं गुप्तचर विभाग से जांच कराकर सख्त कार्य-- वाही करें जिससे कि सरकारी धन का दुरुपयोग न होने पावे एवं जनता व कर्मचारियों को एक तानाशाह अधिकारी से राहत मिले ।

मुझे आशा है कि आप महानुभाव भ्रष्ट मुख्य चिकित्साधिकारी का अविलम्ब स्थानान्तरण कर उपरोक्त आरोपों की जांच कराकर कठोर कार्यवाही करेंगे । कृपया मुझे कार्यवाही के बारे में सूचित करने का कष्ट करें ।

प्रतिलिपि प्रेषित :--

1---स्वास्थ्य निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

2---मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

3---श्री गोरीशंकर मिश्रा, पत्रकार, अमर उजाला, शाहजहांपुर ।

भवदीय ,
हरीश गुप्ता,
पत्रकार (जुल्मी तीर) (पाक्षिक)
बहादुर गंज, शाहजहांपुर ।
12-5-1980

पी0 एस0 यू0 पी-ए0 पी0 160 विधान सभा 15-12-80(2956)--813 (मैग0)